लोकसभा उपचुनाव 2018

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों के लिये

प्रथम / द्वितीय प्रशिक्षण, 2018

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा

2018

नियुक्ति के समय

मतदान से पूर्व का दिन

मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पहुचने पर

मतदान के समय के दौरान

मतदान पूरा होने के पश्चात्

पीठासीन अधिकारियों हेतु आवश्यक

- मतदान प्रक्रिया एवं संचालन की जानकारी–निर्देश पुस्तिका से
- EVM **तथा** VVPAT द्वारा मतदान संचालन
- पीठासीन अधिकारियों को रिर्टनिंग अधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुदेशों की **पालना**

www.rajteachers.com

मतदान दल

2018

आपकी सहायता हेतु चार मतदान अधिकारी उपलब्ध

मतदान अधिकारियों की भूमिका का प्रशिक्षण में अभ्यास

- EVM & VVPAT के प्रयोग का **पूर्वाभ्यास**

www.rajteachers.com

मतदान मशीन (EVM) व मतदान सामग्री एकत्रित करना व जाँच

2018

- EVM मशीन की जांच
- BU,CU.VVPAT के कैरिंग बॉक्सों पर संलग्न एड्रेस टेग में वही मतदान केन्द्र की संख्या अंकित हो जिसके लिये उनकी ड्यूटी हो।
- BU,CU.VVPAT के कैरिंग बॉक्सों पर लगे एड्रेस टैग पर अंकित मशीन के नम्बरों की जॉच कर लें।

  यह भी जांच ले कि BU,CU.पर लगी हुयी पिंक पेपर सील सुरक्षित है।

मतदान सामग्री की जाँच

निर्वाचक नामावली की तीन प्रतियां हो। वे उसी निर्वाचन क्षेत्र के भाग की हो जिसके लिये मतदान केन्द्र स्थापित किया गया हो।

अनुपूरक सूचियों के अनुसार सभी प्रतियों में से नाम काट दिये गये हों। सभी नामावलियों के पृष्ठ 1 से क्रमांकित हो।

टेण्डर वोट भी उसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये हों।

मतदान सामग्री की जाँच

लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं (Election Agents) के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियां भी आपको दी गई हैं।

यह मतदान केन्द्र पर ऐजेन्टस् के नियुक्ति पत्र में उसके अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षरों की वास्तविकता की सत्यापित करने में आपकी मदद करेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जैसे अमिट स्याही, स्टाम्प पैड, स्पेशल टेग, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील आदि इसके अतिरिक्त उपाबंध–5 के अनुसार समस्त सामग्री चैक करें।

मतदान केंद्र पर मतदान के एक दिन पूर्व पहुंच कर सुनिश्चित करने के बिंदु

मतदान केन्द्र की परिधि 200 मीटर हो जो आपके नियंत्रण में है।

इस परिधि के भीतर की सुरक्षा आपके नियंत्रण अधीन पुलिस की होगी।

इस परिधि में निम्न नहीं हो :–

- राजनैतिक दलों के प्रचार पोस्टर यदि ये हों तो हटवाएं।

मतदान केन्द्र की स्थापना

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर अपने दल के साथ मतदान प्रारम्भ होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम **75** मिनट पूर्व पहुँचेंगे।

मतदान केन्द्र पर नियुक्त किसी मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में पीठासीन अधिकारी के पास उसके स्थान पर अन्य निष्पक्ष सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति है। ऐसी नियुक्ति की सूचना बाद में औपचारिक रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर को दी जावेगी।

पीठासीन अधिकारी अपने कर्तव्यों में से कोई भी कर्तव्य मतदान केन्द्र पर आपके साथ कार्यरत किसी मतदान अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में मतदान केन्द्र पर नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।

पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर पहुंच कर मतदान हेतु प्रस्ताावित भवन का निरीक्षण करेंगे, तथा मॉडल मतदान केन्द्र के ले–आउट के अनुसार मतदान केन्द्र की स्थापना करेंगे।

www.rajteachers.com

आदर्श मतदान कक्ष का ले आउट

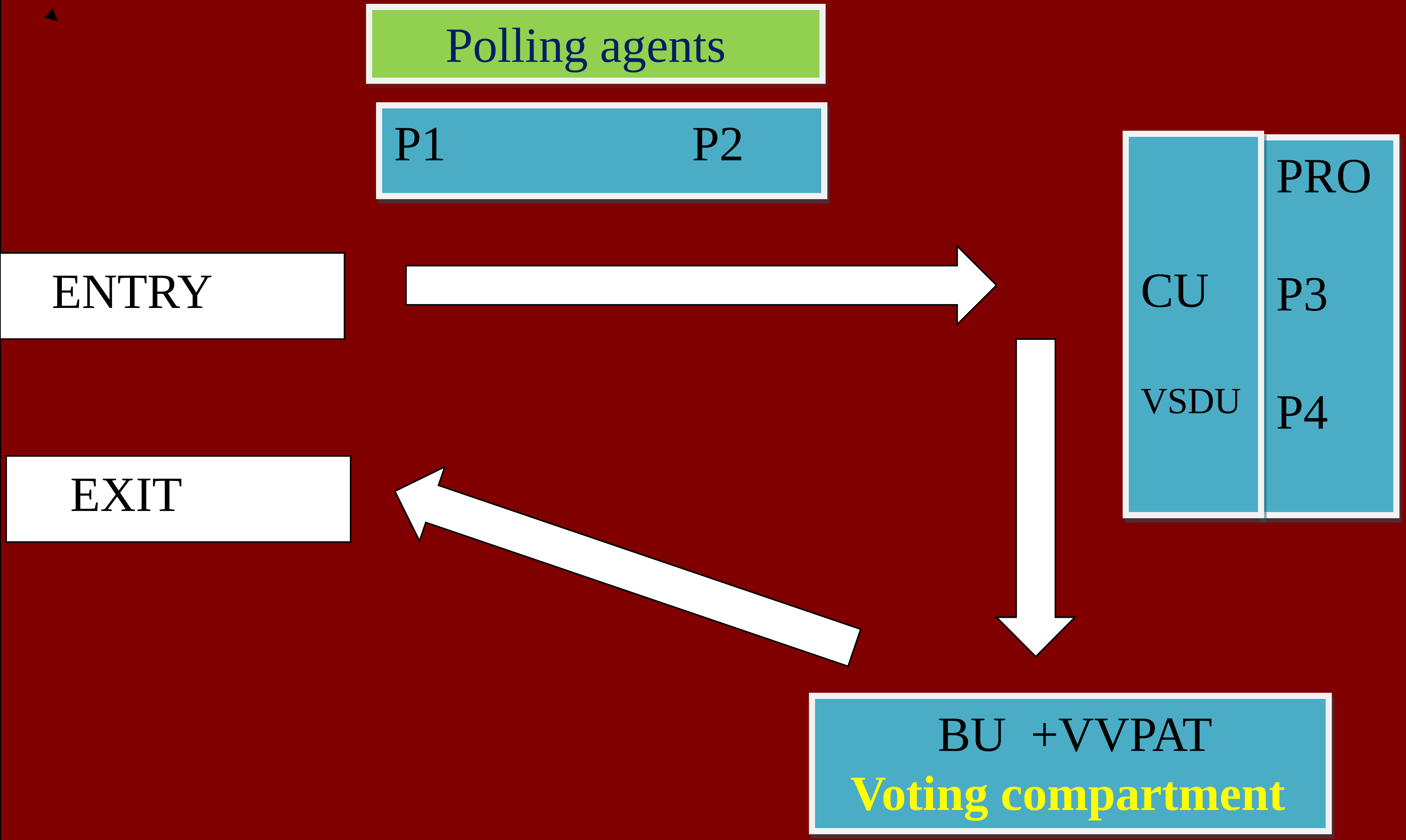

मतदान केन्द्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य मुख्य बिन्दु :–

2018

- **BU &VVPAT एक साथ मेज पर वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखी जावे**
- **वोटिंग कम्पार्टमेंट** व कंट्रोल यूनिट में पर्याप्त दूरी हो।
- **VVPAT से CU व VSDU** को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा न डाले व उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े।
- केबल मतदान कक्ष के पीछे से नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जावे।

www.rajteachers.com

- छिद्र इतना चौड़ा हो कि **VVPAT** से केबल निकासी का भाग **वोटिंग कम्पार्टमेंट** के बाहर से दिखाई दे, किन्तु मत की गोपनीयता भंग न हो।
- यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करें।
- वोटिंग मशीन मतदान केन्द्र की खिड़की या दरवाजे के समीप न हो।

- मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पृथक प्रवेश व निकास की व्यवस्था हो (मतदान कक्ष में एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों/रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जावे)

- मतदान अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करते हुए नहीं देख सकें।

- मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो।

मतदान केन्द्र के बाहर :–

- मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त जगह हो
- यथासंभव पुरूषों/महिलाओं के लिए पृथक प्रतीक्षा स्थल हो

www.rajteachers.com

मतदान अभिकर्ताओं को ऐसे बिठाया जावे कि वेः–

- मतदाता का चेहरा देख सकें तथा आवश्यकता होने पर उसकी पहचान को चुनौती दे सकें।
- पीठासीन अधिकारी की मेज की समस्त क्रियाएँ देख सकें।
- मतदाता के मतदान कक्ष में प्रवेश से लेकर मतदान कक्ष छोड़ने तक की गतिविधि देख सकें।
- मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करते हुए नहीं देख सकें।

www.rajteachers.com

यदि कोई पर्दानशीन महिला मतदाता अपना चेहरा किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी महिला को जो कि मतदान क्षेत्र में रहती हो, को बुलवाकर ऐसी पर्दानशीन महिला की पहचान करवाने में सहायता ले सकता है।

भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति में मतदाताओं को अलग–अलग व प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने अलग–अलग स्थान पर प्रतीक्षा करने की व्यवस्था की जावे।

मतदान केन्द्र निजी भवन में होने की स्थिति में भवन के 200 मीटर की परिधि का क्षेत्र पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में होना चाहिए।

मतदान केन्द्र पर राजनीतिक दलों के नेताओं के फोटो या नारे प्रदर्शित नहीं हों। उन्हें मतदान समाप्त होने तक हटाए रखने की व्यवस्था की जावे।

मतदान केन्द्र के भीतर खाना पकाने व आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित हो :–

- मतदान क्षेत्र के निर्वाचकों के विवरण सम्बन्धी नोटिस
- प्रारूप 7क में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची
-

मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की प्राथमिकता

आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार मतदान अभिकर्ताओं की मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था निम्नांकित प्राथमिकताओं के प्रवर्गों के अनुसार रखी जायेगी :–

- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी
- मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी

www.rajteachers.com

मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की प्राथमिकता

- अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलो के वह अभ्यर्थी जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीको को इस निर्वाचन में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है।
- रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलो के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता
- निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता

www.rajteachers.com

2018

मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा हेतु स्थान (महिला– पुरूष यदि अलग हो तो बेहतर)

मतदान केन्द्र के बाहर निर्वाचकों की विशिष्ठयां प्रदर्शित करते हुए नोटिस जैसे मतदान केन्द्र का नाम व संख्याक, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके भीतर वह मतदान केन्द्र स्थित है, मतदान केन्द्र का स्थान।

मतदान केन्द्र के बाहर प्रारूप 7(क) में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची मय प्रतीक चिन्ह

2018

- इस परिधि के भीतर किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को मतदाताओं की सहायता हेतु गैरशासकीय पर्चीया काटने हेतु नहीं बैठने दिया जावेगा। यदि किसी राजनैतिक दल के कुर्सियां व टेन्ट आदि इस परिधि में हो तो हटाए।
- इस परिधि में हथियारबन्द या गैर हथियारबन्द भवन के स्वामी या प्रहरी को भीतर नहीं रहने दिया जायेगा।

EVM मय VVPAT से मतदान प्रक्रिया

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की यूनिट

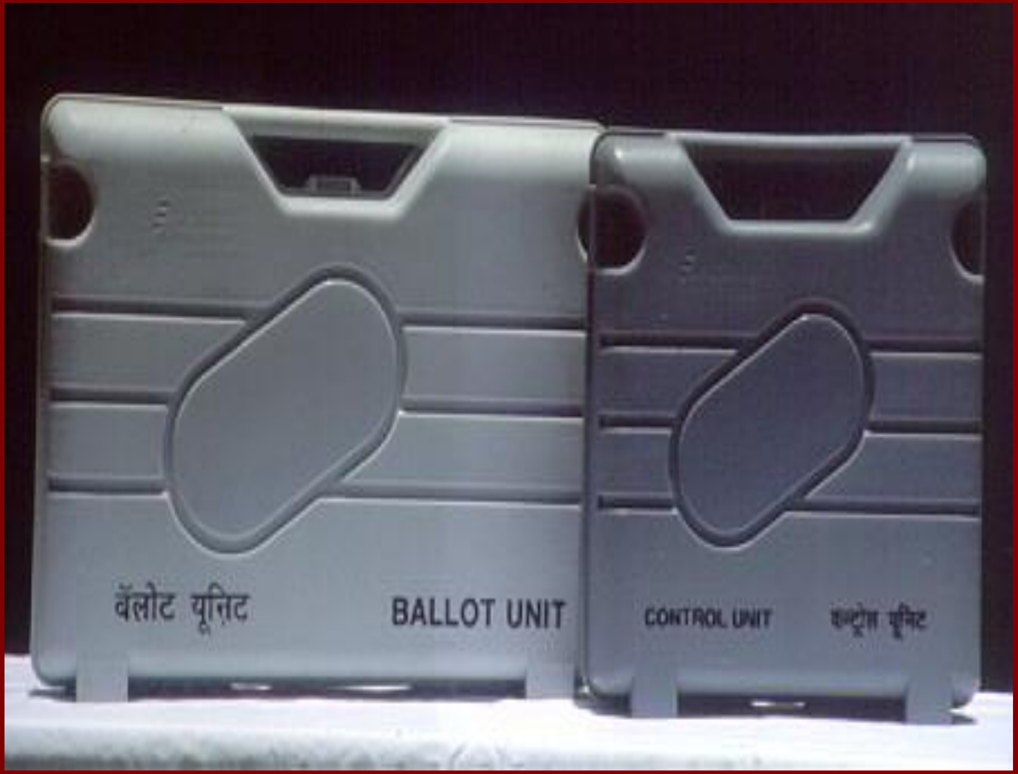

कन्ट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट तथा VVPAT अलग अलग कैरिंग बॉक्स में रहते हैं।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की यूनिट

2018

इन बक्सों को खोलने के लिये दोनों ओर एवं मध्य में लगे हुये नॉब को एक साथ दबाना पड़ेगा

VVPAT

वोटर वेरीफाइएबल पेपर आडिट ट्रेल

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के भाग

2018

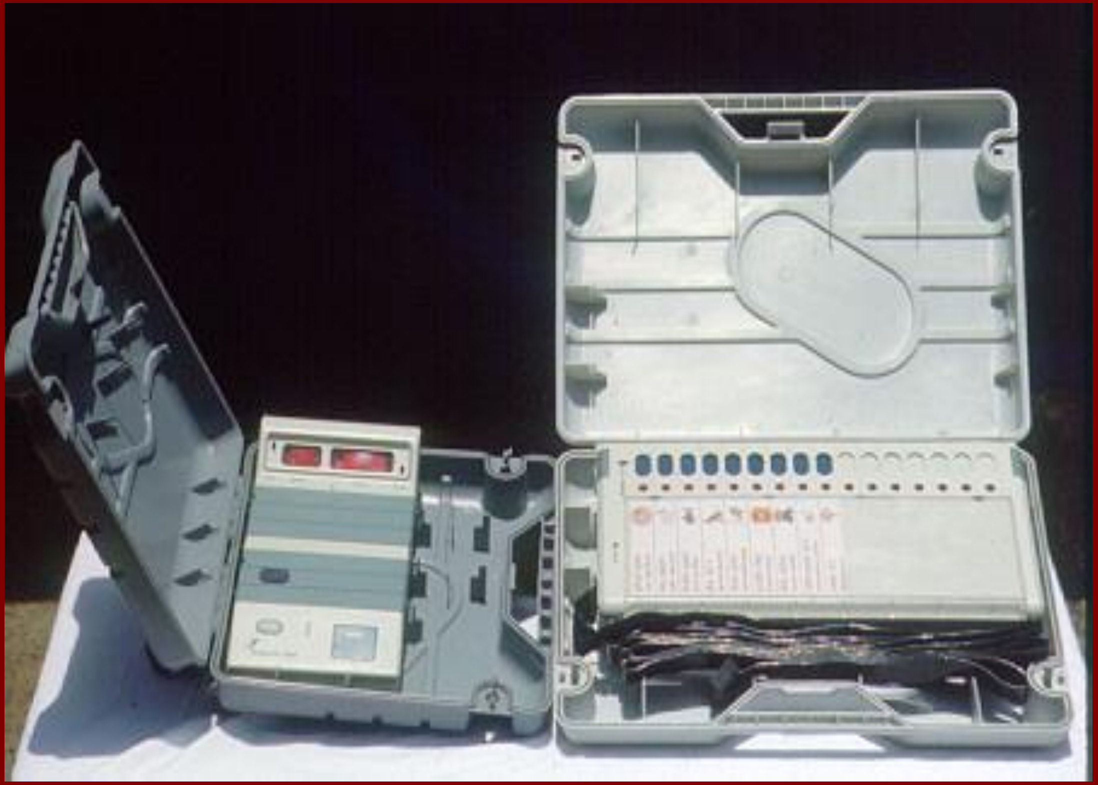

बक्से खोलने के बाद आपको बैलट युनिट,कन्ट्रोल यूनिट तथा **VVPAT** इस अवस्था में प्राप्त होगी।

www.rajteachers.com

BU (मतदान यूनिट) के भाग

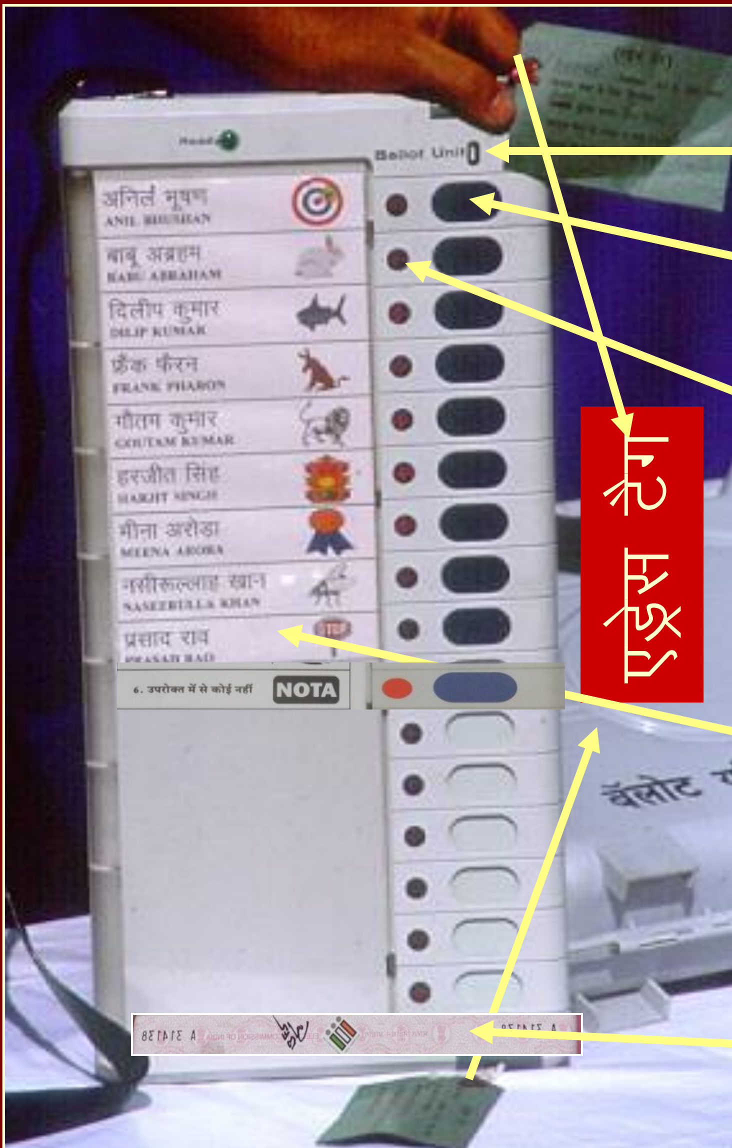

प्रदर्शित अंक यह दर्शाता है कि कितनी मतदान यूनिट काम में आ रही हैं

उम्मीदवार को मत अंकित करने वाले नीले बटन

उम्मीदवार को मत अंकित करने के साथ ही जलने वाली बत्ती

मतपत्र लगाने का स्थान

पिंक पेपर सील

मतदान यूनिट (बैलट युनिट) की जाँच करना

2018

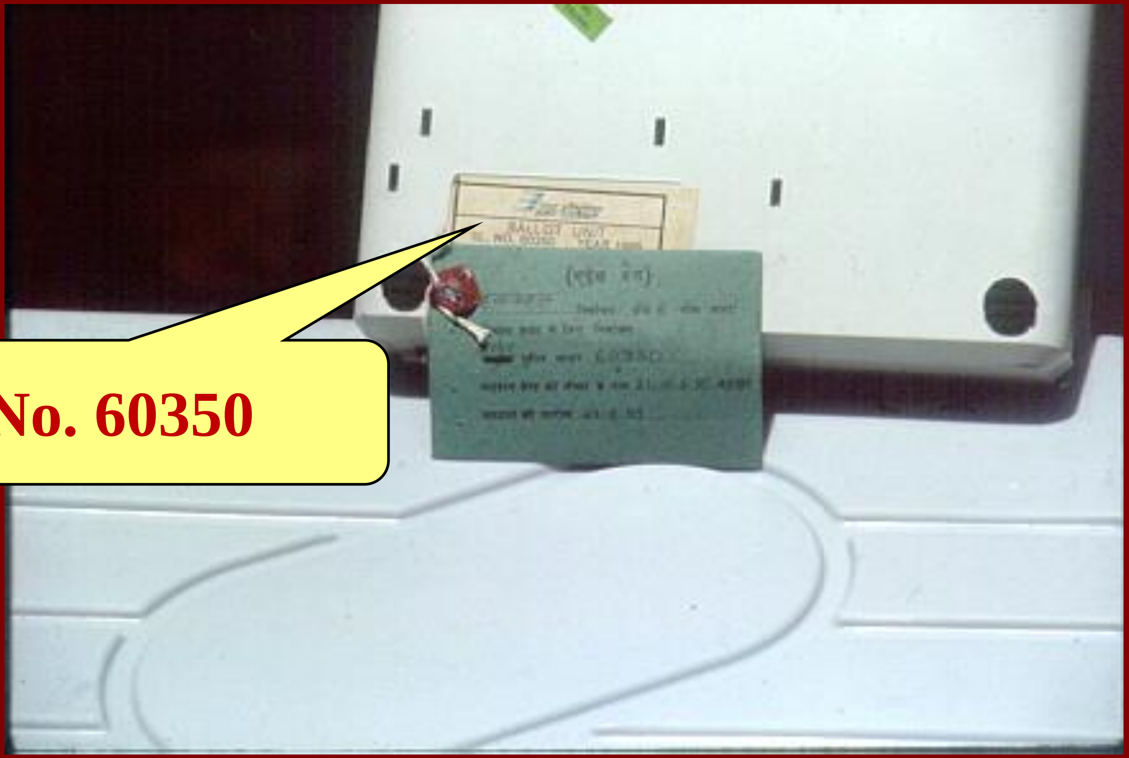

बैलट युनिट के पिछले हिस्से में लिखे हुये बैलट युनिट क्रमांक एवं एड्रेस टैग पर मौजूद बैलट युनिट क्रमांक का भी मिलान कर लें।

मतदान यूनिट(बैलट युनिट) की जाँच करना

बैलट युनिट के दोनों ओर ऊपर एवं नीचे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सील एवं एड्रेस टैग लगाया हुआ होगा। मशीन प्राप्त करते समय पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि ये दोनों सीलें सही ढंग से लगी हुई हैं एवं एड्रेस टैग भी मौजूद हैं व एड्रेस टैग उसी मतदान केन्द्र का है जिस पर आप मतदान कराने जा रहे हैं।

मतदान यूनिट(बैलट युनिट) की जाँच करना

2018

- इस मशीन में पहले से ही मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लगाया हुआ होगा
- मतपत्र सही ढंग से लगा है, इसकी जॉच करें।
- मतपत्र आपके लोकसभा क्षेत्र का ही है, जॉच करें।
- उम्मीदवारों की संख्यानुसार आवश्यक नीले बटन खुले हुए है तथा शेष बटनों पर सफेद कवर लगा है। इस चित्रा में दिखाये अनुसार 9 उम्मीदवारों के नाम के सामने 9 नीले बटन हैं तथा शेष काम में न आने वाले बटन सफेद रंग के हैं।
- मतदान यूनिट पर लगी रिटर्निंग अधिकारी की सील मतदान दल द्वारा कभी भी नहीं खोली जाए।

CU(कंट्रोल यूनिट) के भाग

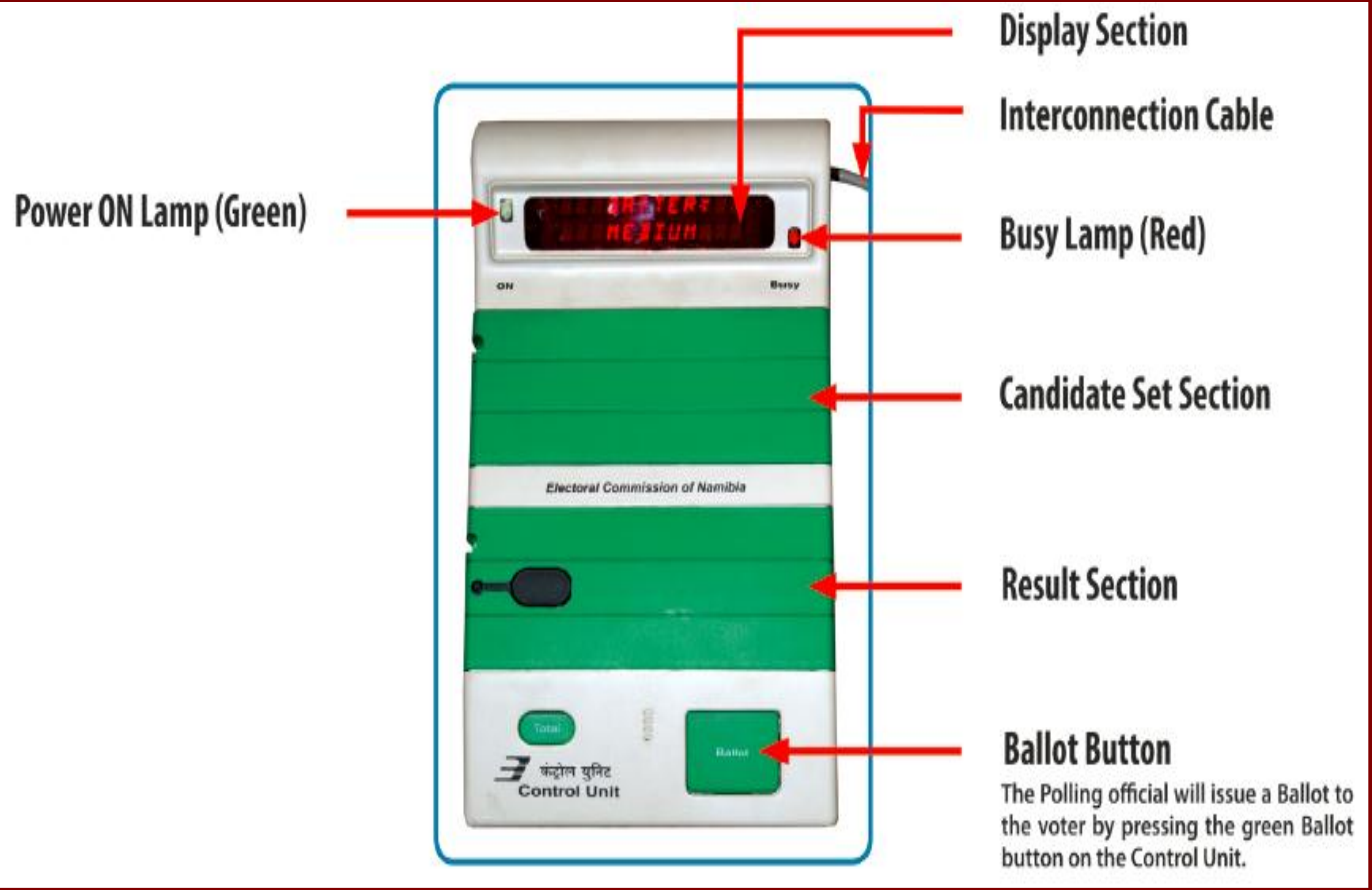

कन्ट्रोल यूनिट का उम्मीदवार सैट खण्ड

(यह खण्ड रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील्ड किया हुआ मिलेगा)

बैटरी

उम्मीदवार सैट बटन

www.rajteachers.com

2018

कंट्रोल यूनिट का परिणाम खंड

www.rajteachers.com

2018

कंट्रोल यूनिट का परिणाम खण्ड

कन्ट्रोल यूनिट का बैलट खण्ड

2018

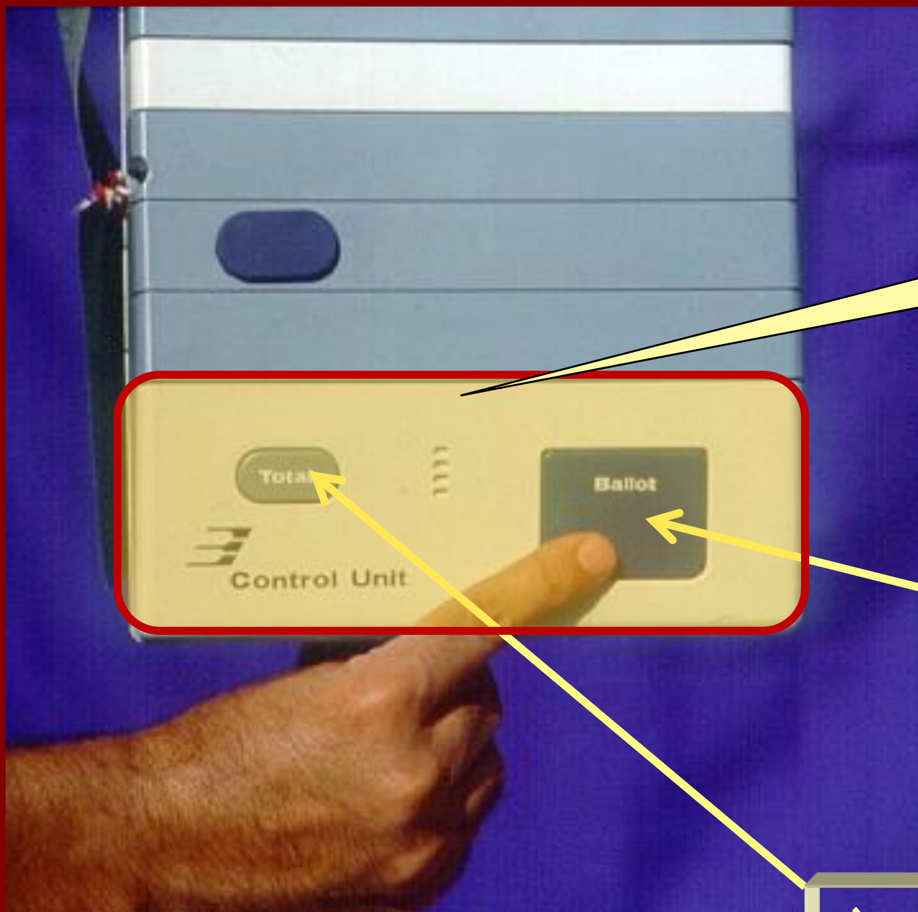

बैलट खण्ड

मत जारी करने हेतु बैलट बटन

टोटल बटन

कन्ट्रोल यूनिट के पीछे के भाग को खोलना

खोलने के लिए यहाँ से दबाये

कवर को बाहर की ओर खींचे

कन्ट्रोल यूनिट – पीछे का भाग

2018

पॉवर स्विच

VVPAT यूनिट की केबल को जोड़ने का सॉकेट

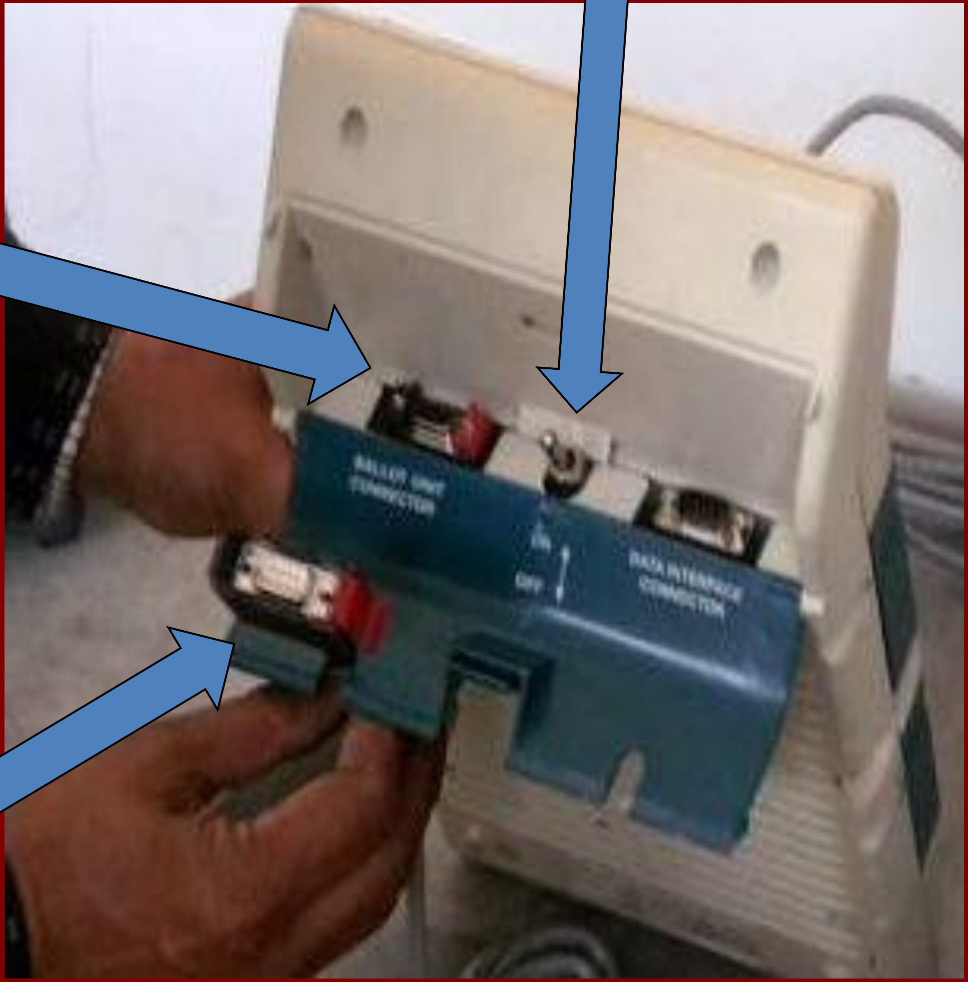

VVPAT यूनिट की केबल का प्लग

www.rajteachers.com

VSDU (VVPAT STATUS DISPLAY UNIT)

www.rajteachers.com

2018

VVPAT

वोटर वेरीफाएबल पेपर आडिट ट्रेल

www.rajteachers.com

2018

PARTS OF VVPAT

www.rajteachers.com

VVPAT का पिछला भाग

2018

VVPAT को BU व VSDU से जोडना

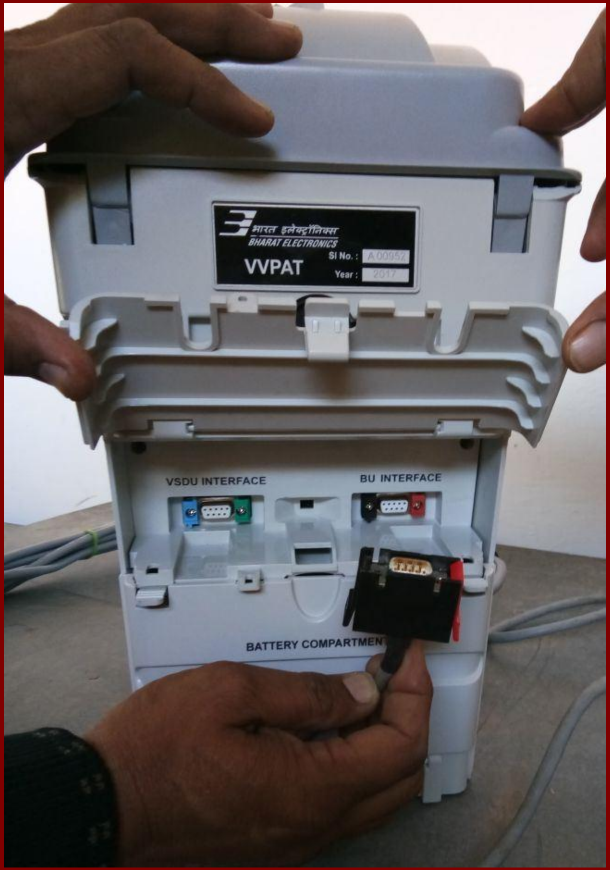

BU को **जोड़ना**

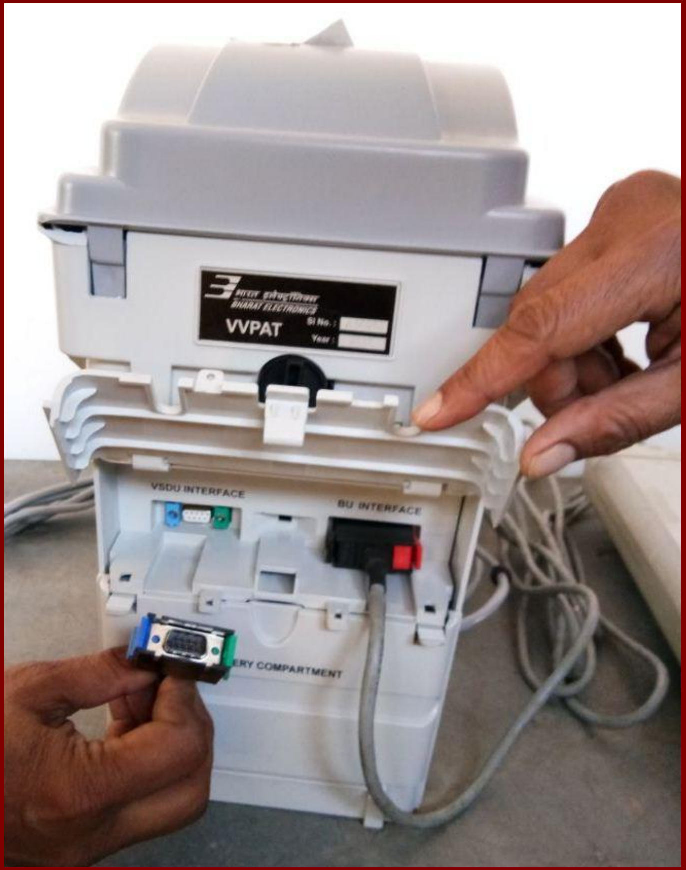

CU को **जोड़ना**

www.rajteachers.com

VVPAT के प्रिन्टर पेपर रोल का लॉक

2018

UNLOCK POSITION

LOCK POSITION

कंट्रोल यूनिट ,VVPAT , VSDU तथा बैलट यूनिट को जोड़ना

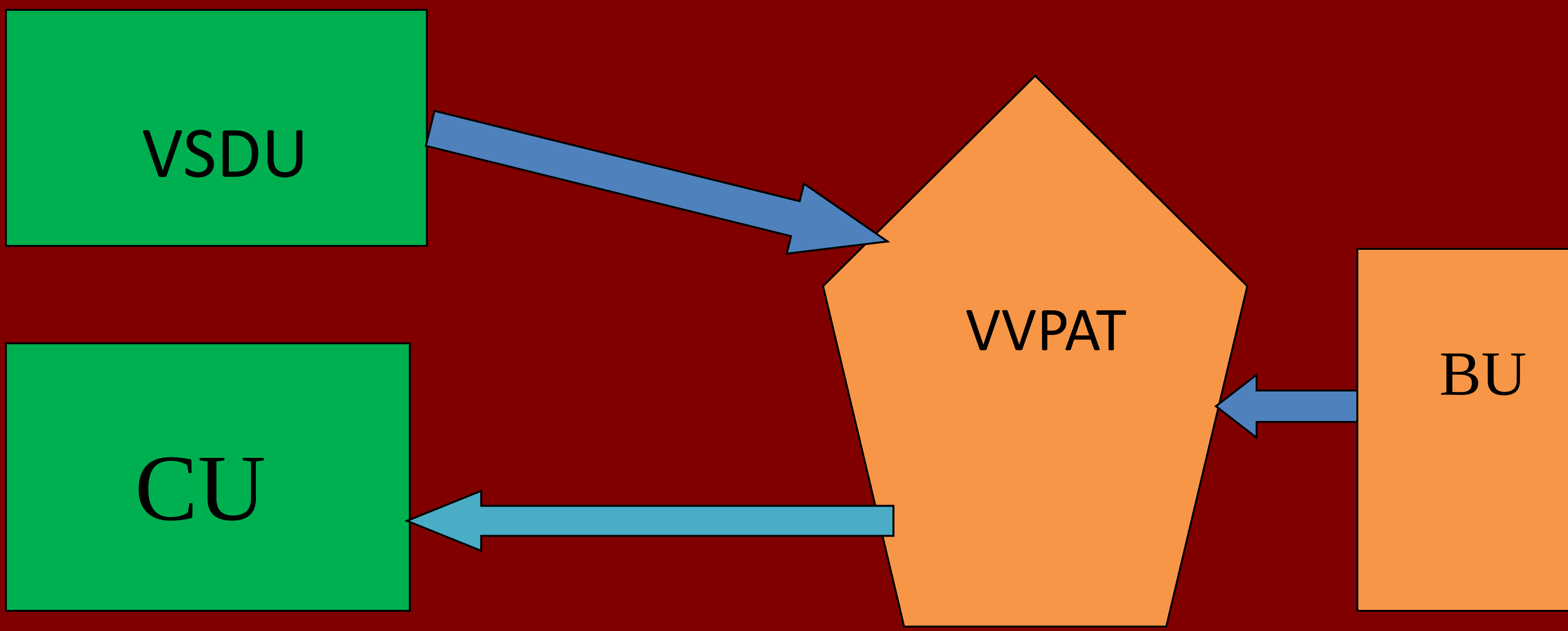

VVPAT में बैलेट युनिट तथा डिस्पले युनिट को जोडे।
अब **VVPAT** यूनिट से एक 5 मीटर लम्बी इन्टर कनेक्टिंग केबल निकली हुई है जिसके अग्र भाग में एक प्लग लगा हुआ है जिसे नियन्त्रण युनिट के साकेट में लगाया जाना है।

कंट्रोल यूनिट से **VVPAT** को जोड़ना

कंट्रोल यूनिट का पृष्ठ भाग

www.rajteachers.com

मतदान के दौरान बैलट युनिट व VVPAT की स्थिति

बैलट युनिट व **VVPAT** मतदान के समय वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में रखी जावेगी ताकि मत अंकन की गोपनीयता बनी रहे।

www.rajteachers.com

मतदान के समय CU व VSDU क्रमशः P3 व P4 के नियंत्रण मे रहेगी

मतदान के दौरान बैलट युनिट की स्थिती

2018

चित्र में बैलट युनिट के दायें ऊपरी सिरे पर छेद में 1 का अंक दिखाई पड़ रहा है। इस अंक का तात्पर्य मतदान में प्रयुक्त की जाने वाली बैलट मशीन की क्रम संख्या से है। एक बैलट युनिट में 16 या उससे कम उम्मीदवारों के लिये मतदान कराया जा सकता है। 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर अतिरिक्त बैलट युनिट काम में लाई जाती है तब ऐसी अतिरिक्त युनिट में क्रम संख्या 2 अंकित होगी। इसी चित्र में बांयी ओर आपको ‘‘रैडी’’ लिखा हुआ एवं हरी बत्ती दिखाई पड़ रही है इसका तात्पर्य है कि बैलट युनिट मतदान के लिये तैयार है अर्थात इसमें मत अंकित किया जा सकता है तथा नीले बटन को दबाकर मत अंकित करने के पश्चात यह हरी बत्ती बुझ जावेगी।

कंट्रोल यूनिट

2018

उम्मीदवार पैनल

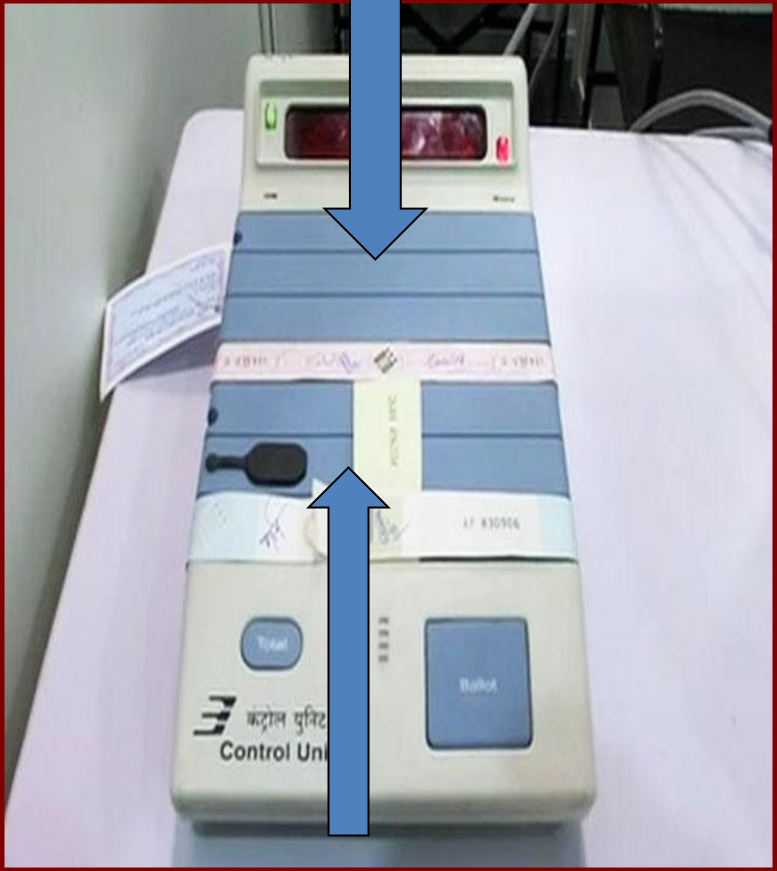

परिणाम पैनल

- कन्ट्रोल युनिट तृतीय मतदान अधिकारी के पास रहेगी। इस युनिट के मुख्य भाग में आपको 2 पैनल दिखाई पड़ रहे है।
- इसमें ऊपर वाला उम्मीदवार पैनल पीठासीन अधिकारी को सील किया हुआ मिलेगा जिस पर एड्रेस टैग भी लगा हुआ रहेगा। इस सील किये हुये पैनल के अन्दर बैटरी एवं उम्मीदवारों की संख्या सैट करने का बटन है जिसका उपयोग रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया गया है एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की संख्या के अनुरूप मशीन को सैट किया गया है।

नया प्रावधान – पिंक पेपर सील

2018

- इस चुनाव में कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट दोनों पर ही अतिरिक्त सूरक्षा के लिए एक–एक पिंक पेपर सील लगायी जाऐगी।
- यह पेपर सील एक स्टीकर के रूप में है जिसे चिपका कर काम में लिया जाता है।
- प्रत्येक पिंक पेपर सील का एक यूनिक क्रमांक है जिसका पूर्ण विवरण संधारित किया जावेगा।

नया प्रावधान – पिंक पेपर सील

2018

- कंट्रोल यूनिट – पिंक पेपर सील
- कंट्रोल यूनिट में पिंक पेपर सील कंट्रोल यूनिट की **FLC (First Level Checking)** के समय **BEL/ECIL** कम्पनी के इंजिनियर द्वारा उम्मीद्वार सेट खण्ड एवं परिणाम खण्ड के बीच में चिपका कर लगायी जायेगी।
- इस सील पर **BEL/ECIL** के इंजीनियर अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा उम्मीद्वार अथवा उसके एजेन्ट हस्ताक्षर कर सकेंगें तथा अपनी मुहर भी लगा सकेंगें।

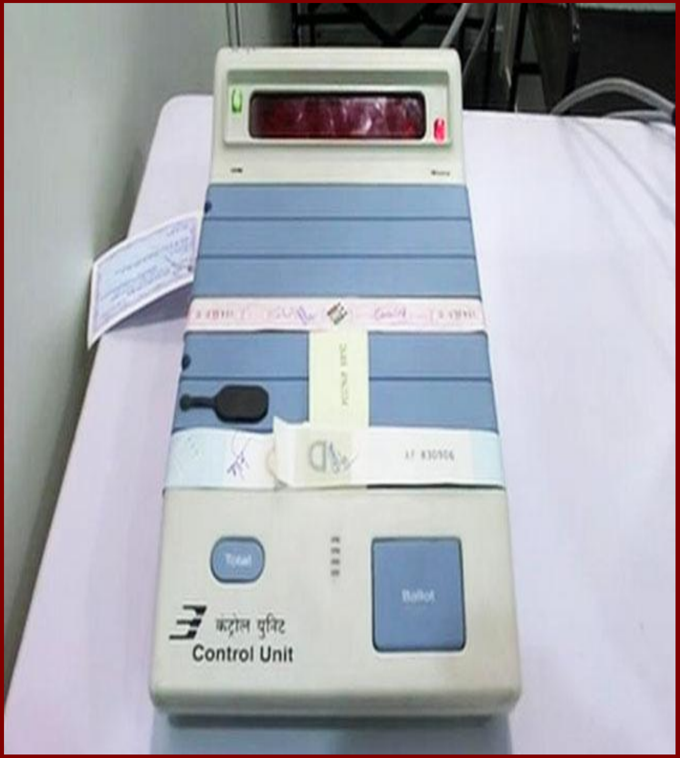

नया प्रावधान – पिंक पेपर सील

2018

- "पिंक पेपर सील" के क्रमांकों का कंट्रोल यूनिट वार विवरण एनेक्चर–ई में निर्धारित रजिस्टर में रखा जावेगा जिसमें कंट्रोल यूनिट का यूनिक आई डी नम्बर भी लिखा जावेगा।

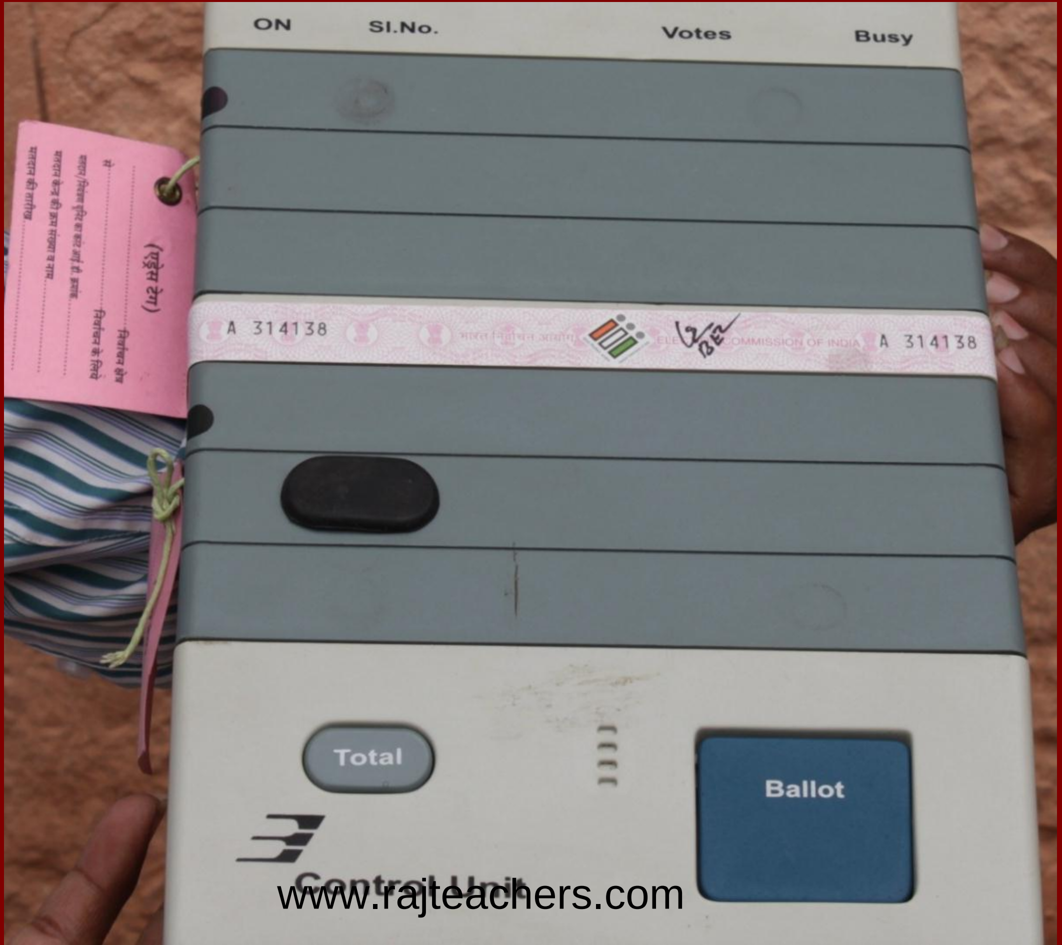

www.rajteachers.com

नया प्रावधान – पिंक पेपर सील

2018

- बैलट यूनिट – पिंक पेपर सील
  - बैलेट यूनिट पर दोनों सिरों पर एड्रेस टैग लगाने के उपरांत, अंतिम उम्मीद्वार के नाम व बटन के बाद एक "पिंक पेपर सील" भी चिपकाई जाऐगी।
  - इस सील पर BEL/ECIL के इंजीनियर अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा उम्मीद्वार अथवा उसके एजेन्ट हस्ताक्षर कर सकेंगें तथा अपनी मुहर भी लगा सकेंगें।

www.rajteachers.com

नया प्रावधान – पिंक पेपर सील

2018

- **"पिंक पेपर सील"** के क्रमांकों का बैलेट यूनिट वार विवरण एनेक्चर–6 में निर्धारित रजिस्टर में रखा गया है जिसमें बैलेट यूनिट का यूनिक आई डी नम्बर भी लिखा गया है । **इसे सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करें।**

www.rajteachers.com

NOTA का प्रावधान

2018

NOTA (None of the Above)

(उपरोक्त में से कोई नहीं)

यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहता है तो Ballot Unit के अंतिम नीले बटन को दबायेगा जिसके सामने NOTA चिन्ह् अंकित है तथा उपरोक्त मे से कोई नहीं लिखा है।

NOTA प्रावधान

2018

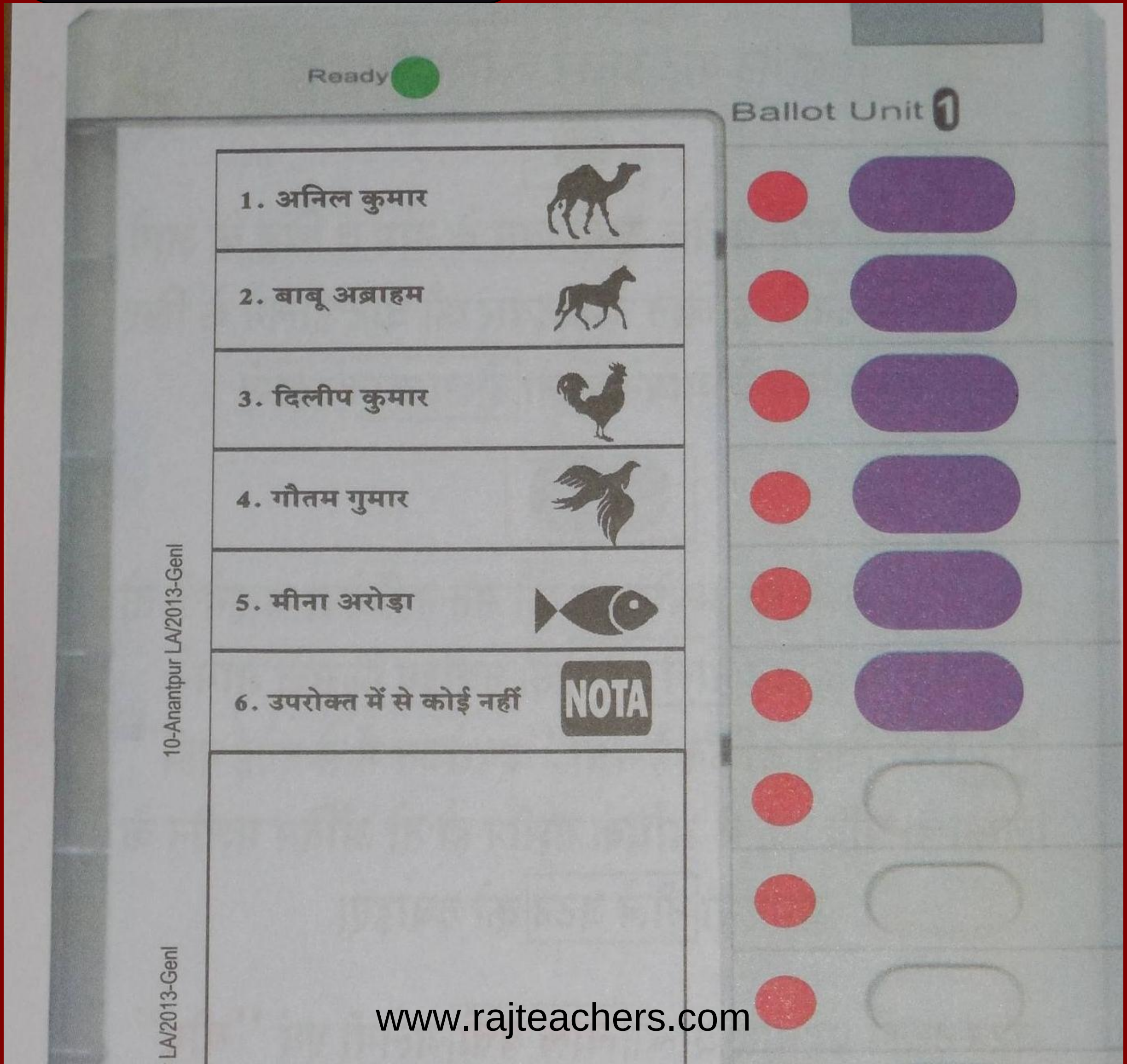

कंट्रोल यूनिट

कन्ट्रोल युनिट के पिछले भाग में अंकित युनिट संख्या एवं एड्रेस टैग पर अंकित युनिट संख्या का अवश्य मिलान कर लेवें, ये दोनों समान होने चाहिये।

www.rajteachers.com

कंट्रोल यूनिट

प्लग लगाने के बाद साथ में लगे स्विच को ऑन करें।

हरी बत्ती

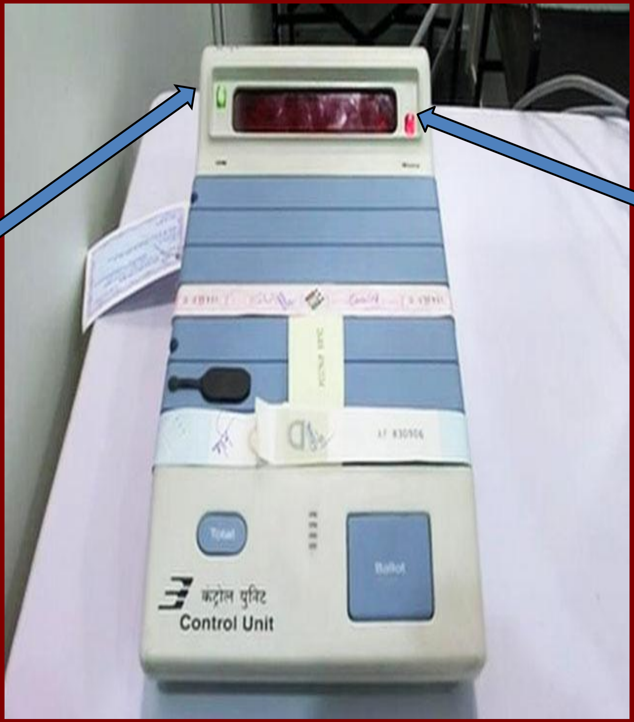

लाल बत्ती

इससे बैलट युनिट कन्ट्रोल युनिट व VVPAT चालू हो जावेंगे तथा कन्ट्रोल युनिट के डिस्प्ले स्क्रीन के पास हरी बत्ती एवं लाल बत्ती जल जाएगी तथा प्रदर्शन खण्ड में सूचनाए प्रदर्शित हो जायेगी । इस समय VVPAT में सिस्टम की स्वत: जांच होगी व जांच की 7 स्लिप VVPAT में प्रिंट होंगी |

कंट्रोल यूनिट में सूचनाओं का प्रदर्शन

2018

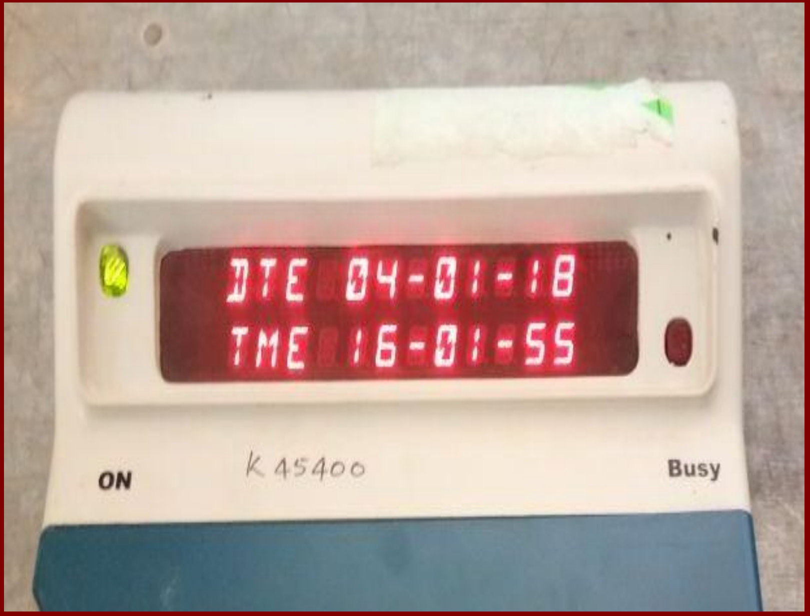

(1) ई वी एम ऑन

(2)दिनांक और समय

www.rajteachers.com

(3) CU क्रमांक

(4) उम्मीदवारों की संख्या

(5) बैटरी की क्षमता

www.rajteachers.com

कंट्रोल यूनिट

2018

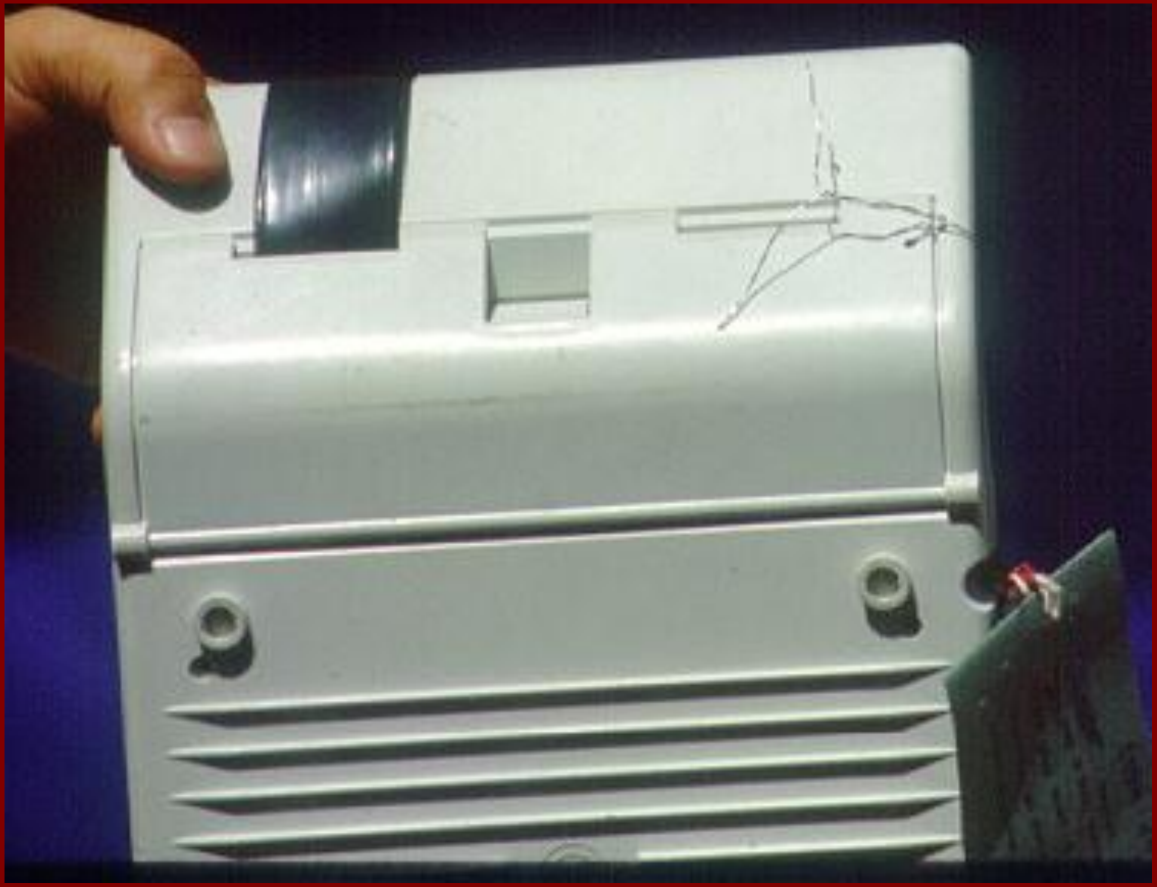

इसके बाद पिछले ढक्कन को बन्द कर दें एवं उसे तार से बाँध कर बन्द कर दें अभी इसे सील नहीं करना है।

मतदान प्रारम्भ के पूर्व

- मतदान के दिन, मतदान प्रारम्भ होने के 60 **मिनट** पूर्व आपको मशीन की तैयारी प्रारम्भ कर देनी है। मशीन को मतदान के लिये तैयार करने के पूर्व आपको वहां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष एक बार नमूने के तौर पर मतदान की प्रक्रिया को प्रदर्शित करना है **यदि** मतदान अभिकर्ता **उपस्थित नहीं हुए हों तो 15 मिनट इन्तजार के बाद प्रक्रिया अनिवार्यतः प्रारम्भ कर दी जायेगी।**
- अभिकर्ताओं को यह भी स्पष्ट रूप से दिखलाना होगा कि मतदान प्रारम्भ करने के समय इस मशीन में पहले से कोई मत अंकित किये हुये नही है। **और** VVPAT **का प्रिंटिंग स्लिप ड्राप बॉक्स खाली है**
- नमूने के मतदान में कम से कम 50 वोट डाले जावें और जिसमें सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में **समान** वोट होने चाहिए।

नमूने मतदान हेतु काम में लिए गये बटनों का क्रम

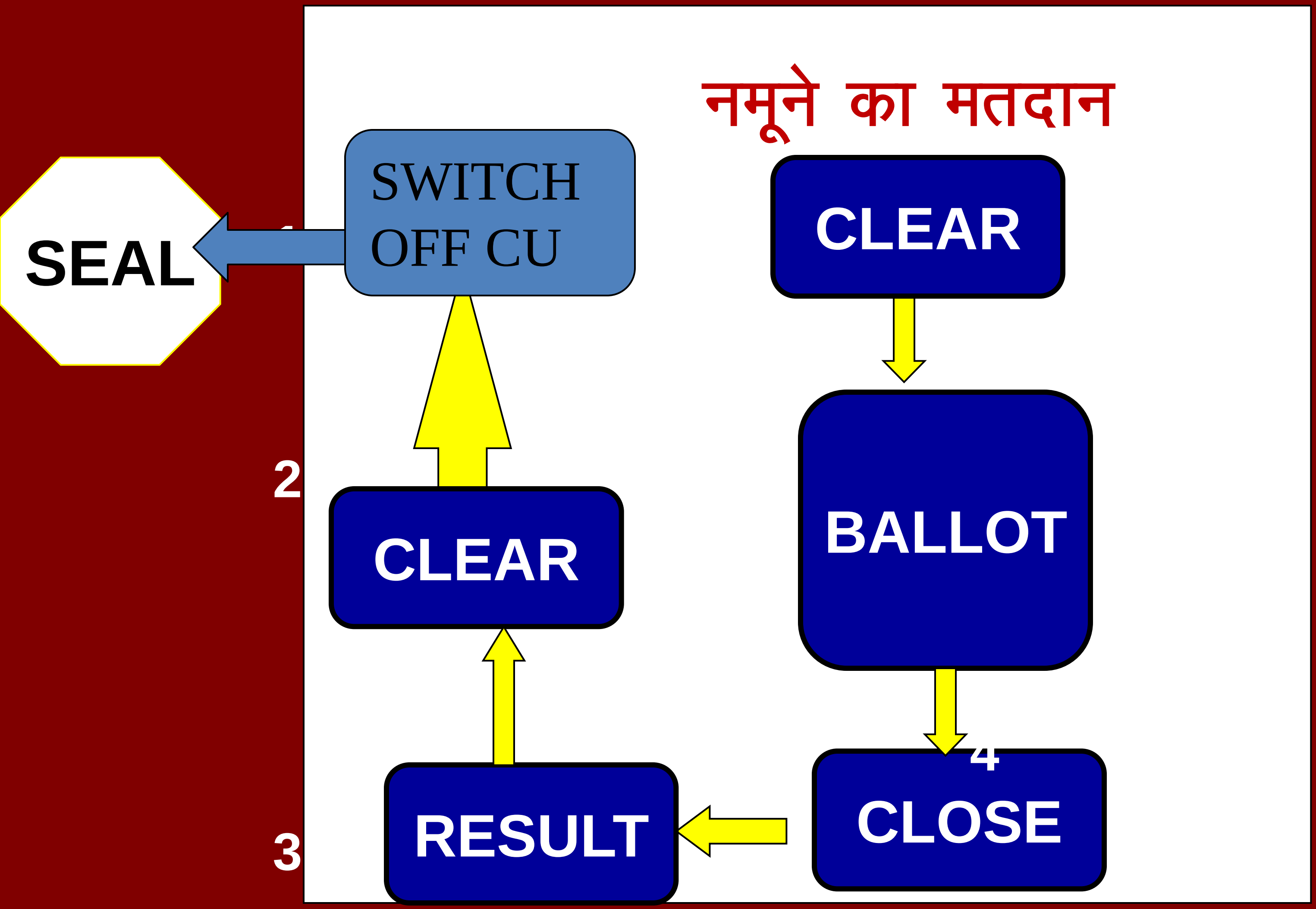

नमूने के मतदान की प्रक्रिया

- इसके लिये आपको सबसे पहले ''क्लीयर'' बटन दबाना है।
- क्लीयर बटन दबाकर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को बताए कि मशीन में कोई मत रिकॉर्ड नहीं है।

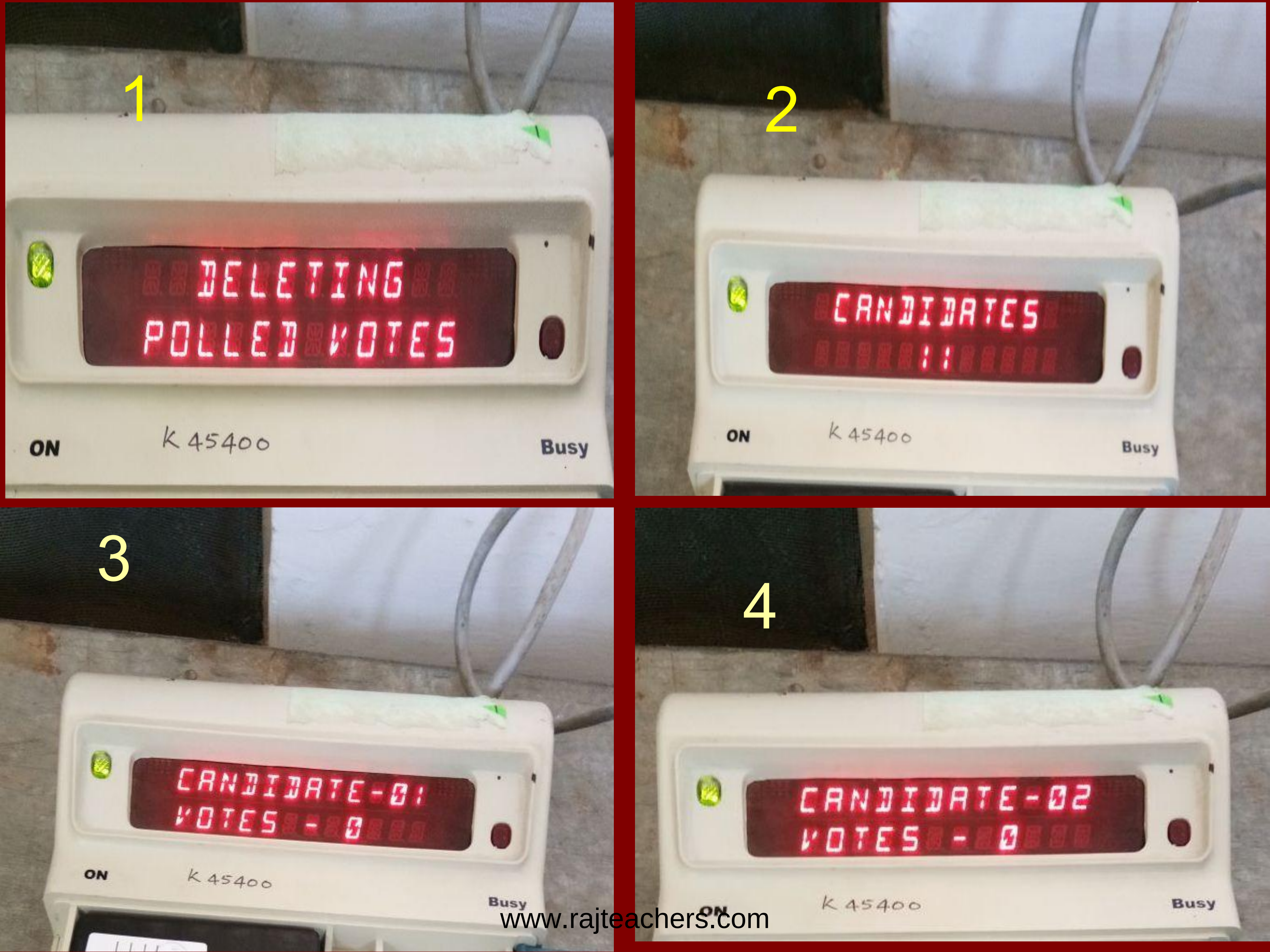

www.rajteachers.com

इसी प्रकार सभी उम्मीदवारों को मतों की संख्या शून्य प्रदर्शित करेगी अब नीचे की ओर नीले रंग का बटन जिस पर 'बैलट' लिखा हुआ है, जिसे दबाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा बैलट जारी किया जाता है।

बैलेट बटन दबाने पर BU में हरी बत्ती जल जायेगी और VSDU में बिजी लेम्प जलने लगेगा अर्थात मशीन मतदान हेतु तैयार है|

सम्बन्धित उमीदवार के सामने का नीला बटन दबाने पर BU में लाल बत्ती जल जायेगी और VVPAT में सम्बन्धित उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह प्रिंट स्लिप पर प्रदर्शित होंगे|

यह सूचना 7 सैकंड तक प्रदर्शित होगी इसके बाद प्रदर्शित स्लिप VVPAT की स्लिप ट्रे में कट कर गिर जायेगी, और CU में बीप की आवाज सुनाई देगी तो मत देने की प्रक्रिया पूरी होगी |

यह प्रक्रिया न्यूनतम 50 वोट तक दोहराई जायेगी (किन्तु सभी उम्मीदवारों को समान मत दिए जायेंगे)|

वांछित संख्या में मत देने के बाद क्लोज बटन दबा कर मत प्रक्रिया समाप्त की जायेगी |

2018

मतदान के समय VVPAT का डिस्प्ले

कंट्रोल यूनिट

- क्लोज बटन दबाने पर निम्न सूचना डिस्प्ले होगी

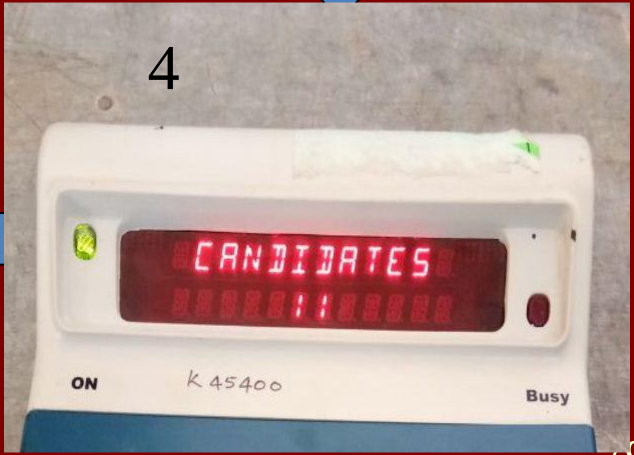

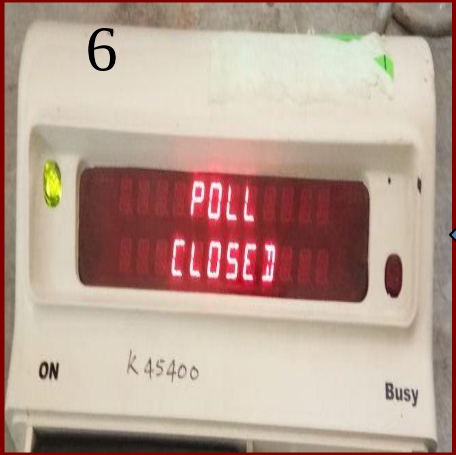

2018

रिजल्ट बटन

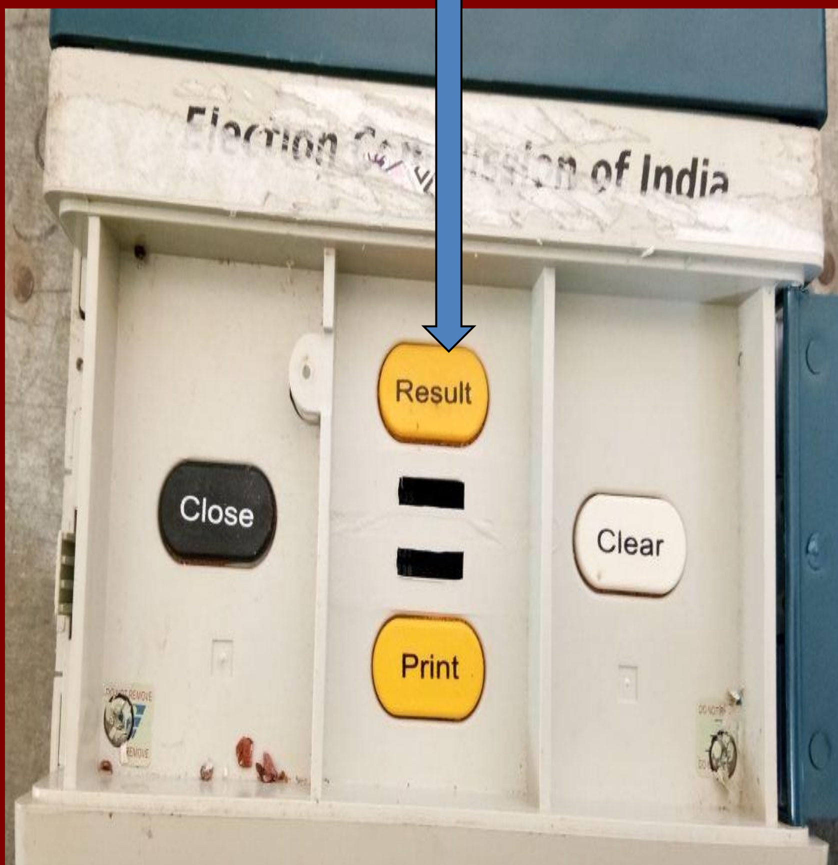

- परिणाम प्राप्त करने के लिए रिजल्ट बटन का प्रयोग किया जाता है |

रिजल्ट'' का बटन दबाने पर उम्मीदवारों की कुल संख्या,**मतदान प्रारम्भ करने का समय, मतदान समाप्ति का समय,**कुल डाले गये मतों की संख्या, एवं प्रत्येक उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या डिस्प्ले होती **है इसे नोट किया जावे |**

2018

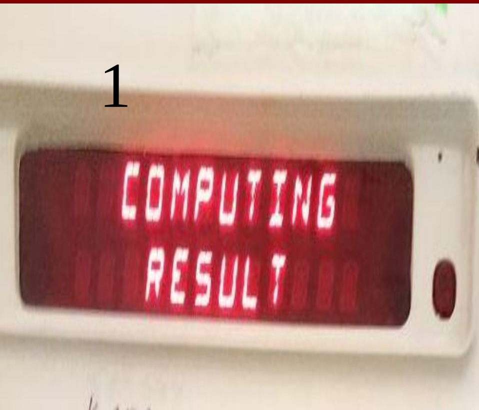
1
COMPUTING
RESULT

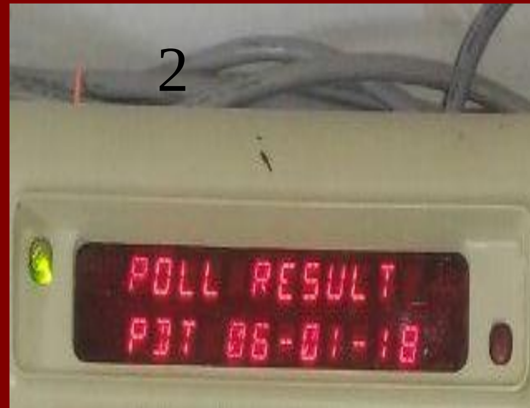
2
POLL RESULT
PDT 06-01-18

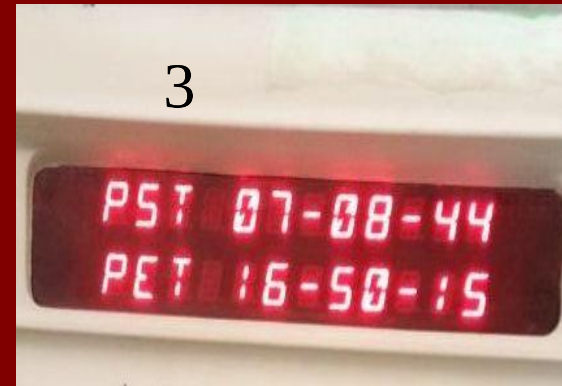
3
PST 07-08-44
PET 16-50-15

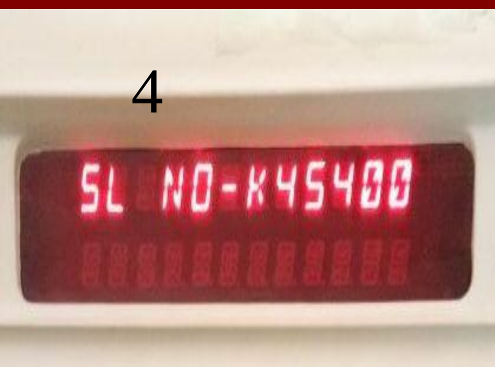
4
SL NO-K45400

5
CANDIDATES
11

6
TOTAL POLLED
VOTES - 770

7
CANDIDATE-04
VOTES - 2

8
END

2018

अब VVPAT का स्लिप ड्राप बॉक्स खोल कर सभी स्लिप निकाल कर इनकी गिनती की जाकर इसके परिणाम को कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणाम से मिलाया जावे|

NOT TO BE COUNTED

FALL DIAGNOSTICS REPORT

Sl.No: T00059 Session:04

Fall sensor

Emitter	Min	Typ	Max
TX Cur(mA)	5	30.0	40

Measured(mA): 13.86
Result: Pass

Detector	Min	Typ	Max
No Paper(mV)	380	400	420

Measured With Paper(mV): 30
Measured No Paper(mV): 391
Measured Differ(mV): 361
Pass Limit(mV): 100
Result: Pass

NOT TO BE COUNTED

DEPLETE DIAGNOSTICS REPORT

Sl.No: T00059 Session:04

Deplete Sensor

Emitter	Min	Typ	Max
TX Cur(mA)	5	11.00	35

Measured(mA): 12.05
Result: Pass

Detector	Min	Typ	Max
White(mV)	380	400	420

Measured(mV): 380
Result: Pass

NOT TO BE COUNTED

CONTRAST DIAGNOSTICS REPORT

Sl.No: T00059 Session:04

Contrast sensor

Emitter	Min	Typ	Max
TX Cur(mA)	5	12.00	35

Measured(mA): 14.57
Result: Pass

Detector	Min	Typ	Max
White(mV)	300	315	330

Measured(std)(mV): 300
Measured white(mV): 257.4
Measured Black(mV): 11.4
Measured CR: 22
Pass Limit: >=20
Result: Pass

NOT TO BE COUNTED

LENGTH DIAGNOSTICS REPORT

Sl.No: T00059 Session:04

Length Sensor

Emitter	Min	Typ	Max
TX Cur(mA)	5	11.00	35

Measured(mA): 11.86
Result: Pass

Sensor	Min	Typ	Max
White(mV)	380	400	420
Len(mm)	095	099	103

Measured White(mV): 413
Measured Black(mV): 28
Measured Contrast: 14
Measured Len: 99 mm
Contrast Pass Lt: 10
Res: Cntrst:Pass,Len:Pass

NOT TO BE COUNTED

BATTERY REPORT

Sl.No: T00059 Session:04

Battery

	No_load	Full_load	Diff
Volt(V):	18.5	9.7	8.8
Cur(A):	0.07	2.94	2.87

Measured Impedence(ohm): 3.06
Pass Limit(ohm): 3.50
mAH for Postslip: 1.07
Result: Pass

NOT TO BE COUNTED

VVPAT UNIT POST REPORT

Version No: 10. 42

Canditate set: 11

Sl.No: T00059 Session:04

1.VVPAT Error History: Absent
2.Paper Under Head:Present
3.Printer Head Temperature:Ok
4.Platen:Closed
5.Length Sensor Std:Passed
6.Fall Sensor Std:Passed
7.Contrast Sensor Std:Passed
8.Deplete Sensor Std:Passed

NOT TO BE COUNTED

FALL DIAGNOSTICS REPORT

Sl.No: T00059 Session:04

Fall sensor

Emitter	Min	Typ	Max
TX Cur(mA)	5	30.0	40

Measured(mA): 13.86
Result: Pass

Detector	Min	Typ	Max
No Paper(mV)	380	400	420

Measured With Paper(mV): 30
Measured No Paper(mV): 391
Measured Differ(mV): 361
Pass Limit(mV): 100
Result: Pass

DIAGNOSTICS REPORTS
गणना में शामिल नहीं करनी हैं

www.rajteachers.com

मतगणना की स्लिप

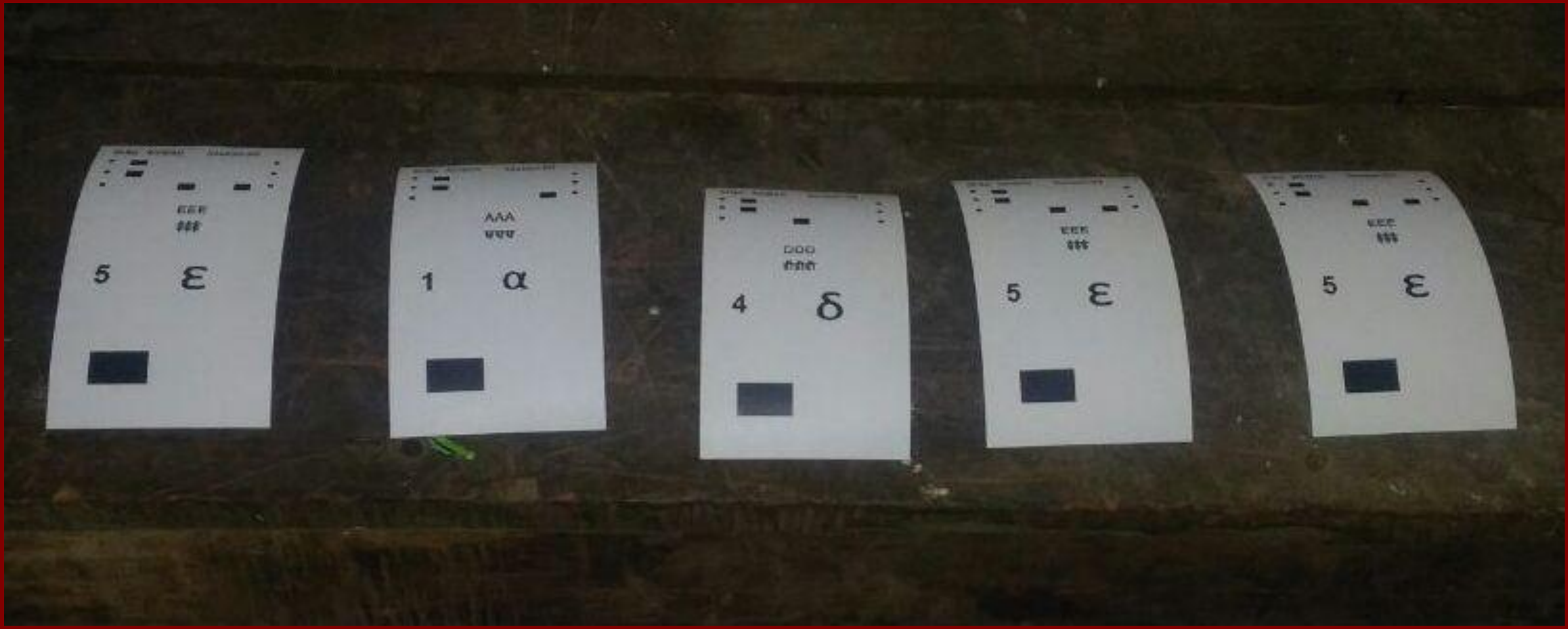

मौक पोल के समय प्राप्त सभी स्लिप के पिछले हिस्से पर मौक पोल स्लिप की मुहर लगा कर इन्हें काले लिफ़ाफ़े में रख कर (लिफ़ाफ़े पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित कर) सीलबंद किया जाएगा इस पर पीठासीन अधिकारी व पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करेंगे|

अब इस लिफ़ाफ़े को इसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु बने प्लास्टिक के डिब्बे में रख कर इस पर सभी सूचनाएं अंकित करते हुए पिंक पेपर सील से सील बंद किया जाएगा | पिंक पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट अपने हस्ताक्षर करेंगे

इसके बाद एड्रेस टेग पर सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर VVPAT का प्रिंटिंग स्लिप ड्राप बॉक्स सील किया जाएगा |

VVPAT प्रिंटिंग स्लिप ड्राप बॉक्स सील करें

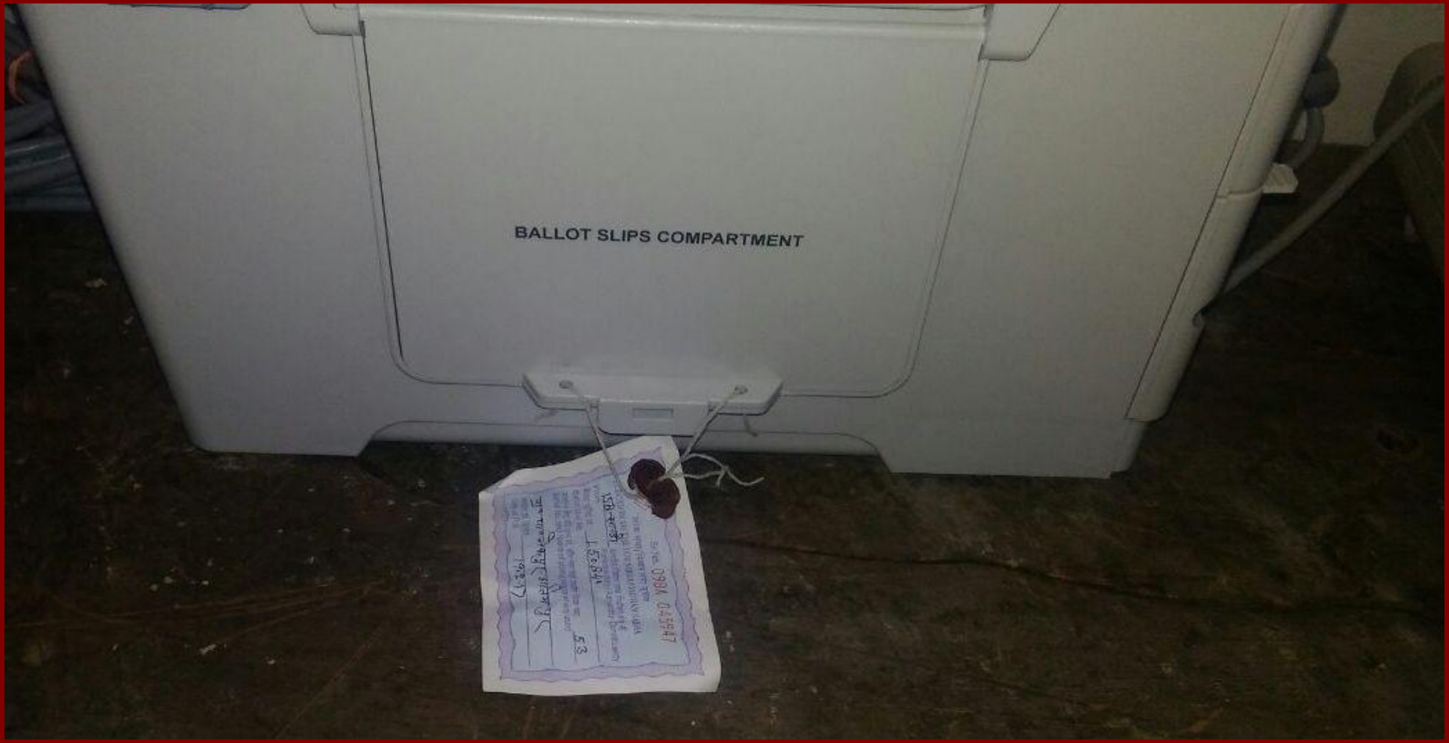

नमूने मतदान हेतु कामे में लिए गये बटनों का क्रम

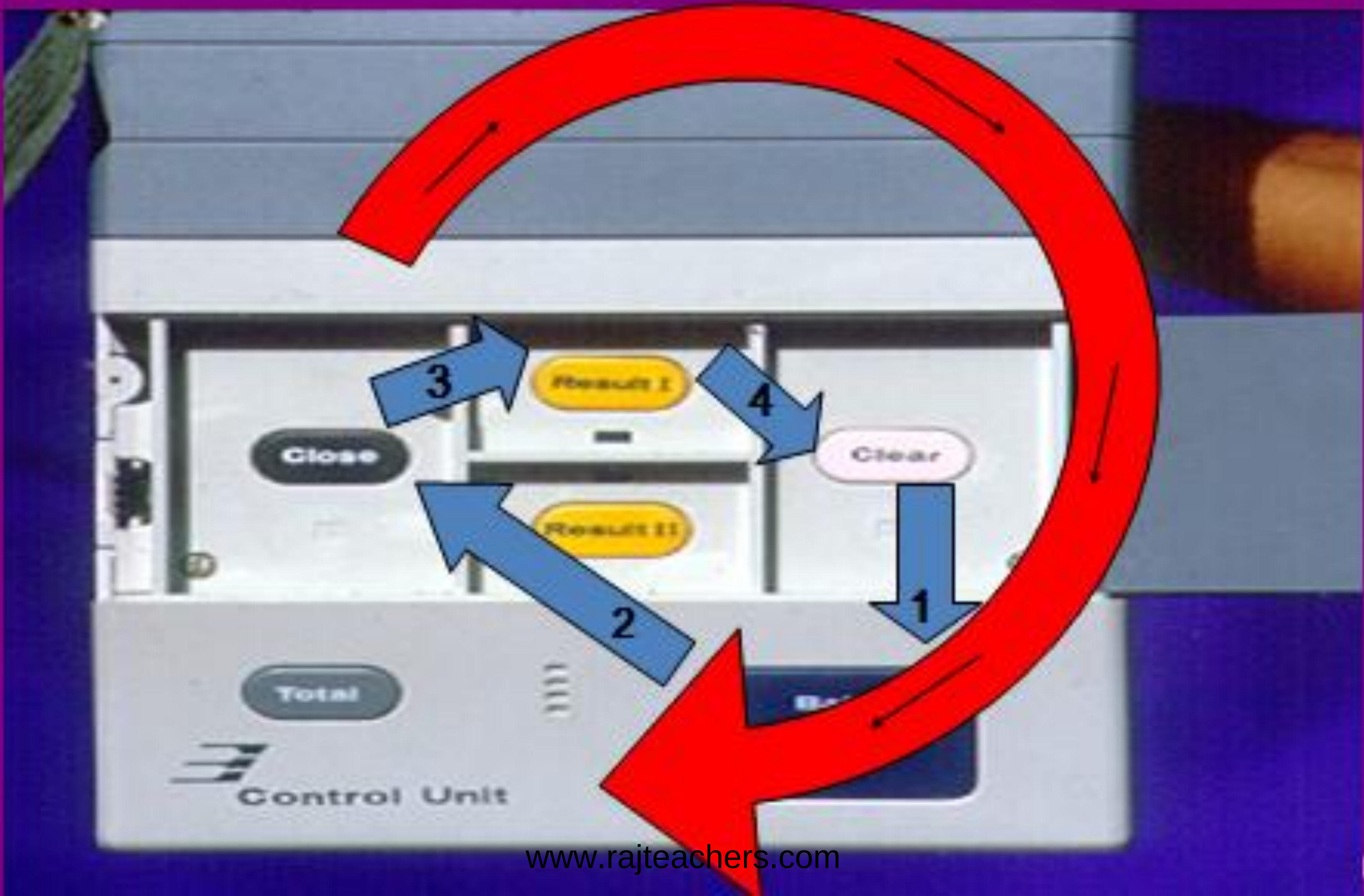

www.rajteachers.com

मौक पोल के बाद वास्तविक मतदान हेतु ई वी एम सील करने के चरण

2018

SEAL

MOCK POLL
नमूने का मतदान

SWITCH OFF

www.rajteachers.com

कन्ट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना

2018

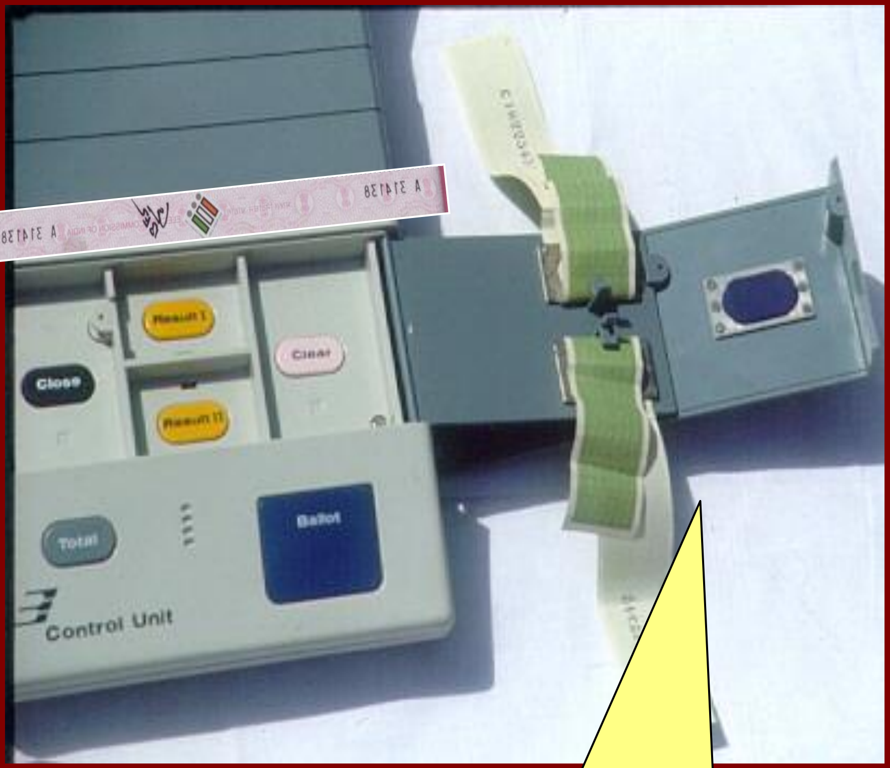

ग्रीन पेपर सील

- परिणाम खण्ड के आन्तरिक द्वार के फ्रेम के दोनों छिद्रों पर अलग–अलग ग्रीन पेपर सील लगायें।

  पेपर सील इस प्रकार लगाई जायेगी की उसका हरा भाग छेद में से बाहर की ओर दिखता रहे।

- ग्रीन पेपर सील की परतों के बीच एक–एक गत्ता भी सील को मजबूती प्रदान करने के लिए लगायें।

कन्ट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना

2018

- आन्तरिक द्वार के कवर को बन्द कर दें तथा यह सुनिश्चित करें कि ग्रीन पेपर सील के दोनों किनारे बाहर की ओर निकल रहे है जैसा कि दिखाया गया है।
- पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील के सफेद हिस्से पर अपने हस्ताक्षर करेगें।
- अभ्यर्थी अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी उस पर हस्ताक्षर करने को कहें यदि वे ऐसा करना चाहे तो उन सभी के हस्ताक्षर ग्रीन पेपर सील के मध्य करावें।
- उपयोग में ली गई ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या मतपत्र लेखा प्रपत्र 17 ग में नोट कर लें।

www.rajteachers.com

स्पेशल टैग

- कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी द्वार को सील करने के लिए स्पेशल टैग का प्रावधान है।
- प्रत्येक स्पेशल टैग पर एक विशिष्ट क्रम संख्यांक सामने की तरफ नीचे अंकित है जो 00001 से 99999 हो सकते हैं। राज्य का कोड (आर.जे.–राजस्थान) क्रम संख्यांक के आगे लिखा होगा।
- स्पेशल टैग का क्रम संख्या अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं को नोट करने दें।
- सी.यू. नम्बर............क्रम संख्यांक के उपर छपा है, जहाँ पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का पहचान नम्बर स्पेशल टैग पर लिखेगा।

स्पेशल टैग के सामने का भाग

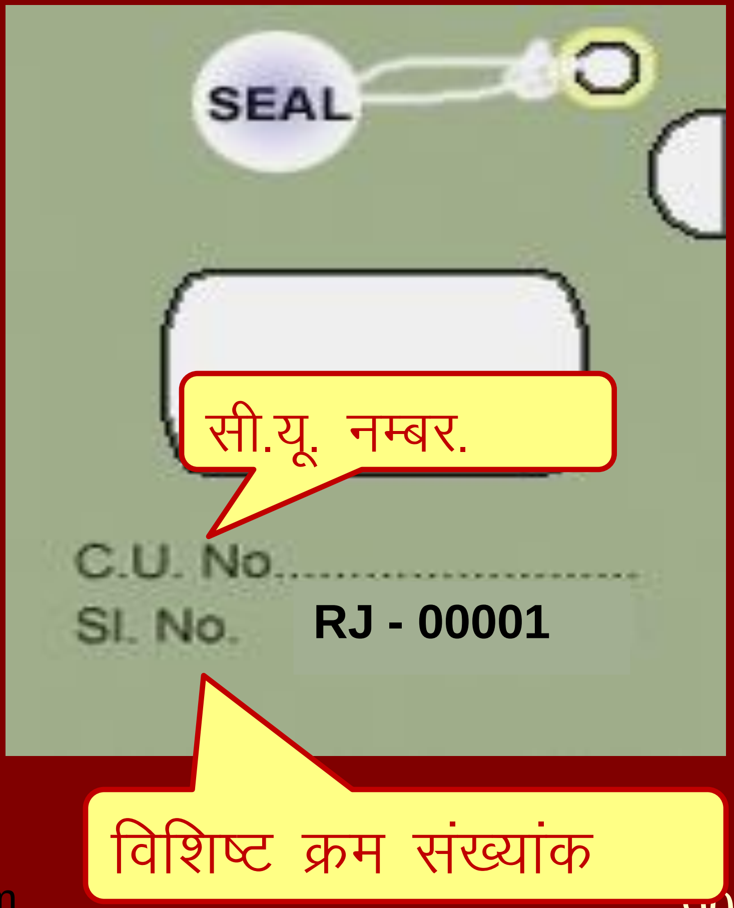

www.rajteachers.com

स्पेशल टैग

- टैग के पिछले भाग पर पीठासीन अधिकारी एवं अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र पर मौजूद है, हस्ताक्षर करेगें।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो या तीन विशेष टैग दिये जायेगें।
- धागे को स्पेशल टैग की धातु रिंग में से निकाल कर गाँठ लगाए एवं स्पेशल टैग पर गाँठ को चपड़ी की सहायता से सील कर पीठासीन अधिकारी की मोहर लगावें।

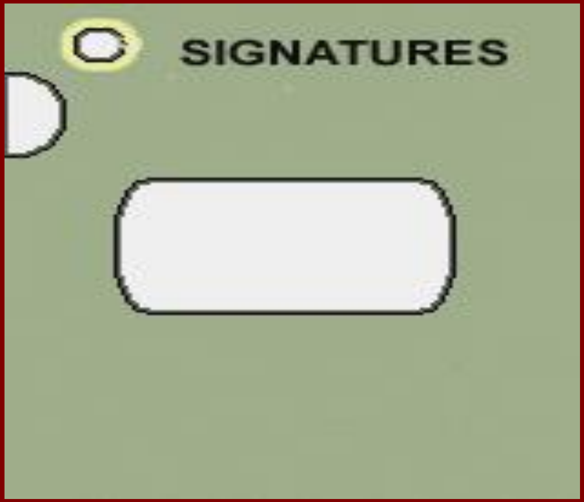

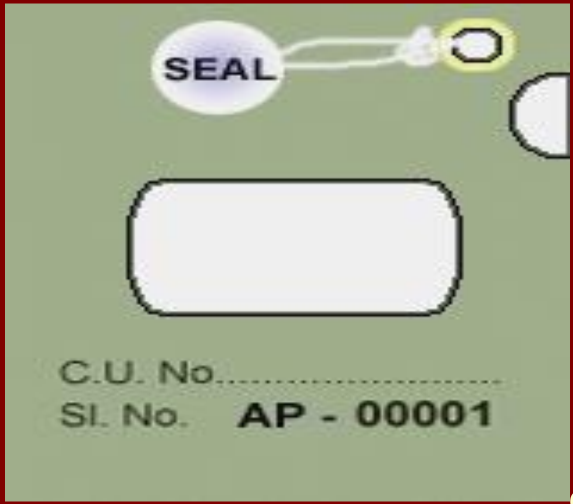

www.rajteachers.com

क्लोज बटन पर सीलड स्पेशल टैग को रखना

2009

- परिणाम खण्ड को सील करने के बाद क्लोज बटन पर स्पेशल टैग का कटा हुआ भाग इस प्रकार फिट करें कि क्लोज बटन दिखता रहे।
- सीलिंग के पश्चात् स्पेशल टैग को क्लोज बटन पर समायोजित कर दे।
- **क्लोज** बटन स्पेशल टैग के कटे हुये भाग से दिखना चाहिये।

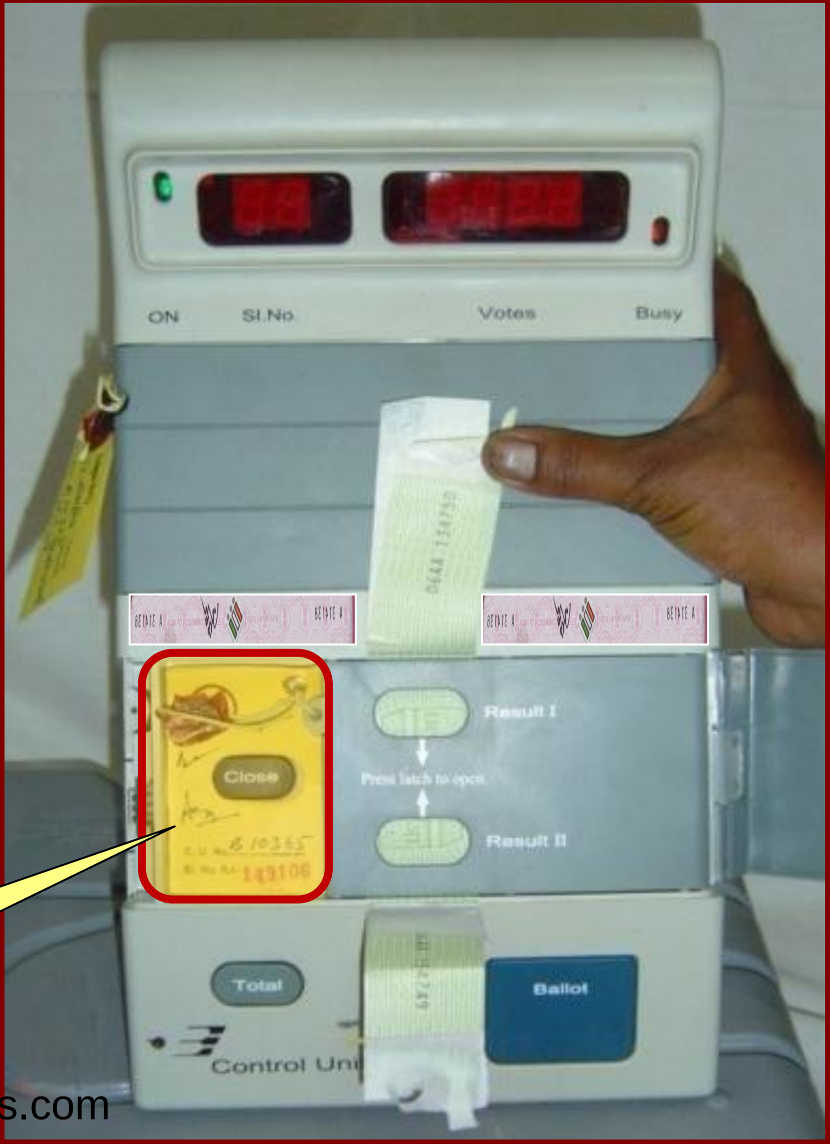

स्पेशल टेग

www.rajteachers.com

कन्ट्रोल यूनिट –क्लोज बटन पर फिक्स किया हुआ स्पेशल टैग

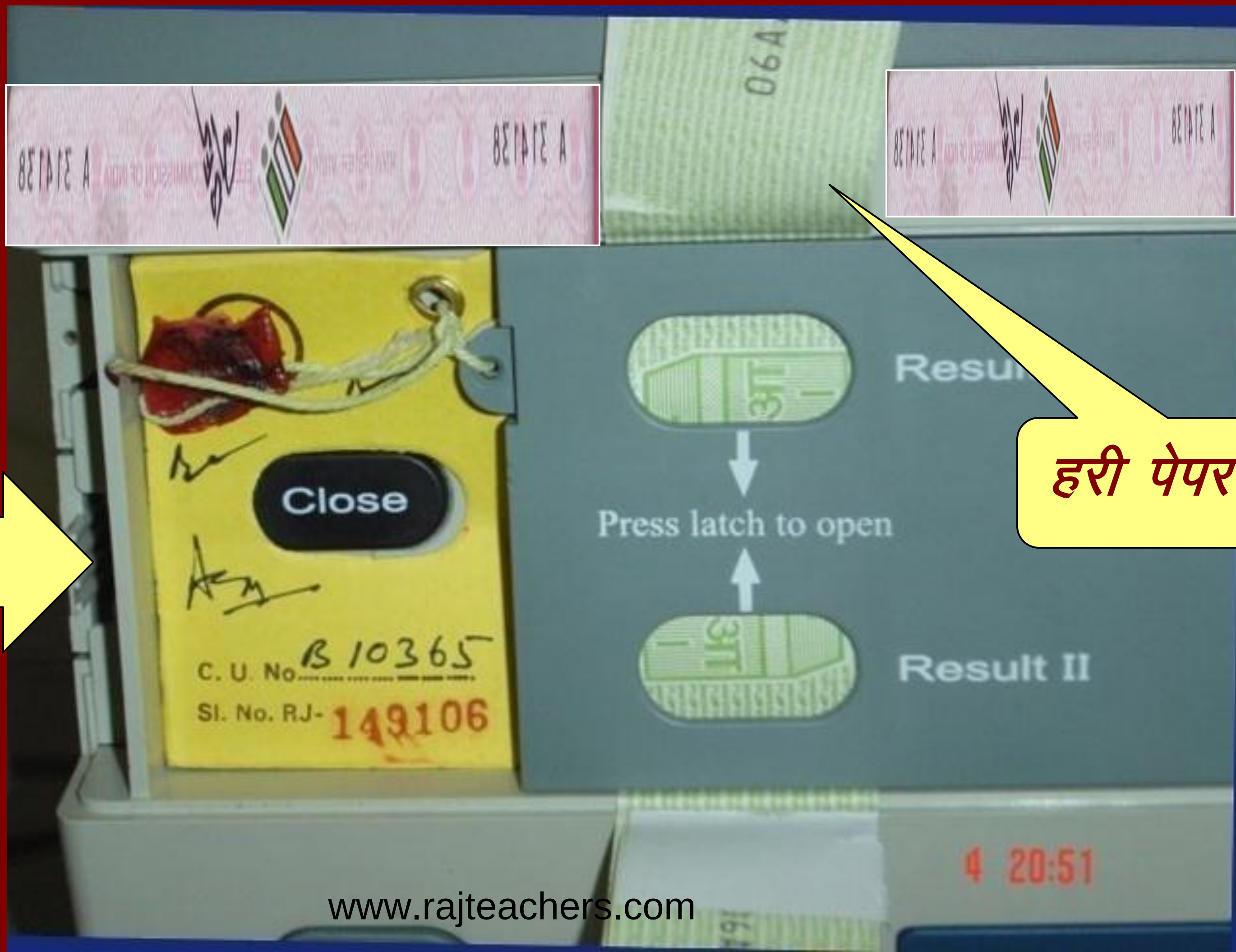

स्पेशल टैग

हरी पेपर सील

www.rajteachers.com

स्ट्रिप सील

- मतदान शुरू करने से पूर्व कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को स्ट्रिप सील से सील किया जाता है।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र को चार स्ट्रिप सील दी जायेगी।
- स्ट्रिप सील 23.5 इंच लम्बी एवं 1 इंच चौड़ी कागज की पट्टी है जिसे कन्ट्रोल यूनिट की चौडाई पर लपेटा जाता है।

www.rajteachers.com

स्ट्रिप सील

- प्रत्येक सील का विशिष्ट पहचान नम्बर होता है।
- स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर चार स्टीकर लगे हुऐ है, इनमें से **A B D** आन्तरिक परत पर तथा **C** स्टीकर बाहरी परत पर लगा होगा।

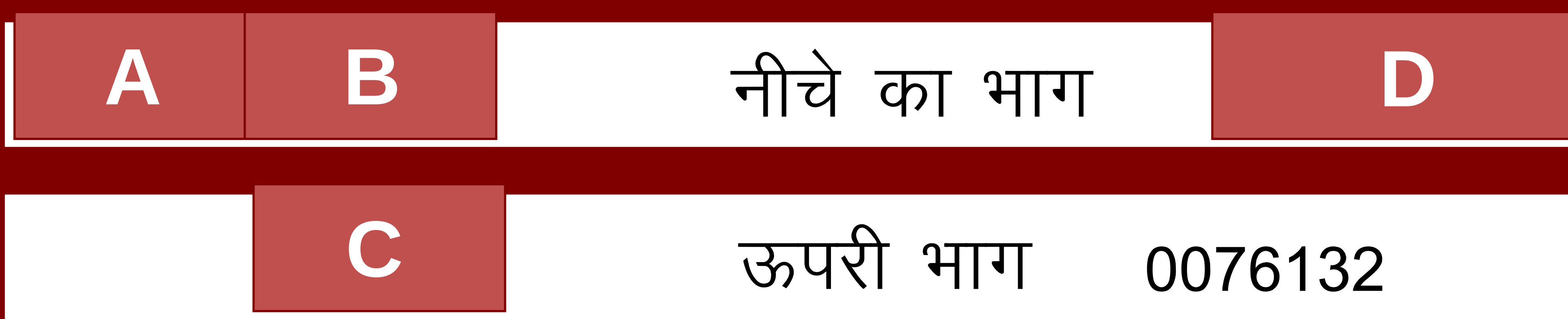

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (1)

2009

- परिणाम खण्ड का बाहरी द्वार बन्द कर दे तथा ग्रीन पेपर सील के दोनों किनारे बाहर निकले रहने दें।
- पहले बाहरी दरवाजे पर एड्रेस टैग बांध कर सील करें।

www.rajteachers.com

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (2)

2009

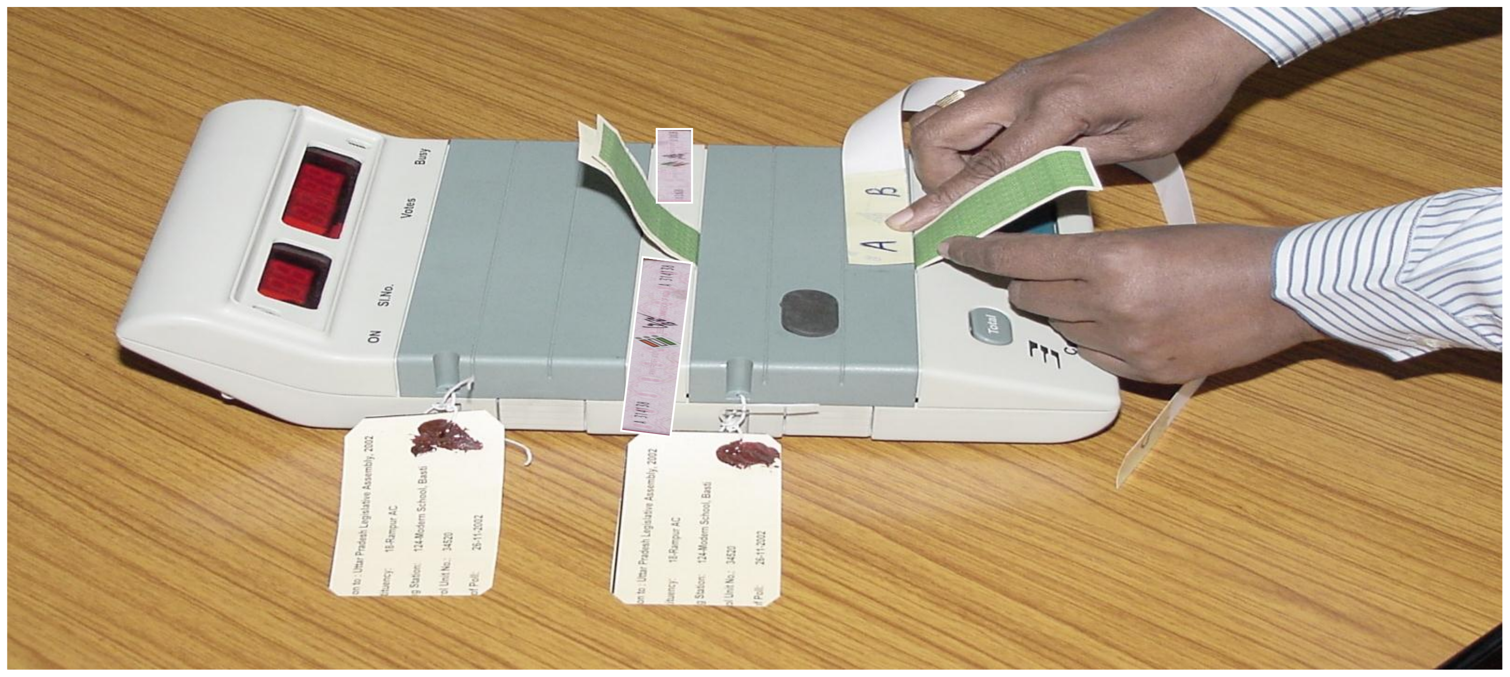

- स्ट्रिप सील का पूर्व गोंद लगा ।भाग ग्रीन पेपर सील के आधार भाग पर नीचे की ओर इस प्रकार रखें कि यह क्लोज बटन कवर के काले रबड़ के नीचे रहे एवं ।भाग दिखाई दें।
- इस ।भाग पर चिपकाया गया स्टीकर हटाकर नीचे वाली ग्रीन पेपर सील ।के ऊपर चिपका दें।

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (3)

2009

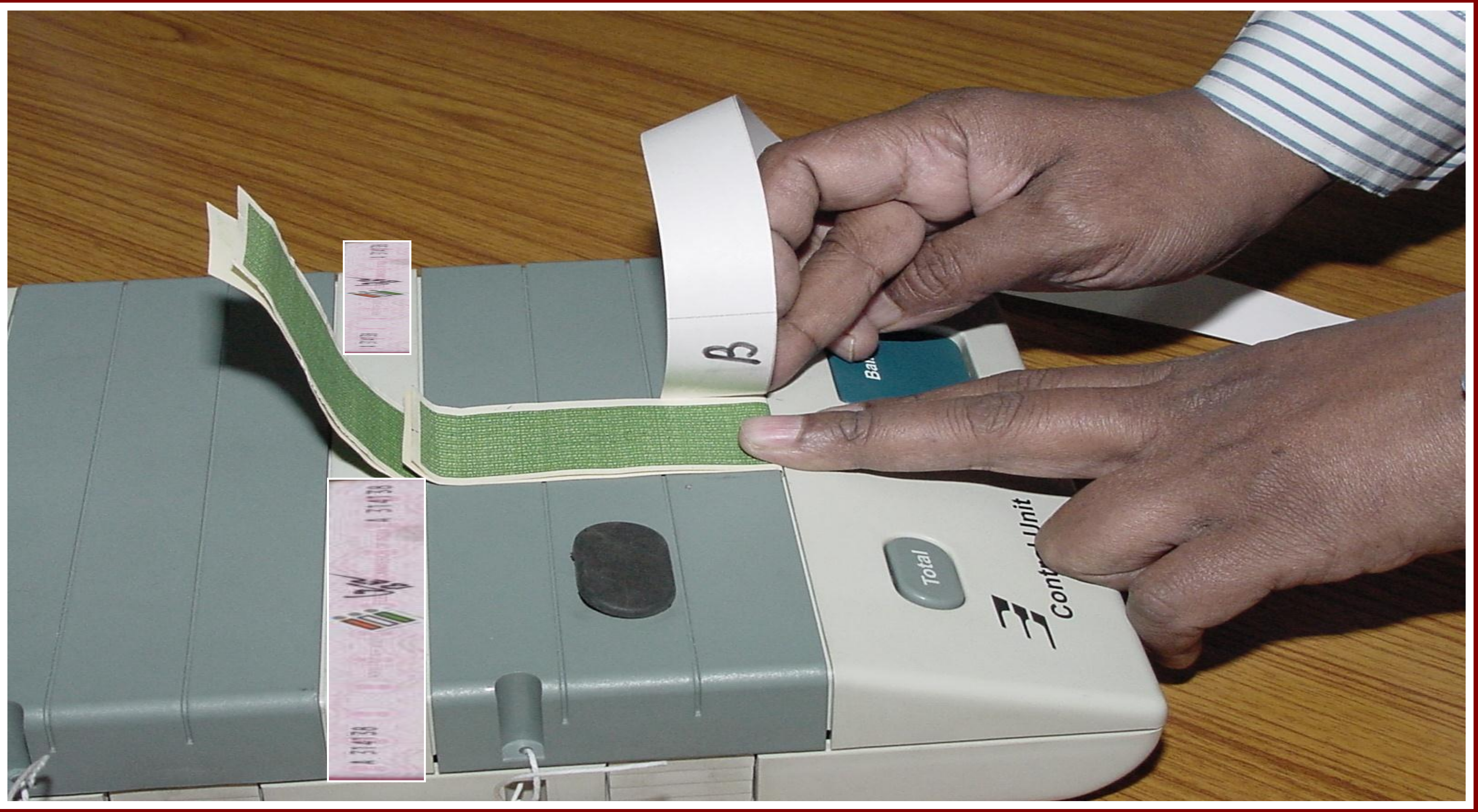

- **B** भाग पर लगे स्टीकर को हटाकर ग्रीन पेपर सील के ऊपर मोड़कर चिपका दें।

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (4)

2009

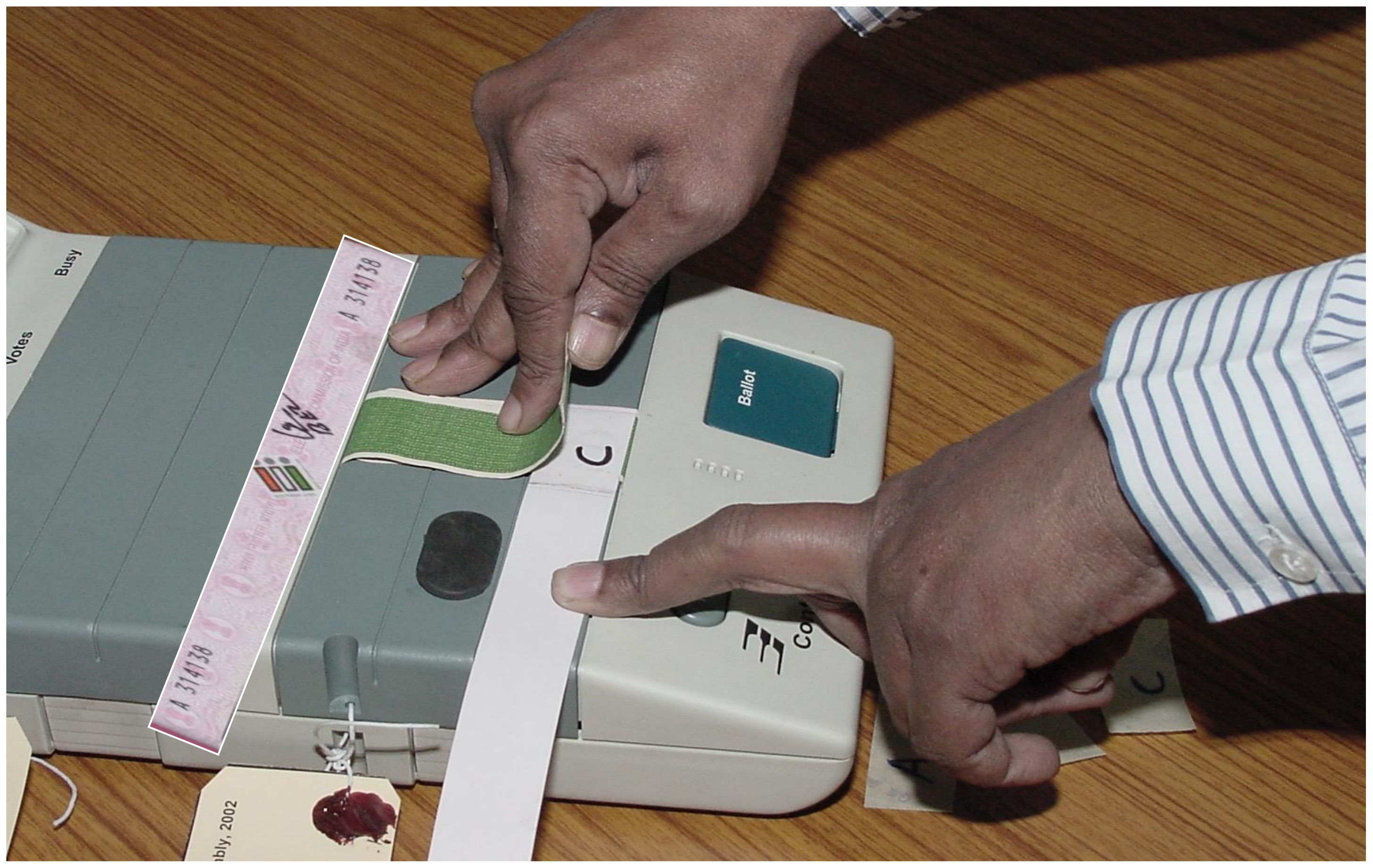

- इस C भाग पर चिपकाया गया स्टीकर हटाकर ऊपर वाली ग्रीन पेपर सील चिपका दें।

www.rajteachers.com

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (5)

2009

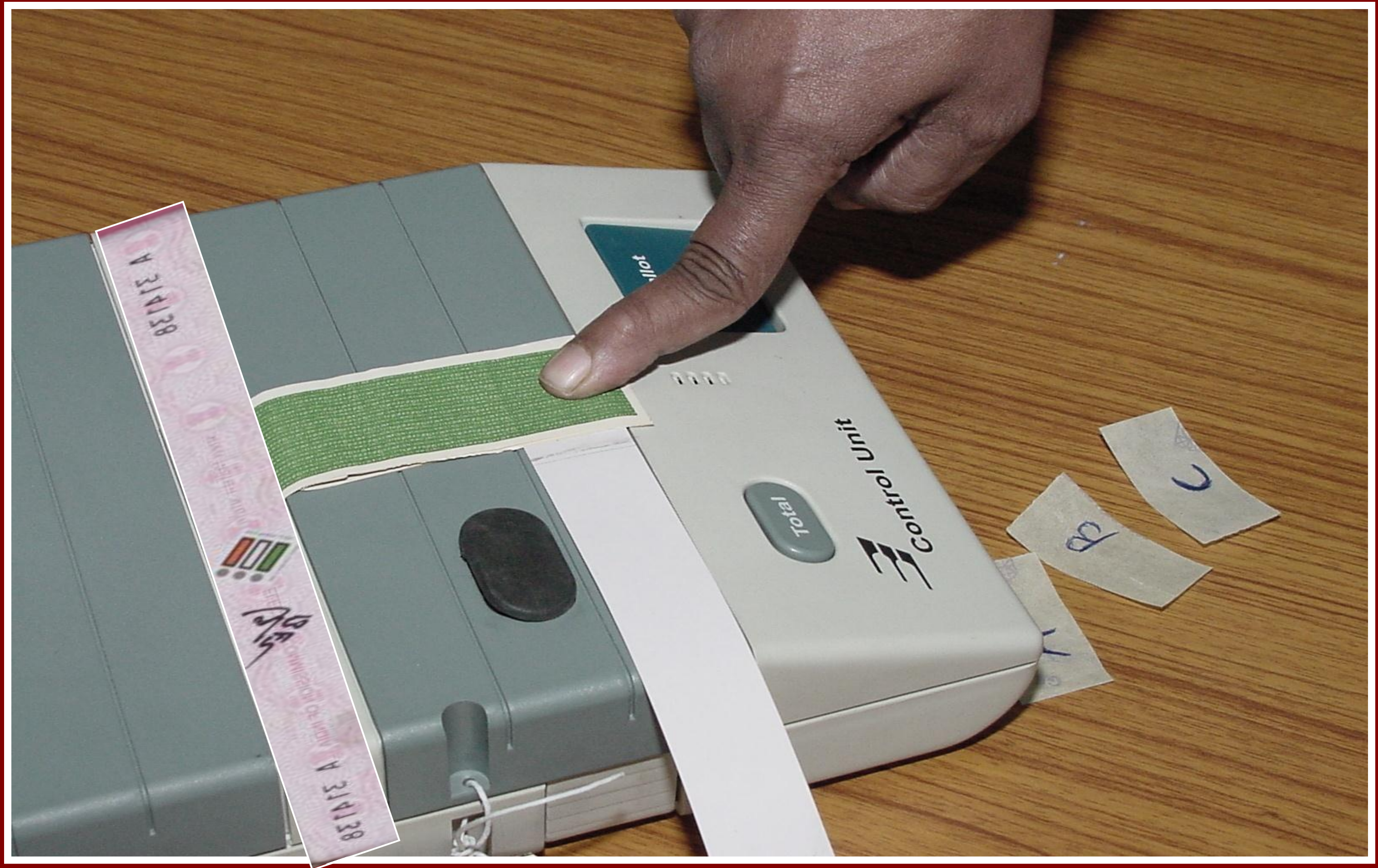

• इसे C भाग पर चिपका दें।

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (6)

2018

- अब स्ट्रिप को कन्ट्रोल यूनिट के बांयीं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दांयीं तरफ से ऊपर लावें।

www.rajteachers.com

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (7)

2018

- D वाला भाग जो अब नीचे हो गया है पर से चिपकाया गया स्टीकर ग्रीन पेपर पर चिपका दें।

www.rajteachers.com

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (8)

2018

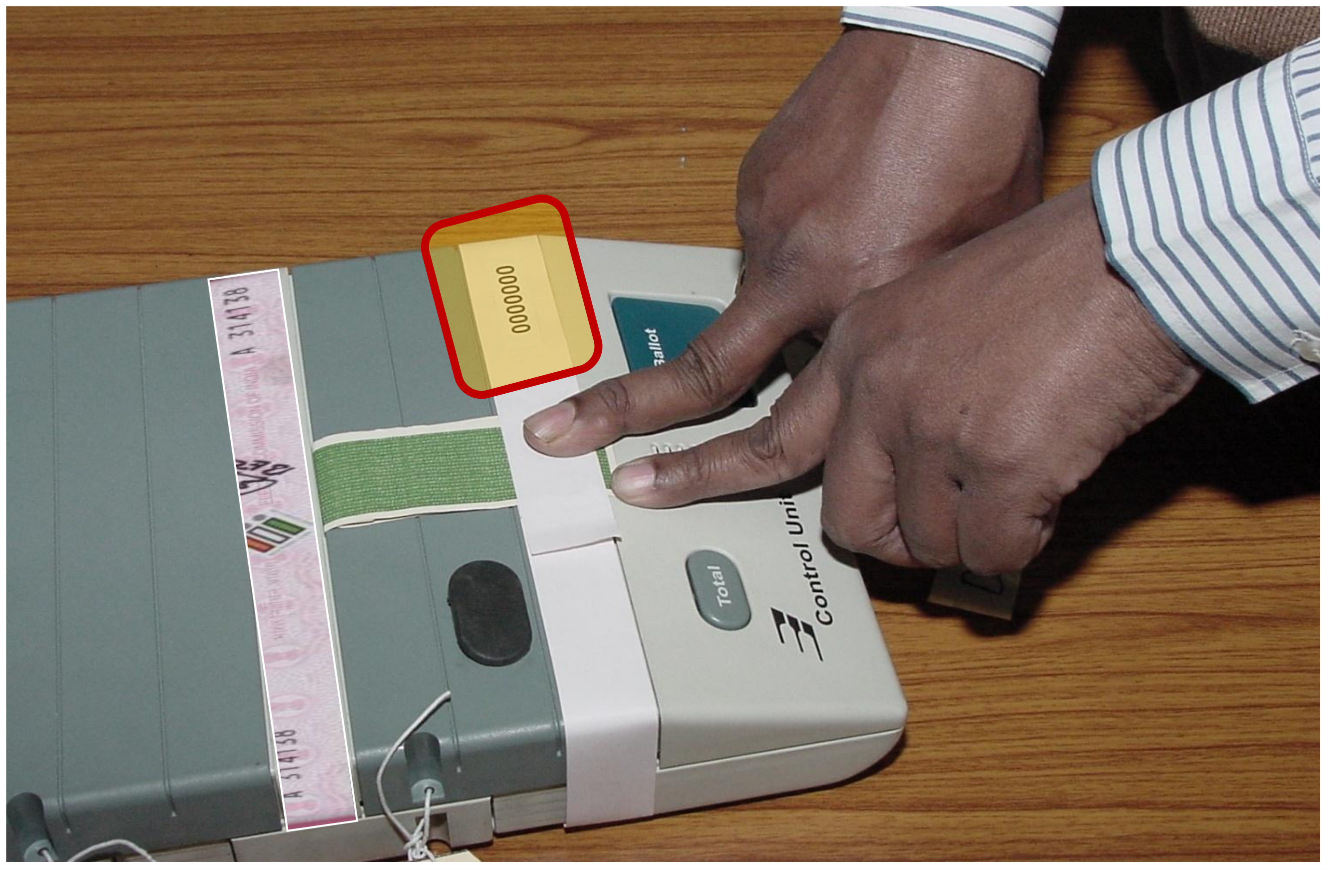

- अब स्ट्रिप सील फिक्स हो गयी है ध्यान रहें कि स्ट्रिप सील क्लोज बटन के रबड़ के ऊपर नहीं आयें। स्ट्रिप सील का क्रमांक ऊपर से दिखाई देगा।

www.rajteachers.com

स्ट्रिप सील – मुख्य बिन्दु

2018

- अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ताओं को स्ट्रिप सील का विशेष पहचान क्रमांक नोट करने दें।
- पीठासीन अधिकारी को दी गई स्ट्रिप सील का रिकॉर्ड रखना है। यदि कोई सील क्षतिग्रस्त हो गई है तो दूसरी सील काम में लें तथा क्षतिग्रस्त सील रिटर्निंग अधिकारी को वापस लौटायें।
- बाहरी कागज की स्ट्रिप सील से सील होने के बाद कन्ट्रोल यूनिट मतदान के लिए तैयार है।
- स्ट्रिप सील को मतदान के समय एवं मतदान समाप्ति के उपरान्त नहीं हटाया जावें। मतदान के उपरान्त सुरक्षित स्ट्रिप सील के साथ कन्ट्रोल यूनिट को कैरिंग बॉक्स में रखें ।

www.rajteachers.com

मौक पोल के पश्चात् वास्तविक मतदान की तैयारी

2018

VVPAT **से** VSDU **और** CU **को** परस्पर जोड़ने वाली **केबलों** को इस प्रकार समायोजित करें कि मतदाता उस पर से नहीं गुजरें।

- नियंत्रण यूनिट के पीछे के भाग को खोल कर पॉवर स्विच ऑन करें।
- नियंत्रण यूनिट के पीछे के भाग को तार से बन्द करें।
- टोटल बटन दबाकर यह सुनिश्चित करें एवं उपस्थित अभिकर्ताओं को दर्शायें कि वास्तविक मतदान से पहले इस में कोई मत दर्ज नहीं हैं।

www.rajteachers.com

मतदान प्रारम्भ

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

1. प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का भारसाधक होगा।
2. निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है।
3. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए।
4. सामान्यतः प्रत्येक मतदाता अपने साथ एक अशासकीय पर्ची लाता है जिस पर निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या और नाम हो सकता है जहां उसे मत देना है।
5. अशासकीय पर्ची में किसी अभ्यर्थी या उसके दल या उसको आवंटित प्रतीक चिन्ह नहीं छपा हो।
6. अशासकीय पहचान पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता करेगी।
7. प्रशासन द्वारा शासकीय पहचान पर्ची (Voter Slip) वितरित की जायेगी, जिससे भी पहचान की जा सकती है। पहचान के लियें केवल वोटर स्लिप लाना ही पर्याप्त नहीं है, मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है।

www.rajteachers.com

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

8. प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टी की क्रम संख्या को पढ़ेगा।
9. उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टी से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके की पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता हैं।
10. प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती।
11. प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात् उसका नाम अंडर लाइन नहीं करेगा अपितु फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा।
12. महिला मतदाता के नाम के आगे टिक मार्क [✓] नहीं करना है अपितु उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला [round] बना देना है।

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

13. जिन मतदाताओं की पहचान फोटो पहचान पत्रा के आधार पर की जावेगी उनके नाम के बांयी और E अंकित किया जायेगा।
14. यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान का पूरा समाधान नहीं कर पाता है तो उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगें।
15. पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं की संक्षिप्त जांच करेंगें।
16. अल्प आयु के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किये जायेगें।
17. यदि मतदाता की पहचान को चुनौती देनी है तो इसी स्तर पर दी जानी चाहिये।
18. इस बार निर्वाचन में फोटो युक्त मतदाता सूचियों का उपयोग किया जायेगा। यदि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता का फोटो या उसकी आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परन्तु एसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।

www.rajteachers.com

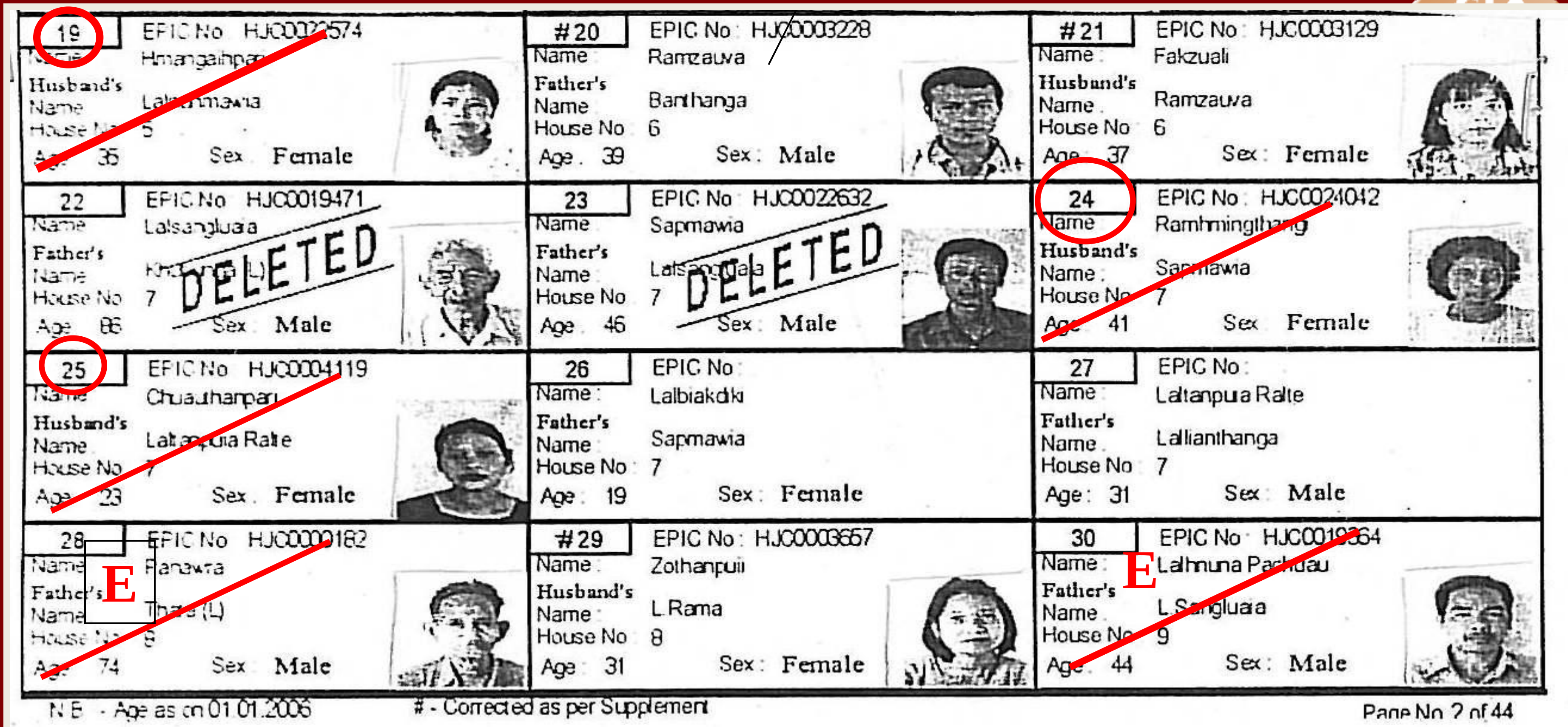

No.	EPIC No	Name	Relation	Relative's Name	House No	Age	Sex	Mark
19	HJC0022574	Hmangaihpar	Husband's Name	Lalhmawia	5	35	Female	
#20	HJC0003228	Ramzauva	Father's Name	Banthanga	6	39	Male	
#21	HJC0003129	Fakzuali	Husband's Name	Ramzauva	6	37	Female	
22	HJC0019471	Lalsangluaia	Father's Name	Khawnga (L)	7	86	Male	DELETED
23	HJC0022632	Sapmawia	Father's Name	Lalsangluaia	7	46	Male	DELETED
24	HJC0024042	Ramhmingthangi	Husband's Name	Sapmawia	7	41	Female	
25	HJC0004119	Chuauthanpari	Husband's Name	Laltanpuia Ralte	7	23	Female	
26		Lalbiakdiki	Father's Name	Sapmawia	7	19	Female	
27		Laltanpuia Ralte	Father's Name	Lallianthanga	7	31	Male	
28	HJC0000182	Fanewra	Father's Name	Thanga (L)	8	74	Male	E
#29	HJC0003657	Zothanpuii	Husband's Name	L.Rama	8	31	Female	
30	HJC0019364	Lalhmuna Pachuau	Father's Name	L.Sangluaia	9	44	Male	E

N.B. - Age as on 01.01.2006   # - Corrected as per Supplement   Page No 2 of 44

निर्वाचक नामावली में चिन्हों के नमूने

द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

1. द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का भारसाधक होगा।
2. इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी।
3. जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट स्याही का चिन्ह तो नहीं है ।
4. मतदाता की बायीं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के (रिज़) युग्म पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा।

5 मतदाताओं के रजिस्टर 17क में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा एवं मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेगा।

6 मतदान रजिस्टर **17 क** में EPIC के आधार पर मतदान किए जाने वाले मतदाता के रिमार्क कॉलम में EP **तथा** वोटर स्लीप के आधार पर मतदान किये जाने पर रिमार्क कॉलम में VS अंकित किये जायेंगे। मतदाता जो अन्य पहचान–दस्तावेज लाता है उसे दर्शाते हुए दस्तावेज के क्रमांक के अन्तिम चार डिजिट रजिस्टर 17–क के रिमार्क कॉलम में अंकित किये जायेंगे।

www.rajteachers.com

द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

6. मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है केवल निशान नहीं।

7. यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बांयें हाथ का अंगूठा लगवायें। यदि बांये हाथ का अंगूठा नहीं है तो दायें हाथ का अंगूठा लगवायें। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बांये हाथ की अंगुलियों की छाप लें यदि बांयें हाथ की अंगुलियां नहीं हो तो दायें हाथ की अंगुली की छाप लें यदि दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं है तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेनी चाहिये।

8. द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को मतदान पर्ची जारी करना अनिवार्य है, जिसमें वह 17 क रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा।

9. मतदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली **शासकीय** पर्ची **(Voter Slip)** द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली पर्ची का प्रतिस्थापन **(Substitute)** नहीं है।

www.rajteachers.com

मतदाता रजिस्टर

2018

प्रारूप 17क

(नियम 49B देखिये)

मतदाता रजिस्टर

.... निर्वाचन क्षेत्र से.........................लोक सभा /राज्य की विधान सभा.................................के लिए निर्वाचन मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ....निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ....

www.rajteachers.com

मतदाता रजिस्टर
(अन्दर का पेज)

2018

पेज संख्या ....

क्रम सं0	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रं. संख्यांक	निर्वाचक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	टिप्पणी
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
दिनांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर		

www.rajteachers.com

मतदाता पर्ची

2018

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या............................

निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या ... .

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर ....

अमिट स्याही लगाने के संबंध में

2018

अमिट स्याही मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली [Index Finger] पर ही लगायी जायेगी परन्तु केवल एक बिंदू मात्र लगाने के स्थान पर अंगुली के नाखून के ऊपरी सिरे से प्रारम्भ कर पूरे नाखून से होते हुए चमड़ी के जोड़ तक लंबे रूप में लगायी जायेगी

इस कारण पहले से अधिक मात्रा में अमिट स्याही मतदान दलों को उपलब्ध करायी जायेगी

तृतीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

1. नियंत्रण यूनिट का भारसाधक होगा।
2. तृतीय मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पास उसी की मेज पर बैठेगा।
3. मतदाता से पर्ची प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेगा।
4. नियंत्रण यूनिट के बैलट बटन को दबाकर **वोटिंग कम्पार्टमेंट** में रखी **बैलेट** यूनिट को चालू करेगा
5. मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए **वोटिंग कम्पार्टमेंट** में भेजेगा।
6. निर्वाचक के **वोटिंग कम्पार्टमेंट** से वापिस आने पर निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही के चिन्ह की जांच करेगा।

www.rajteachers.com

चतुर्थ मतदान अधिकारी के कर्तव्य

2018

- चतुर्थ मतदान अधिकारी VVPAT के VSDU का भार साधक होगा जो यह सुनिश्चित करेगा की VVPAT ठीक कार्य कर रही है वह मतदान के समय VSDU के डिस्प्ले की सहायता से VVPAT के ठीक कार्य करने को सुनिश्चित करेगा |
- मतदान के समय यदि VVPAT ठीक कार्य कर रही है तो इसके डिस्प्ले यूनिट में कुछ भी प्रदर्शित नहीं होगा |
- VVPAT में खराबी होने पर VSDU में प्रदर्शित डिस्प्ले और निराकरण :

क्र सं.	VSDU में प्रदर्शित डिस्प्ले	निराकरण
1	CHANGE BATTRY	VVPAT की बैटरी बदलें
2	CHANGE PRINTER	VVPAT को बदलें

चतुर्थ मतदान अधिकारी के कर्तव्य

- मतदान के दौरान VVPAT की बैटरी खराब होने के कारण बदली जा सकती है इसलिए VVPAT के बैटरी कम्पार्टमेंट को सील नहीं किया जाता है |
- मौक पोल के पश्चात VVPAT का स्लिप ड्राप बॉक्स ही वास्तविक मतदान हेतु सील किया जाता है |

www.rajteachers.com

मतदान प्रक्रिया

मतदान प्रक्रिया

2018

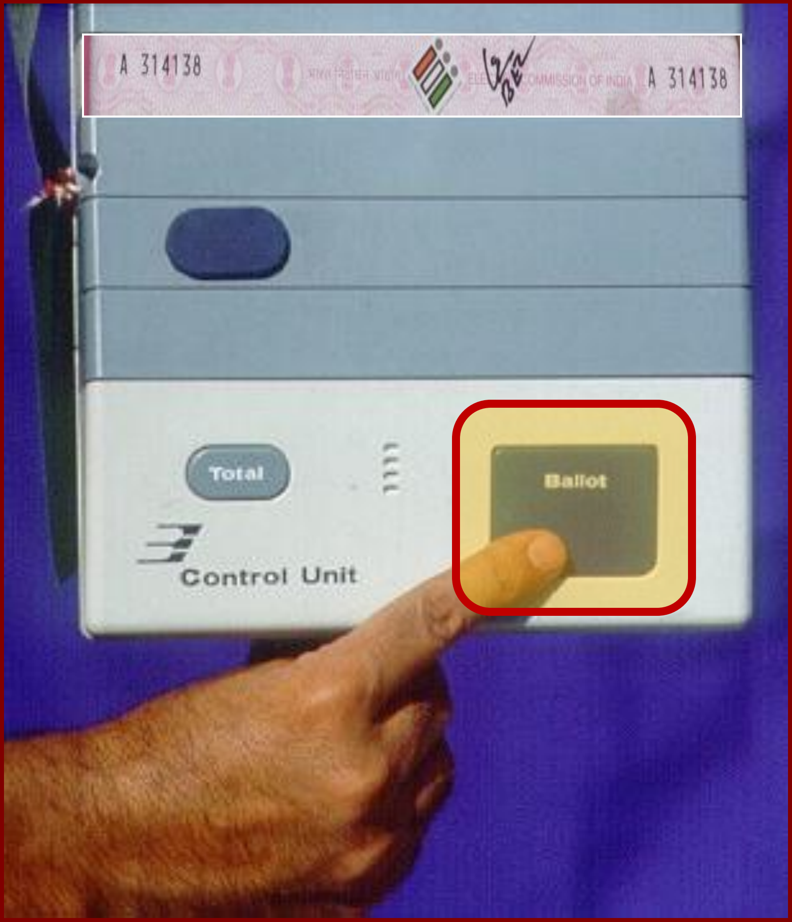

- पीठासीन अधिकारी / **मतदान अधिकारी** नियंत्रण यूनिट के बैलट बटन को दबाकर मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा तथा मतदाता को मतदान के लिए मतदान कक्ष में भेजेगा।

मतदान प्रक्रिया

2018

- बैलट बटन दबाते ही कन्ट्रोल यूनिट **और VSDU** का लाल रंग का बिजी लैम्प ऑन हो जायेगा, साथ ही मतदान यूनिट का हरे रंग का रेडी लैम्प भी ऑन हो जायेगा।

www.rajteachers.com

मतदान प्रक्रिया

- मतदान कक्ष में मतदाता अपनी पसन्द के उम्मीदवार के नाम व प्रतीक चिन्ह के सम्मुख उम्मीदवार के नीले बटन को दबाएगा।
- जब नीले बटन को दबाएँगे तब उम्मीदवार के नाम तथा प्रतीक चिन्ह के सामने लाल बत्ती ऑन हो जायेगी **इसी समय VVPAT के डिस्प्ले सेक्शन में मतदाता द्वारा दिए गए** उम्मीदवार का क्रमांक,नाम और चुनाव चिन्ह प्रदर्शित होंगे , 7 सेकिंड के बाद स्लिप कट कर नीचे ट्रे में गिर जायेगी और कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज सुनाई देगी इस प्रकार मत देने की प्रक्रिया पूरी होगी |

www.rajteachers.com

BU, CU व VSDU का बिजी लैम्प अब ऑफ हो जायेगा। यह प्रक्रिया मतदान समाप्ति तक दोहराई जायेगी।

नियंत्रण यूनिट के पॉवर स्विच को मतदान के दौरान ऑफ नहीं करें।

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारी के कर्त्तव्य

1. पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र का पर्यवेक्षक है।
2. मतदान केन्द्र के आस पास 100 मीटर की परिधि में सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का हैं।
3. मतदान केन्द्र की स्थापना, मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती, निविदत्त मतपत्रा, अन्धे – शिथिलांग अल्प आयु मतदाताओं द्वारा मतदान के मामले निपटाना।
4. नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एवं स्ट्रिप सील लगाकर मतदान के पूर्व मशीन तैयार करना।
5. जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर डाले गये मतों की संख्या बताना।

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारी के कर्त्तव्य

6. मतदान समाप्ति पर CU का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना।
7. मतदान समाप्ति के बाद CU,VVPAT,VSDU तथा BU को कैरिंग बॉक्स में सील करना।
8. सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफे तैयार करना एवं जहां आवश्यक हो वहां सील करना।
9. समस्त सामान एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस लौट कर प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउंटर पर सामान जमा कराना।

www.rajteachers.com

मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व

2018

- प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करें। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17क में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करावें।
- डाले गये मतों की संख्या का समय – समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या से मिलान करें।
- यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता '*मतदाता रजिस्टर*' में हस्ताक्षर किये बिना मतदान नहीं करें तथा जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिये है वे मतदान किये बिना बाहर नहीं चले जाए।
- मतदान कक्ष की फोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा न दें।

www.rajteachers.com

नियम 49MA(1)के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान

- मतदान के समय यदि कोई मतदाता यह शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है VVPAT में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं हुआ है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की चेतावनी देंगे|
- अब 17 क रजिस्टर उस मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाकर उसे पीठासीन अधिकारी ,उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलवाया जायेगा |
- यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे और उसके बाद उनके निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे|
- यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो 17क रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में इस बाबत सूचना अंकित की जायेगी कि मतदाता ने नियम 49 M A (d) के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यार्थी के पक्ष में दिया है सम्बन्धित मतदाता के हस्ताक्षर /अंगूठा निशानी भी लिए जायेंगे |
- प्रपत्र 17 ग में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी |

www.rajteachers.com

नियम 49MA(1) के अंतर्गत मतदाता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र

2018

Annexure-26

General/Bye-Election to……………………………………………………………

Sl. No. and Name of Parliamentary/Assembly Constituency……………………

No. and Name of Polling Station…………………………………………………...

<u>FORM OF DECLARATION BY ELECTOR UNDER RULE 49MA OF CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961</u>

1. I hereby solemnly declare and affirm under sub-rule (1) of Rule 49 MA of the Conduct of Elections Rules 1961 that the paper slip generated by the printer attached to the Balloting Unit has shown the name and/or symbol of a candidate other than the candidate for whom I voted by pressing the concerned blue button against the name and symbol of the candidate of my choice on the Balloting Unit. I am ready to cast a test vote again to show that the allegation made by me is true and bonafide.

(2). I am aware of the penal provisions of Section 177 of the IPC that I shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, if the declaration given by me in para 1 above to the Presiding Officer appointed under Section 26 of the RP Act, 1951 is found to be incorrect.

Signature/Thumb impression of the Elector
Name of the Elector………………………………
Father/Mother/Husband's Name……………….
Part No. of elector roll……………………………
Sl. No. of elector in that Part……………………
Sl. No. in Register of Voters (Form 17A)……….

Dated………………..

Certified that the above declaration was made and subscribed by the elector above named before me.

Signature of the Presiding Officer
……………………………………
Dated…………

www.rajteachers.com

आक्षेपित मत/चैलेन्ज वोट

1. जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है तो वह उसकी पहचान करता है तथा उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है।
2. उसी समय कोई भी मतदान अभिकर्ता मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है।
3. मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा।
4. पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक चुनौतीकर्ता चुनौती राशि नकद 2/- रूपये जमा न कर दें।
5. चुनौती राशि नकद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी उपाबंध 8 में विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद देगें।

www.rajteachers.com

आक्षेपित मत/चैलेन्ज वोट

6. उस व्यक्ति, जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है, को प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शास्ति के बारे में समझाये।
7. निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़े व उससे पूछे कि वह वही मतदाता है।
8. चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम व पता लिखेगें तथा उसके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लिये जायेगें। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे मत देने को अनुज्ञात नहीं करेगें।
9. पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा।
10. यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस चुनौती को नहीं मानेगें व ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे।

www.rajteachers.com

आक्षेपित मत/चैलेन्ज वोट

11. यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सिद्व हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नांकित मतदाता नहीं है तो मतदाता को चुनौती के खण्डन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहें।
12. यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्व करता है कि उसका दावा सही है तो उसे मत देने की अनुमति दे। यदि चुनौती तुच्छ है या सद्भाव पूर्वक नहीं की गई है, तो चेलेन्ज फीस जब्त कर ले और सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर जब्त लिख दें अन्यथा फीस लौटा दें।
13. यदि वह दावा सिद्व नहीं कर सका तो यह माना जावेगा कि चुनौती सिद्व हो गई है ऐसे मामले में चुनौती फीस वापस कर दें। सम्बन्धित रसीद के प्रतिपर्ण पर प्राप्ति लेने के बाद राशि लौटा दें।
14. ऐसे मतदाता को मत देने से वर्जित करे व ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपकर थानाधिकारी को पत्र लिखें।

निर्वाचक की आयु सम्बन्धी घोषणा

1. प्रत्येक निर्वाचक जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, मतदान का अधिकारी है।
2. किन्तु उस निर्वाचक की आयु न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष से कम मानते है तो आप निर्वाचक से 1 जनवरी 2018 के सन्दर्भ में उसकी आयु के बारे में उपाबन्ध 10 में घोषणा प्राप्त करें। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व उसको मिथ्या घोषणा करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें।
3. ऐसे मतदाताओं की सूची उपाबन्ध 11 के भाग 1 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएँ की है।
4. ऐसे मतदाताओं की सूची उपाबन्ध 11 के भाग 2 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएँ करने से मना किया है तथा मतदान किये बिना ही चले गये।
5. मतदान समाप्ति के बाद ऐसी घोषणाएँ पृथक लिफाफे में रखी जावेगी।

www.rajteachers.com

निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग करना

1. यदि कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी की चेतावनी के बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से मना करें तो उसे नियम 49ड के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जावें।
2. ऐसे मतदाता को यदि मतदाता पर्ची जारी कर दी हो तो उसे वापस ले लें।
3. जहां मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाये तो मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17क के अभ्युक्ति के स्तम्भ में टिप्पणी लिखकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करें।
4. ऐसे प्रकरणों में उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करें।

5. प्रपत्र 17 ग में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी

www.rajteachers.com

दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान

1. यदि आप सुनिश्चित हो जाये कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शिथिलांगता के कारण कोई निर्वाचक मतदान यूनिट के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष से अन्यून साथी को मतदान कक्ष में साथ ले जाने को अनुज्ञात करें।
2. दृष्टिहीन मतदाताओं के लिऐ ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास डमी बेलेट शीट रखी जायेगी, ताकि उसे वह मतदाता पढ़ कर अपने पसंद के अभ्यर्थी का क्रमांक ज्ञात कर सके और उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट पर नीले बटन के सामने लगे हुए ब्रेनलिपि के स्टीकर से अभ्यर्थी का क्रमांक समझ सके ओर मतदान कर सके। ऐसा मतदाता भी चाहे तो मतदान कक्ष में साथी ले जा सकता है।

www.rajteachers.com

3. किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी भी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
4. साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उससे प्रपत्र 12 में घोषणा प्राप्त की जायेगी।
5. ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड प्रारूप 14क में रखा जावेगा।

www.rajteachers.com

निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय

1. यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17क में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की सम्पूर्ण रूप से प्रविष्टि करने और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करने के पश्चात् अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो उसे मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
2. मतदाताओं के रजिस्टर में उससे सम्बन्धित प्रविष्टी के सामने अभ्युक्ति के स्तम्भ में टिप्पणी की जायेगी, '*मत देने से मना किया*'।
3. निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त किया जावे।
4. मतदाता के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिर्वतन नहीं किया जावें।
5. **इस बाबत प्रपत्र 17 ग (मतपत्र लेखा) में इन्द्राज किया जाएगा**

www.rajteachers.com

निविदत्त मतपत्र

1. यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केन्द्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने पर उसे निविदत्त मत देने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
2. निविदत्त मतपत्र छपा हुआ मतपत्र होगा जैसा मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मतपत्रा हैं।
3. ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से निविदत्त मतपत्र लिखेगा।
4. प्रारूप 17ख निविदत्त मतपत्रों की सूची में निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिख कर हस्ताक्षर कराएगा।

www.rajteachers.com

निविदत्त मतपत्र

5. निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देते समय स्याही लगी हुई ऍरोक्रास मॉर्कसील भी दी जायेगी।
6. निविदत्त मतपत्र प्राप्त कर निर्वाचक मतदान कक्ष में जाकर उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर ऍरोक्रास मॉर्कसील से मत अंकित करेगा।
7. निर्वाचक निविदत्त मतपत्र मोड़कर मतदान कक्ष से बाहर आयेगा तथा निविदत्त मतपत्रा पीठासीन अधिकारी को सोंपेगा।
8. निविदत्त मतपत्र, निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे में रखकर सील किया जायेगा।

प्रॉक्सी द्वारा मतदान

- निर्वाचन कानून में संशोधन कर वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाताओं (सी.एस.वी.) को प्रॉक्सी द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है।
- प्रॉक्सी द्वारा मतदान के लिए मतदान केन्द्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्हित प्रति के अन्त में लगी होगी।
- प्रॉक्सी को सामान्य मतदाता के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार ही मतदान करावें लेकिन अमिट स्याही बांयी तर्जनी के स्थान पर बांयी मध्यमा पर लगावें।

www.rajteachers.com

मतदान का स्थगन / रोका जाना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 57(1)के अधीन पीठासीन अधिकारी मतदान स्थगित कर सकते हैं।

प्राकृतिक विपत्ति, मतदान मशीन, नामावली व अन्य सामग्री का नष्ट होना, ऐसी स्थिति जहां मतदान सम्भव न हो, शान्ति भंग अर्थात् खुली हिंसा व अन्य अपरिहार्य कारण जैसे मतदान दल का केन्द्र पर नहीं पहुंचने पर।

नोट :– इस विशेषाधिकार का सोच समझकर पर्याप्त कारण से ही उपयोग करें।

www.rajteachers.com

मतदान का स्थगन

- स्थगन के मामले में RO को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी देवें।
- कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट का सम्बन्ध विच्छेद करें।
- उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष पीठासीन अधिकारी घोषणा करेगा कि मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित तिथि को किया जावेगा।
- मतदान अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में वोटिंग मशीन को सील करना, अभिलेख तैयार करना आदि कार्य ठीक वैसे ही करें जैसे सामान्य रूप से मतदान समाप्ति पर किया जाता हैं।

www.rajteachers.com

स्थगित मतदान को पूरा किया जाना

- जहां से मतदान स्थगित किया गया था, उससे आगे मतदान की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को करवाई जायेगी।
- निर्वाचन अधिकारी पूर्व में प्रयुक्त 17ग में मतदाताओं का रजिस्टर तथा नई मतदान मशीन उपलब्ध करायेंगे।
- दिए गये मोहर बन्द पैकेट्स को उपस्थित अभिकर्त्ताओं के सम्मुख खोला जाना चाहिये। जिन मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था, वे ही मतदान करने योग्य होंगे। निर्धारित प्रक्रिया से ही मतदान करवाया जायेगा।
- प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम नामावली में प्रविष्ठ हैं मतदान का अधिकारी हैं।

www.rajteachers.com

पुनर्मतदान की स्थिति में

- उसी तरह मतदान होगा जैसे कि सामान्य रूप से मतदान होता हैं समस्त मतदाता मतदान में भाग ले सकेगें।
- जिन्होंने पूर्व में भी मतदान किया हो इस मतदान में उनके बायें हाथ की मध्यमा पर निशान अंकित करना हैं। बायें हाथ की तर्जनी को नहीं देखा जायेगा।

www.rajteachers.com

मतदान समाप्ति के बाद की प्रक्रिया

मतदान समाप्ति

- **मतदान केंद्र पर अंतिम मतदाता के मतदान करने के बाद मतदान समाप्ति के लिए नियन्त्रण यूनिट पर लगी** काले रंग की रबड़ की सील को हटा कर छिद्र में अंगुली की सहायता से काले रंग का क्लोज बटन दबायें।

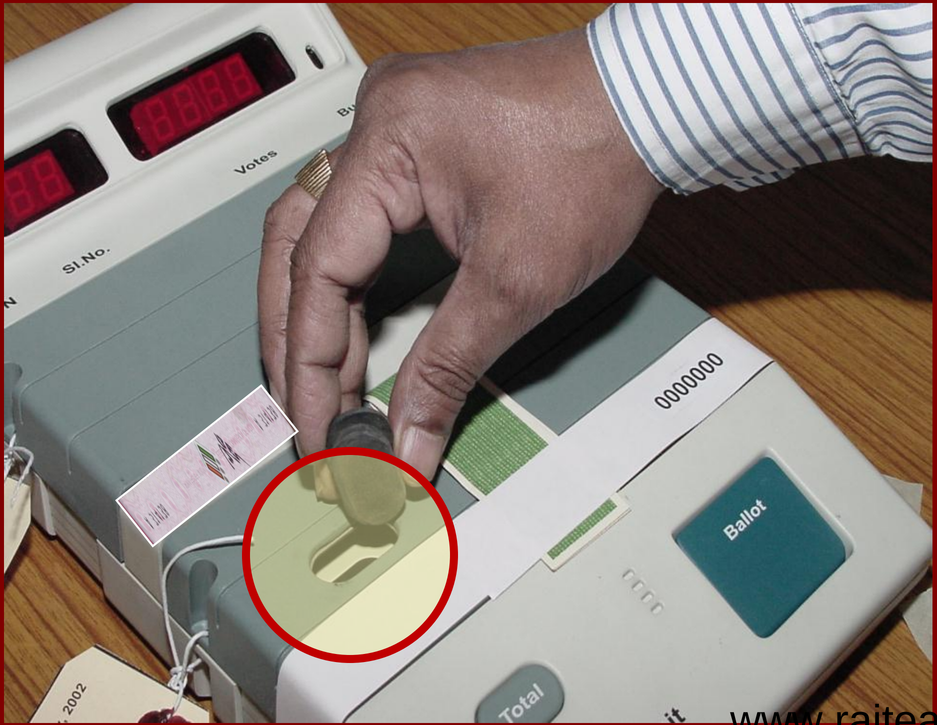

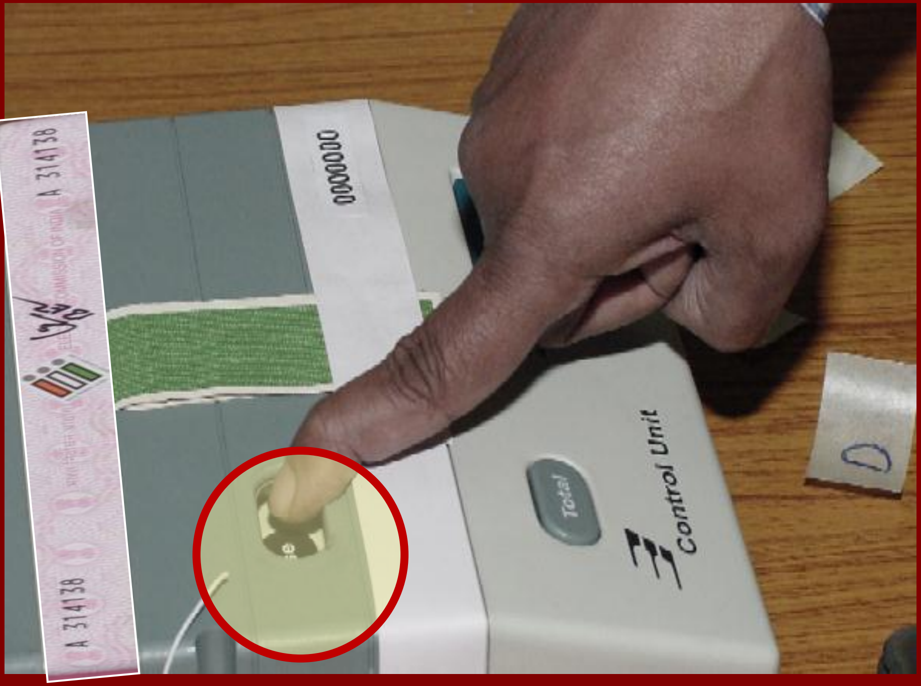

www.rajteachers.com

मतदान समाप्ति

2018

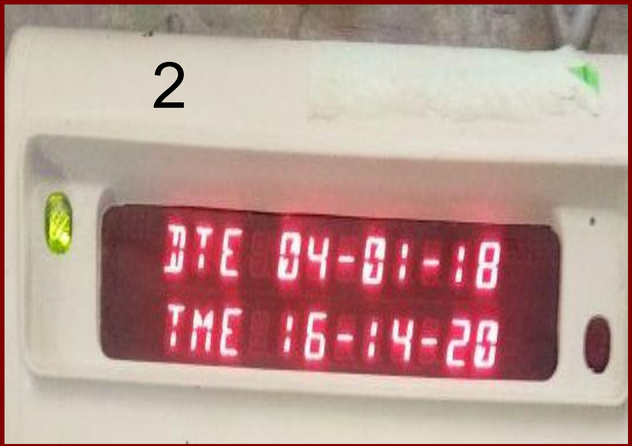

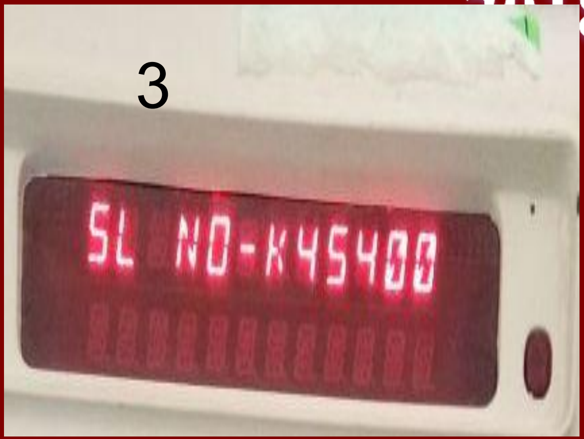

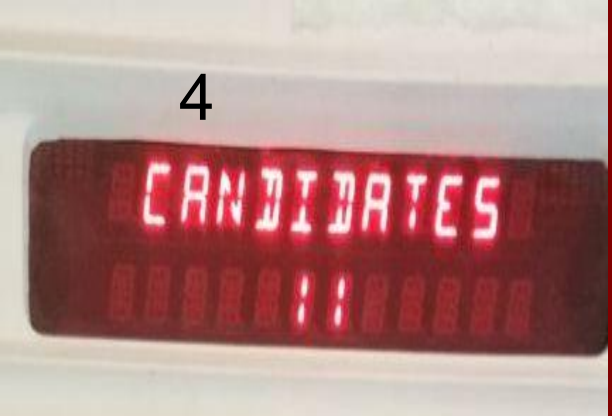

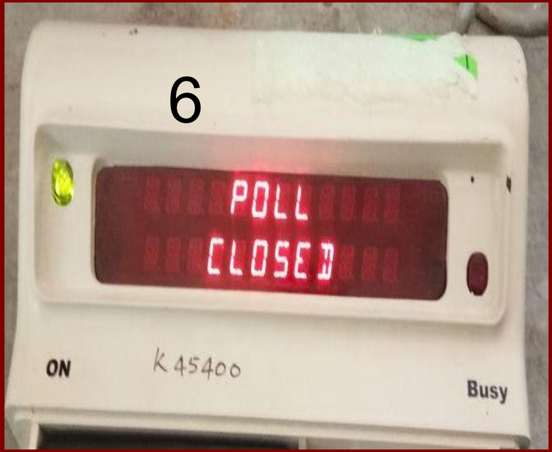

क्लोज बटन दबाने पर मशीन में ऊपर के अनुसार सूचनाएं प्रदर्शित होंगी |

www.rajteachers.com

मतदान समाप्ति

2018

- इसके बाद "टोटल" का बटन दबाकर पुनः कुल डाले गये मतों की संख्या का मिलान कर लें तथा उपस्थित अभिकर्ताओं को भी वह संख्या दिखा दें एवं इस संख्या का रजिस्टर–17(क) में अंकित संख्या से मिलान कर लें।
- मतदान की प्रक्रिया के दौरान भी किसी भी समय "टोटल" का बटन दबाकर उस समय भी डाले गये कुल मतों की संख्या ज्ञात की जा सकती है।

मतदान समाप्ति

2018

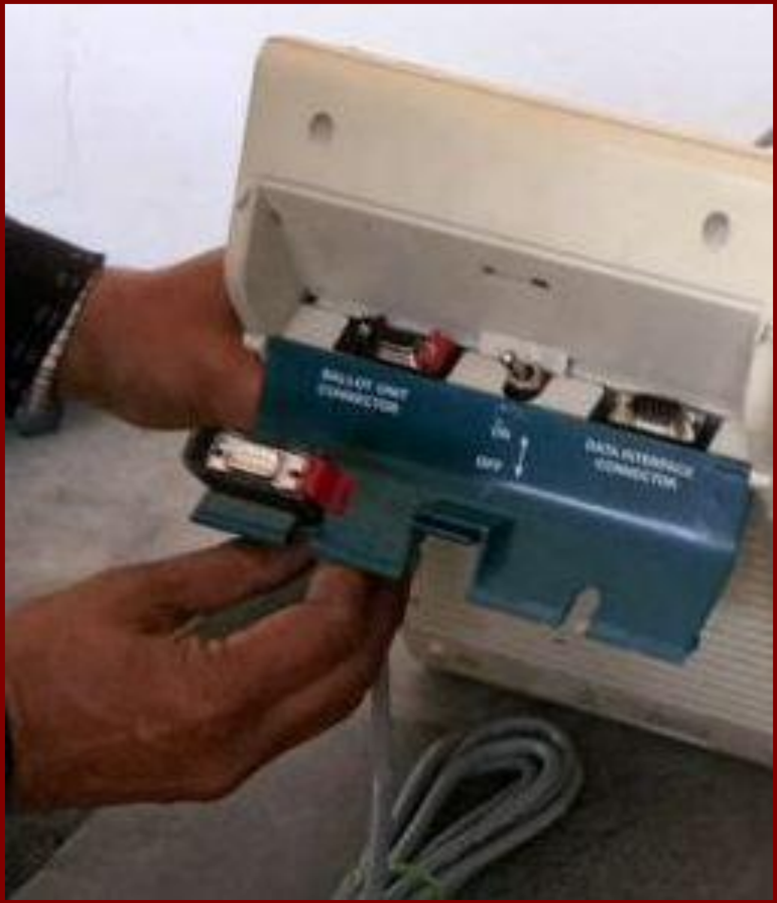

- इसके बाद कन्ट्रोल युनिट के पिछले हिस्से का ढक्कन पुनः खोलकर स्विच को ऑफ पॉजिशन पर ले आवें तथा लिंकिग केबल का प्लग दोनो तरफ के लीवर दबाकर बाहर खींच लें।

मतदान समाप्ति

इसके बाद कन्ट्रोल युनिट के पिछले ढक्कन को पुनः बन्द करदें एवं अब इसे धागा बान्ध कर चपड़ी से सील कर दें।

मतदान समाप्ति

2018

- **BU,CU,VVPAT(मय VSDU)** को पृथक–पृथक कैरिंग बॉक्स में रखें।
- कैरिंग बॉक्सों को मोहर बन्द करें तथा एड्रेस टैग लगावें।
- मोहरबन्द बॉक्सों को रिटर्निंग आफिसर के यहां जमा करायें।

पीठासीन अधिकारी के लिए ई.वी.एम. के सम्बन्ध में निर्देश

2018

[Le] = **लिंक एरर**

दोनों मशीनों नियंत्रण यूनिट एवं मतदान यूनिट को जोड़ने वाली कनेक्टिंग केबल ठीक ढंग से नहीं जुड़ी है या बैलेट यूनिट का स्लाइड स्विच सही सैट नहीं किया गया है अथवा मतदान यूनिट एक दूसरे से सही ढंग से नहीं जुड़ पाई है।

[Pe] = **प्रेस्ड एरर**

मतदान यूनिट में उम्मीदवार का नीला बटन दबा रह गया है।

[er]= **मैमोरी एरर**

नियंत्रण यूनिट उपयोग के लिए सही नहीं है।

मतदान समाप्ति पर की जाने वाली घोषणाऐं

1- मतदान समाप्ति के समय तक उपस्थित सभी मतदाताओं से मतदान कराया जायेगा।

2. मतदान पूर्ण होने पर मतदान समाप्ति की घोषणा मतदान अभिकर्ताओं के सम्मुख की जायेगी तथा घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के साथ–साथ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी लिये जायेगें।

www.rajteachers.com

मतदान समाप्ति पर मतदाता रजिस्टर (17–क) के अन्त में प्रमाण पत्र

मतदान के अन्त में पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर में दर्ज अन्तिम मतदाता की प्रविष्टि के नीचे प्रमाण पत्र अंकित करेगा कि कितने मतदाताओं ने वोट दिये हैं

इस प्रमाण पत्र पर वह अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करवायेगा।

मतदान मशीन को मुहरबन्द करना

1. मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन में रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा प्रारूप 17ग में तैयार कर इसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओ को देने एवं प्रपत्र 7 के भाग 3 को भरने के पश्चात् मशीन को मुहरबन्द किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक कैरिंग बॉक्स के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छिद्रों में से एक धागा डालकर एड्रेस टैग पर उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियां दर्शाते हुऐ पीठासीन अधिकारी की मोहर सहित धागे को मुहर बन्द करें।
3. अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हों एवं अपनी मोहर लगाने के इच्छुक हो उन्हें मोहर लगाने के लिए अनुज्ञात किया जायें।
4. ऐसे अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता का नाम मतदान समाप्ति की घोषणा के प्रपत्र 7 के भाग 4 में लिखना चाहिए।

www.rajteachers.com

FORM 17 C

[See rules 49S and 56C(2)]

PART I – ACCOUNT OF VOTES RECORDED

Election to House of the People/Legislative Assembly of the State/Union Territory ....
from.............................. constituency.

Number and Name of Polling Station: ....

Identification Number of voting Control Unit...............

Machine used at the Polling Station: Balloting Unit.............

Printer (if used)............

1. Total number of electors assigned to the Polling Station
2. Total number of voters as entered in the Register for Voters (Form 17A)
3. Number of voters deciding not to record votes under rule 49-O
4. Number of voters not allowed to vote under rule 49M
5. Test votes recorded under rule 49MA (d) required to be deducted-

(a) total number of test votes to be deducted: Total No. Sl.No.(s) of elector(s) in Form 17A

(b) Candidate(s) for whom test vote(s) cast:

Sl.No.	Name of candidate	No. of votes
....	....	....
....	....	....

6. Total number of votes recorded as per voting machine:...
7. Whether the total number of votes as shown against item 6 tallies with the total number of votes as shown against item 2 minus numbers of voters deciding not to record votes as against item 3 minus number of voters as against item 4(i.e. 2-3-4) or any discrepancy noticed:.......................................
8. Number of voters to whom tendered Ballot papers were issued under rule 49P:..............
9. Number of tendered Ballot papers: Sl.No.

	Total	From	To
(a) received for use	....	....	....
(b) issued to electors	....	....	....
(c) not used and returned	....	....	....

10. Account of papers seals

Signature of polling agents

1.	Paper seals supplied for use:	Total No..................	1..
		Sl.No. from................ To	
2.	Paper seals used:	Total No..................	2..
		Sl.No. from................ To	
3.	Unused paper seals returned to Returning Officer:	Total No..................	3..
		Sl.No. from................ To	
4.	Damaged paper seal, if any:	Total No..................	4..
		Sl.No. from................ To	
			5..............................
			6..............................

Date..............................

Place..............................

Signature of Presiding Off

Polling Station No.............................

पीठासीन अधिकारी की डायरी

2018

अनुबंध XIV
[अध्याय 33, पैरा–1]
पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम [बड़े अक्षरों में]:
2. मतदान की तिथि
3. मतदान केन्द्र की संख्या व नाम:
   क्या यह–
   क) सरकारी या अर्द्ध–सरकारी भवन में स्थित है;
   ख) निजी भवन में स्थित है
   ग) अस्थायी ढांचा है;

4. स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हैं:

5. विधिवत् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई है, की अनुपस्थिति में बनाए गए मतदान अधिकारी की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति के कारण:

6. इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन–
   क) प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों की संख्या:
   ख) प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों की क्रम संख्या (एं):
   ग) प्रयुक्त बैलेटिंग यूनिटों की संख्या:
   घ) प्रयुक्त बैलेटिंग यूनिटों की क्रम संख्या:

7. क) प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या:
   ख) प्रयुक्त पेपर सीलों की क्रम संख्याएं:

7क. क) आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की संख्या:
   ख) आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या (एं):
   ग) प्रयुक्त विशेष टैगों की संख्या:
   घ) प्रयुक्त विशेष टैगों की क्रम संख्या (एं):
   ड.) अप्रयुक्त वापिस किए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या (एं)

7ख. क) आपूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों की संख्या:
   ख) अपूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या (एं):
   ग) प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की संख्या:
   घ) प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या (एं):
   ड.) अप्रयुक्त वापिस की गई स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या (एं)

www.rajteachers.com

7ग. (केवल उन्हीं मतदान केन्द्रो के लिए जहां वी.वी.पी.ए.टी. का प्रयोग किया गया हैं।
क) प्रयुक्त प्रिंटरों की संख्याः
ख) प्रिंटर (रों) की कम संख्या (ए):

8. मतदान केन्द्रों पर मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्याः

9. क) मतदान के प्रारंभ पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्याः
ख) देर से पहुंचने वाले मतदान अभिकर्ताओं की संख्याः
ग) मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्याः

10. क) मतदान केन्द्र के लिए विनिश्चित मतदाताओं की कुल संख्याः
ख) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतिलिपि के अनुसार मतदान करने के लिए अनुमत निर्वाचकों की संख्याः
ग) मतदाताओं के रिजिस्टर (फार्म 17—क) में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्याः
घ) वोटिंग मशीन की अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्याः
ङ.) मतदान रिकॉर्ड न करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या, यदि कोई हैः

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी मतदाता अधिकारी के हस्ताक्षर

11. मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या—
पुरूष.................................
महिला.....................................
थर्ड जेंडर..
कुल..

12. चुनौतीयुक्त मत—
अनुमत संख्या...
अस्वीकृत संख्या..
जब्त धनराशि रू...

13. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र (ई डी सी) प्रस्तुत करने पर मतदान कियाः

13क. उन अप्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान कियाः

www.rajteachers.com

14. उन निर्वाचको की संख्या जिन्होंने सहयोगियों की मदद से मतदान किया:

15. परोक्षी द्वारा डाले गए मतों की संख्या:

16. निविदत्त मतों की संख्या:

17. उन निर्वाचकों की संख्या–
क) जिनसे आयु संबंधी घोषणा प्राप्त की गई...........
ख) जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से मना किया ....

18. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि हाँ तो एसे स्थगन के कारण दें:

19. प्रति दो घण्टों में डाले गए मतो की संख्या–
पूर्वाह्न 7 बजे से पूर्वाह्न 9 बजे तक
पूर्वाह्न 9 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक
पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक
अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 3 बजे तक
अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 5 बजे तक

(मतदान प्रारंभ होने और समाप्त होने के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।)

20. क) पंक्ति में खड़े हुए निर्वाचकों को मतदान के समापन के समय पर जारी की गई पार्चियों की संख्या:
ख) ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा अपना मत डालने के पश्चात् वह समय जब मतदान अंतिम रूप से समाप्त हो गया :

21. विवरण सहित निर्वाचक अपराध:
मामलों की संख्या:–
क) मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर प्रचार करना:
ख) मतदाताओं का छद्मरूपण:
ग) मतदान केन्द्रों पर नोटिस या अन्य दस्तावेजों की सुची को छलपूर्ण विकृत करना, नष्ट करना या हटाना:
घ) मतदाताओं को रिश्वत देना :
ड.) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को डराना
च) बूथ पर कब्जा करना:

22. क्या इनके द्वारा मतदान बाधित या अवरूद्ध किया गया–

    क) उपद्रव:
    ख) खुली हिंसा:
    ग) प्राकृतिक आपदा:
    घ) बूथ पर कब्जा करना:
    ड.) वोटिंग मशीन का खराब होना:
    च) कोई अन्य कारण:

    कृपया उपर्युक्त का विवरण दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किसी वोटिंग मशीन के कारण मतदान में गड़बड़ी हुई थी–

    क) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैध रूप से
    ख) बाहर ले जाना दुर्घटनावश या जान–बूझ कर खो गई या नष्ट हो गई
    ग) नष्ट हो गई या उसके साथ छेडछाड की गई:

कृपया विवरण दें।

24. अभ्यार्थी/अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, यदि कोई है तो

25. कानून और व्यवस्था भंग करने के मामलों की संख्या:

26. मतदान केन्द्र पर की गई गलतियों और अनियमितताओं, यदि कोई है की रिपोर्ट:

27. क्या मतदान के प्रारंभ होने से पहले और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब नई मतदान मशीन प्रयुक्त की जाती है और यथा आवश्यक मतदान की समाप्ति पर घोषणाएं की गई हैं:

स्थान:

दिनांक:

पीठासीन अधिकारी

यह डायरी वोटिंग मशीन, विज़िट सीट, 14–बिन्दुओं वाली प्रेक्षक की रिपोर्ट और अन्य मोहरबंद दस्तावेजों के साथ यह डायरी रिटर्निंग अ[illegible]।

www.rajteachers.com

BU,CU,VVPAT के साथ निम्नलिखित अभिलेख जमा होगें

1. मतपत्र लेखा और पेपर सील का लेखा (लिफाफा नं. 1)
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाऐं (लिफाफा नं. 2)
3. पीठासीन अधिकारी की डायरी (लिफाफा नं. 3)

www.rajteachers.com

अन्य सामग्री पेकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

2018

प्रथम पैकिट – सांविधिक लिफाफे

1- निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का सील्ड लिफाफा (4)
2. मतदाताओं के रजिस्टर का सील्ड लिफाफा (5)
3. मतदाता पर्चियों का सील्ड लिफाफा (6)
4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का सील्ड लिफाफा (7)
5. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17ख की सूची का सील्ड लिफाफा (8)

www.rajteachers.com

अन्य सामग्री पेकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

2018

द्वितीय पैकिट– असांविधिक लिफाफे

1- निर्वाचन नामावली की शेष प्रतियों से युक्त लिफाफा (10)

2. प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा (11)

3. प्रारूप 12ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा (12)

4. प्रारूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त सीलड लिफाफा (13)

5. प्रारूप 14क में अन्धे व शिथिलांग निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणा से युक्त लिफाफा (14)

www.rajteachers.com

अन्य सामग्री पेकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

2018

6. निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा (15)
7. चुनौती दिये गये मतों के सम्बन्ध में प्राप्ति रसीद और नकद राशि यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा (16)
8. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा (17)
9. अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा (9)
10. अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग से युक्त लिफाफा (18)
11. अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील से युक्त लिफाफा (19)

अन्य सामग्री पेकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

2018

तृतीय पैकिट

1. पीठासीन अधिकारियों के लिये पुस्तिका
2. इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन की निर्देशिका
3. अमिट स्याही सैट
4. स्टॉम्प पैड
5. पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर

6 निविदत्त मतपत्राों को चिन्हित करने के लिये ऍरोक्रास सील

चतुर्थ पैकिट

बचे हुये समस्त खाली फार्म, चपड़ी, मोमबत्ती थैला आदि समस्त बचा हुआ सामान चतुर्थ पैकिट में होगा।

वोटिंग मशीन तथा निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों को संग्रहण केन्द्रों पर सुपुर्द करना

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर सील की गई वोटिंग मशीन और निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों को संग्रहण केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द कर संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी से प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी चाहिए।

पीठासीन अधिकारियों व प्रथम मतदान अधिकारी की जानकारी हेतु विषेष ध्यान देने योग्य प्रावधान एवं **फोटो मतदाता सूचियों बाबत्** ध्यान देने योग्य बिन्दु

1. फोटो युक्त मतदाता सूचियां

इस बार मतदान के लिए फोटो युक्त मतदाता सूचियां प्रयोग में लायी जायेंगी।

मतदाता की फोटो एवं उसकी प्रविष्टियां एक बॉक्स में होंगी।

प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात् उसका नाम अंडर लाइन नहीं करेगा अपितु फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा।

महिला मतदाता के नाम के आगे टिक मार्क [✓] नहीं करना है अपितु उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला [round] बना देना है।

यदि मतदाता सूची में किसी मतदाता का फोटो नहीं छप पाये या कोई लिपिकीय अथवा मुद्रण की त्रुटि है एवं उसके पास उसका मतदाता पहचान पत्र है एवं उसकी पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो गई है तो ऐसे मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

2. मतदान कर्मियों का ड्यूटी फोटो पहचान पत्र

2018

जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों एवं काउंटिंग स्टॉफ को समान रूप से फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किये जायेंगे

मतदान कर्मियों को इस हेतु अपनी फोटो एवं आवश्यक विवरण का प्रारूप भरकर देना होगा

कर्मियों का फोटो डी.ओ./आर.ओ. द्वारा अटेस्टेड होगा

मतदान कर्मियों को ड्यूटी के समय पहचान पत्र पूरे समय प्रदर्शित कर के रखना होगा

www.rajteachers.com

3. मतदान अभिकर्ताओं के संबंध में

2018

मतदान अभिकर्ता उसी मतदान बूथ का मतदाता होना चाहिए

उसके पास उसका फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र [EPIC] होना चाहिए

मतदान अभिकर्ता को उसकी मतदाता सूची मतदान बूथ से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी

अपरांह 3.00 बजे बाद मतदान अभिकर्ता रिलीवर अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में नहीं बैठा पायेगा अर्थात स्वयं भी 3.00 बजे बाद मतदान केन्द्र से बाहर नहीं जायेगा

मतदान अभिकर्ता ऐसे स्थान पर बैठाये जायेंगे जहां से वे मतदाता की पहचान करने के साथ–साथ पूरे मतदान केन्द्र की गतिविधियों को देख सकें

किसी बूथ पर ज्यादा मतदान अभिकर्ता होने पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी

4. अमिट स्याही लगाने के संबंध में

2018

अमिट स्याही मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली [Index Finger] पर ही लगायी जायेगी परन्तु केवल एक बिंदू मात्र लगाने के स्थान पर अंगुली के नाखून के ऊपरी सिरे से प्रारम्भ कर पूरे नाखून से होते हुए चमड़ी के जोड़ तक लंबे रूप में लगायी जायेगी

इस कारण पहले से अधिक मात्रा में अमिट स्याही मतदान दलों को उपलब्ध करायी जायेगी

5. विजिट शीट का संधारण

2018

मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस पर एक "विजिट शीट" का संधारण किया जायेगा

इसका प्रारूप इस प्रकार होगा

VISIT SHEET

Date of Poll: ______________________

Name and Number of Assembly : ______________________

Name and Number of Polling Station : ______________________

Number of Electors : ______________

Sl. No.	Name & Designation of the officer visiting (Observer/DEO/RO/ ARO/ Sector Magistrate/ Zonal Magistrate/ Patrolling Magistrate)	Time of Visit	Brief description of polling process (Peaceful/Incidents, if any)	Number of votes polled till the time of visit		Remarks, if any	Signature of Officer
				As per Form 17	As per the EVM		

Signatures of Presiding Officers
(with date)

5. विजिट शीट का संधारण

2018

यह प्रारूप पीठासीन अधिकारी को मतदान सामग्री के साथ उपलब्ध कराया जायेगा

विजिट शीट में मजिस्ट्रेट्स /डी.ई.ओ./आर.ओ./ए.आर.ओ. एवं पर्यवेक्षकगण अपनी विजिट के समय प्रविष्टियां करेंगे

यह विजिट शीट पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ नत्थीबद्ध करदी जायेगी एवं मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ ही जमा करवादी जायेगी

6. मतदाता पहचान पर्ची बूथ

2018

यह बूथ मतदान केन्द्र के 200 मीटर के घेरे में स्थापित नहीं होगा

इस पर 1 मेज 2 कुर्सी एवं उस पर कपड़े या छाते से छाया की ही अनुमति होगी लेकिन कोई कनात या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी

इस बूथ पर उम्मीदवार का नाम, उसकी पार्टी का नाम एवं उसके चुनाव चिन्ह को दर्शाते हुए अधिकतम 3 फीट ग 1) फीट का बैनर लगाने की अनुमति होगी

ऐसे बूथ लगाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी को इसकी लिखित पूर्व सूचना देंगे एवं संबंधित स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम से लिखित अनुमति भी प्राप्त करेंगे

मतदाता पर्चियों पर उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं छपा होना चाहिए। ये पर्चियां पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य भी नहीं है।

ऐसे बूथ आवागमन के रास्ते में अवरोध नहीं होने चाहिए।

www.rajteachers.com

7. मोबाइल फोन/कोर्ड लेस फोन/वायरलेस सैट के उपयोग के संबंध में

2018

- अधिकृत चुनाव ड्यूटी अधिकारियों/ मजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस अधिकारियों के अलावा मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन/कोर्ड लेस फोन/वायरलेस सैट का उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा
- मतदान बूथ के भीतर भी मतदान अभिकर्ताओं एवं मतदाताओं द्वारा मोबाइल फोन को swtch off रखना होगा
- मतदान बूथ के भीतर मतदान कर्मी, पर्यवेक्षक व चुनाव डयूटी पर नियुक्त अन्य अधिकारी मोबाइल फोन को Silent डवकम में रखेंगे और बूथ के भीतर वार्ता नहीं करेंगे।
- मतदान कर्मी आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु मतदान कक्ष के बाहर आकर रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/सैक्टर ऑफिसर से सम्पर्क कर सकते हैं।

8. नमूने का मतदान [MOCK POLL] का प्रमाण पत्र

2018

सामान्यतः वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के 60 मिनट पूर्व पीठासीन अधिकारी को नमूने का मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी चाहिए

यदि 2 पृथक उम्मीदवारों के 2 अभिकर्ता तब तक मौजूद न हों तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनट और इंतजार भी कर सकता है

नमूने के मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पीठासीन अधिकारी उसे उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रपत्र में उसका प्रमाण पत्र जारी करेगा एवं उस पर अपना नाम एवं हस्ताक्षर के साथ–साथ उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम लिखकर उनके हस्ताक्षर भी करवायेगा

सामान्यतया यह प्रमाण पत्र सेक्टर अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा परन्तु जिन मतदान केन्द्रों पर माइक्रो आब्जर्वर्स नियुक्त किये जायेंगे वहां इसकी एक प्रति उसे भी उपलब्ध करायी जायेगी

www.rajteachers.com

9. वोटर असिसटेंस बूथ की स्थापना

2018

प्रशासन द्वारा एक वोटर असिसटेंस बूथ की स्थापना की जाएगी ताकि उस केन्द्र पर आने वाले मतदाताओं को उनके पोलिंग बूथ एवं उससे संबंधित मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियों की जानकारी हो सके

इस बूथ पर भाग संख्यावार अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार मतदाता सूचियों की प्रतियां उपलब्ध रहेंगी ताकि आने वाले मतदाता को आसानी से उससे संबंधित प्रविष्टियां बतायी जा सकें

इस बूथ पर शासकीय Voter Slip की अतिरिक्त प्रति भी उपलब्ध रहेंगी ताकि मतदाता यदि अपना EPIC या घर पर पहुंचायी गयी Voter Slip भूल आता है तो यहां से प्राप्त कर उसे मतदान अधिकारी को पहचान दस्तावेज के रूप में पेश कर सके।

10. माइक्रो आब्जर्वर्स की व्यवस्था

जिन मतदान केन्द्रों को उनकी संवेदनशीलता एवं मापदण्डों के कारण क्रीटीकल मतदान केन्द्र घोषित किया जाएगा उनमें से कुछ केन्द्रों पर एक–एक माइक्रो आब्जर्वर भी नियुक्त किये जाएगें। ऐसे माइक्रो आब्जर्वर्स नमूने के मतदान से लेकर मतदान की सम्पूर्ण गतिविधियों पर नजर रखेंगे एवं निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक को उपलब्ध करायेंगे

माइक्रो आब्जर्वर्स से किसी भी सूरत में मतदान दल के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करवाया जायेगा

11. बूथ लेवल अधिकारियों की व्यवस्था

2018

प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक–एक बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया है

बूथ लेवल अधिकारी के पास भी एक अपडेटेड मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी

मतदान केन्द्रों पर फर्नीचर, लाइट, पानी आदि आधारभूत व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में बूथ लेवल अधिकारी सहयोग करेंगे

मतदान दलों की मतदान केन्द्रों पर उपस्थिति तक बूथ लेवल अधिकारी निरन्तर उनसे सम्पर्क में रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे

मतदान दिवस के दिन बूथ लेवल अधिकारी मतदान केन्द्र के बाहर रहते हुए उसके आस–पास रहेंगे एवं पीठासीन अधिकारी के द्वारा बुलाने पर ही पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करेंगे

मतदान केन्द्र पर होने वाली घटनाओं के संबंध में बूथ लेवल अधिकारी तुरन्त संबंधित मजिस्ट्रेट/पुलिस/रिटर्निंग ऑफीसर को सूचना देंगे

12. वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था

2018

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था की गई है। हैल्प लाइन नंबर डायल करके या एस.एम.एस. कर के मतदाता अपने से संबंधित फोटो मतदाता सूची में नाम व प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

डायल करें – 1950

एस.एम.एस. करें–मोबाइल 9251092103 पर

उदाहरण : VOTERJ <Space> RJ/01/001/123456

(मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या)

वेबसाइट - www.ceorajasthan.nic.in के होम पेज पर “search your name in electoral rolls पर Click करें

- एक मतदान केन्द्र के लिये पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियाँ (working copies of electoral roll) कुल तीन प्राप्त होंगी।

www.rajteachers.com

183

- इन तीन प्रतियों में से एक प्रति मतदाताओं की पहचान करने वाले प्रथम मतदान अधिकारी के पास, एक प्रति द्वितीय मतदान अधिकारी के पास, एक प्रति पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी।
- मतदाता सूचियाँ फोटोयुक्त हैं।

www.rajteachers.com
184

- कार्यकारी निर्वाचक नामावली के प्रत्येक सेट में निम्नांकित संलग्न होंगेः–

1. एकीकृत मूल मतदाता सूची (integrated mother roll)
2. पूरक सूची–1 (supplement-1)
3. पूरक सूची–2 (supplement-2)
4. वर्गीकृत सेवानियोजित मतदाताओं के प्रोक्सी मतदाताओं की सूची।

- कार्यकारी निर्वाचक नामावली के सैट के साथ निम्नांकित भी होंगेः–

1. परिवार सहित अनुपस्थित मतदाताओं की सूची (क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के लिए)
2. EPIC की अतिरिक्त सूची अर्थात ऐसे EPIC की सूची जो मतदाता सूची बनने तक शामिल नहीं हो पाये किन्तु बाद में तैयार हुए है।

www.rajteachers.com

186

- मूल मतदाता सूची एवं पूरक सूची–1 दिनांक....................एवं .... को प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूची है।

www.rajteachers.com

187

- दिनांक ....एवं ....को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के बाद जिन मतदाताओं के नाम जोड़े गये हैं, हटाये गये हैं या कोई शुद्धि की गई है, उनको पूरक सूची–2 में बताया गया है।

www.rajteachers.com

188

- पूरक सूची–1 में जिन मतदाताओं के नाम हटाये गये हैं, उन्हें मूल मतदाता सूची में विलोपित करने के संकेत स्वरूप D E L E T E D मुद्रित है तथा पूरक सूची–1 में मतदाता की सम्बन्धित प्रविष्टि में क्रम संख्या के साथ उनके विलोपन का कारण यथा 'E' 'S' 'Q' 'R' तथा 'M' भी मुद्रित है।

E = Expired, S = Shifted, Q = Disqualified, R = Repeat, M = Missing

www.rajteachers.com

- पूरक सूची–1 से किसी प्रविष्टि की शुद्धि की गई है तो मूल मतदाता सूची में मतदाता के क्रमांक के पहले # निशान मुद्रित किया हुआ है ताकि यह ज्ञात हो सके कि मूल मतदाता सूची में जो अंकन है उसे पूरक सूची–1 से शुद्ध किया गया है।

- मूल मतदाता सूची में जहाँ Photo as in correction list मुद्रित है, वहाँ पूरक–1 सूची देखी जाएगी और पूरक–1 सूची की फोटो मान्य होगी।

www.rajteachers.com

191

- यदि मूल मतदाता सूची में गलत फोटो थी किन्तु मतदाता की सही फाटो उपलब्ध नहीं हुई तो पूरक सूची–1 में Photo deleted मुद्रित है तथा ऐसे मामले में मूल मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या से पहले # चिन्ह् भी मुद्रित है।

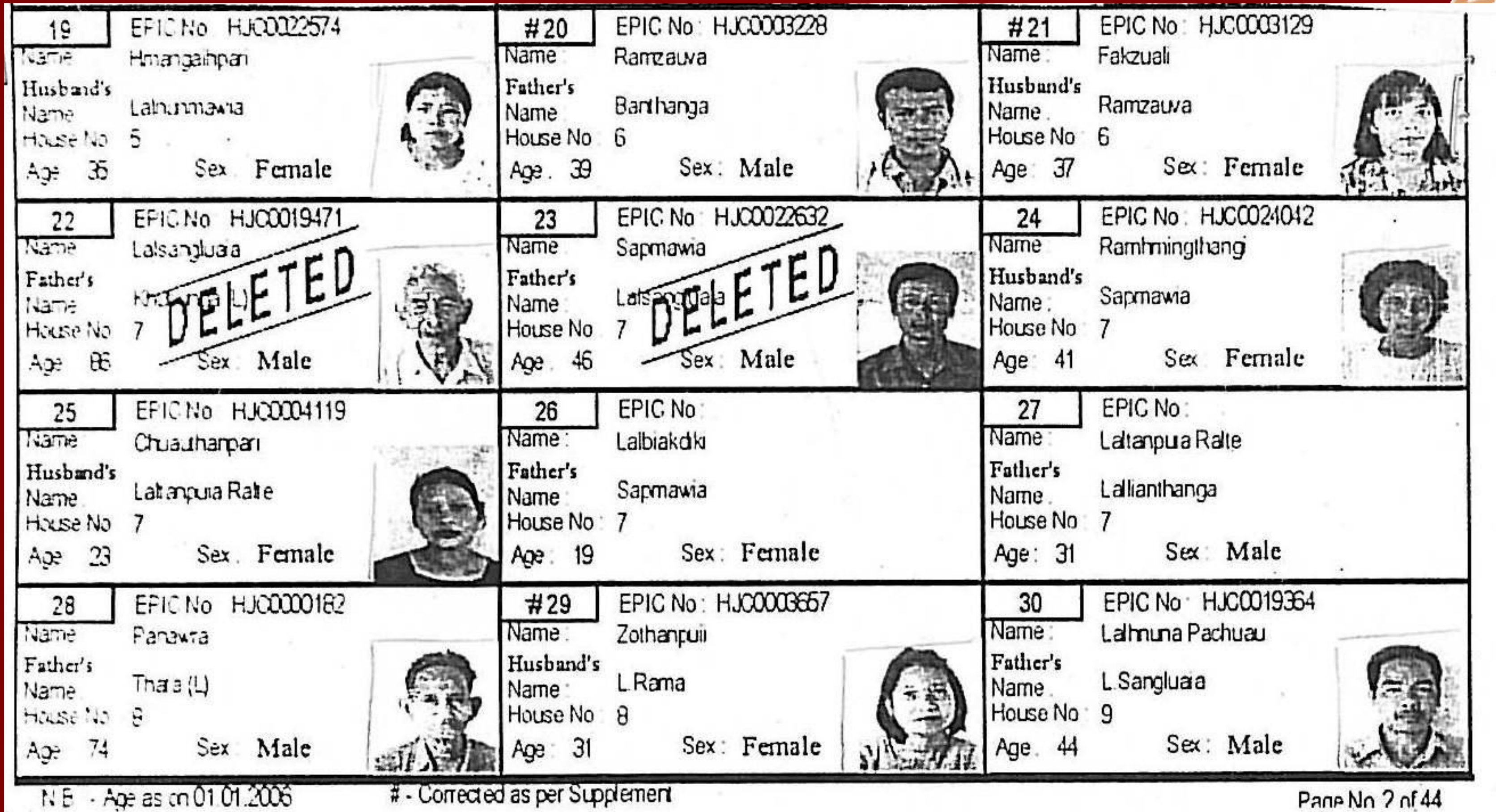

19 EPIC No HJC0022574 Name Hmangaihpari Husband's Name Lalhunmawia House No 5 Age 35 Sex Female	#20 EPIC No HJC0003228 Name Ramzauva Father's Name Banthanga House No 6 Age 39 Sex Male	#21 EPIC No HJC0003129 Name Fakzuali Husband's Name Ramzauva House No 6 Age 37 Sex Female
22 EPIC No HJC0019471 Name Lalsangluaia Father's Name Khawnga (L) House No 7 Age 86 Sex Male DELETED	23 EPIC No HJC0022632 Name Sapmawia Father's Name Lalsangluaia House No 7 Age 46 Sex Male DELETED	24 EPIC No HJC0024042 Name Ramhmingthangi Husband's Name Sapmawia House No 7 Age 41 Sex Female
25 EPIC No HJC0004119 Name Chuauhanpari Husband's Name Laltanpuia Ralte House No 7 Age 23 Sex Female	26 EPIC No Name Lalbiakdiki Father's Name Sapmawia House No 7 Age 19 Sex Female	27 EPIC No Name Laltanpuia Ralte Father's Name Lallianthanga House No 7 Age 31 Sex Male
28 EPIC No HJC0000182 Name Panawra Father's Name Thara (L) House No 8 Age 74 Sex Male	#29 EPIC No HJC0003657 Name Zothanpuii Husband's Name L Rama House No 8 Age 31 Sex Female	30 EPIC No HJC0019364 Name Lalhmuna Pachuau Father's Name L Sangluaia House No 9 Age 44 Sex Male

N.B. - Age as on 01.01.2006 # - Corrected as per Supplement Page No 2 of 44

निर्वाचक फोटो रोल में "डिलिटेड" या # के चिन्ह के नमूने

- मूल मतदाता सूची में D E L E T E D अथवा # चिन्ह अथवा Photo as in correction list शब्द/वाक्यांश, जो मुद्रित है, वे पूरक सूची–1 के आधार पर हैं।
- मूल मतदाता सूची में लाल स्याही से किये गये अंकन या रु चिन्ह् और रबड़ मोहर से लगायी गयी मोहर पूरक सूची–2 के आधार पर है।

www.rajteachers.com

- पूरक सूची–2 के आधार पर मूल मतदाता सूची तथा पूरक सूची–1 में जो इन्द्राज विलोपित किए गए हैं उन्हें सम्बन्धित मतदाता के बॉक्स में रबड़ मोहर से D E L E T E D शब्द से स्टाम्पित किया गया है और नामों की क्रम संख्या से पहले लाल स्याही से विलोपन का कारण, यथा "E" "R" "S" "Q" या "M" अंकित किया गया है।

www.rajteachers.com
195

2018

- पूरक सूची–2 के आधार पर मूल मतदाता सूची या पूरक सूची–1 में यदि किसी मतदाता का कोई इंद्राज शुद्ध किया गया है तो उसे लाल स्याही से # (Hash) का हस्तलिखित निशान लगाकर प्रदर्शित किया गया है। यदि पूरक सूची–2 से फोटो को शुद्ध किया गया है या विलोपित किया गया है तो मूल मतदाता सूची या पूरक सूची–1 में फोटो बाक्स में Photo as in correction list लाल स्याही में हाथ से लिखा है।

www.rajteachers.com

196

- निर्वाचक नामावली के उपरोक्त सेट में जिन मतदाताओं के आगे शब्द PB या EDC मार्क है उन्हें मतदान केन्द्र में मतदान के लिए अनुमति नहीं होगी।

- वर्गीकृत सेवानियोजित मतदाताओं के प्रोक्सी द्वारा मतदान केन्द्र में वोट डाला जायेगा और उसकी बांयी मध्यमा (Left middle finger) पर अमिट स्याही लगायी जायेगी, ताकि वह व्यक्ति यदि मतदाता है तो अपना वोट भी डाल सके।

- निर्वाचक नामावली के वर्किंग कॉपी के एक सेट पर उसे अधिप्रमाणित करने का प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाया जायेगा।

www.rajteachers.com

- यदि कोई मतदाता अन्य भाग या अन्य लोकसभा क्षेत्र से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र लाता है तो भी वह मतदाता की पहचान के लिये मान्य है।

www.rajteachers.com

- अधिप्रमाणित वर्किंग कॉपी का सेट मास्टर कॉपी है जो प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा उपयोग में लाया जायेगा। मतदाता की पहचान करने के बाद सम्बन्धित इंद्राज को उसमें चिन्हित किया जायेगा। इस कारण यह चिन्हित मतदाता सूची कहलाती है। मतदान पश्चात् इसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है।

www.rajteachers.com

- अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में भी मतदाताओं की सूची होगी जिसके आधार पर मतदाता का नाम पूछकर उसका निर्वाचक क्रमांक आसानी से देखा जा सकता है। मतदान भवन के परिसर में मतदाता सहायता बूथ पर यह सूची रखी जायेगी जिसके लिए पृथक स्टॉफ होगा।
- इस बूथ पर शासकीय Voter Slip की अतिरिक्त प्रतियां भी रखी जायेगी।

अन्य बिन्दु :–

- नामावली में नाम सही व फोटो गलत है तो मतदाता की पहचान मतदाता को जारी EPIC में फोटो से की जावे।
- EPIC में या फोटो मतदाता सूची में छोटी गलतियों को अनदेखा करेंगे।

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

2018

नोट : संज्ञेय अपराध–पलिस बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकेगी

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध

क्र. सं.	धारा अपराध	अपराध संज्ञेय	दण्ड	जमानतीय अजमानतीय	विचारणीय स्थान	विशेष विवरण
1	125	निर्वाचन के संबंध में भारतीय नागरिकों के वर्गों में वैमनस्यता/शत्राुता में संप्रवर्तित (प्रोमोट) करना या उसका प्रयत्न करना	3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	अजमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	धारा 8 के अंतर्गत दोषी सिद्ध होने पर सदस्यता से निर्योग्यता समझी जावेगी ।
2	129	निर्वाचन कर्त्तव्य में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल के सदस्यों आदि द्वारा किसी उम्मीदवार के लिए कार्य नहीं करेंगे और न मत दिये जाने को प्रभावित करेंगे ।	6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	
3	130	मतदान केन्द्रों के अंदर/ निकट 100 मीटर में किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार–प्रसार करना ।	250/–रु. का जुर्माना	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	

www.rajteachers.com

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

4	134	निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्त्तव्यों को भंग करना	500/-रु. का जुर्माना	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	
5	135	मतदान केन्द्रों में मतपत्रों को हटाना उत्प्रेरण करना	1 वर्ष का कारावास या 500/-रु. तक जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	पीठासीन अधिकारी तलाशी पुलिस अधिकारी से लिवा सकेंगे ।
6	135ए	बूथ से बलात ग्रहण का अपराध किसी व्यक्ति द्वारा करने पर	1 वर्ष से कम नहीं किंतु 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	8(1)झ के अंतर्गत उक्त अपराध में दोषी सिद्ध होने पर सदस्यता से निर्योग्यता समझी जावेगी
		किसी सरकारी सेवकों द्वारा करने पर	3 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक कारावास या जुर्माना	अजमानतीय		

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

2018

7	136	अन्य अपराध (ए) नाम निर्देशितों फार्म को विषमित या नष्ट करना (बी) मतपत्र के शासकीय चिन्ह अस्तित्व की घोषणा लिफाफों आदि को कपटपूर्ण नष्ट करना (सी) मतपेटी में मतपत्र के अलावा चीज डालना (डी) किसी चुनाव की सूची सूचना पत्रा या दस्तावेज को विरूपित या नष्ट करना। (इ) मतपत्र या मतपेटी को अधिकार के बिना नष्ट करना खोलना अन्य आकार से हस्तक्षेप बनाना।	6 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों (अन्य व्यक्तियों के लिए) 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों (निर्वाचन में संसक्त पदीय कर्त्तव्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा अपराध करने पर)	जमानतीय जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	8(1)झ के अंतर्गत उक्त अपराध में दोषी सिद्ध होने पर सदस्यता से निर्योग्यता समझी जावेगी

www.rajteachers.com

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

2018

क्र. सं.	धारा अपराध	अपराध संज्ञेय	दण्ड	जमानतीय अजनानतीय	विचारणीय स्थान	विशेष विवरण
1	153	(1) धर्म मूलवंश, स्थान, जन्म स्थान आवास, भाषा आदि के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के आपसी भाईचारे में शत्रुता उत्पन्न करना । (2) अपराध पूजा के स्थलों पर	3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों साथ 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना	अजमानतीय अजमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8क के अंतर्गत उक्त अपराध में दोषी होने पर सदस्यता से निरहता समझी जावेगी ।

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

2018

2	153 (बी)	(1) राष्ट्रीय अखण्डता को आपेक्षिता	3 वर्ष का कारावास और जुर्माना	अजमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8क के अंतर्गत उक्त अपराध में दोषी होने पर सदस्यता से निरहता समझी जावेगी ।
		(2) ऊपर लिखित अपराध उपासना स्थल या धार्मिक स्थल पर	5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	अजमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	
3	171 (डी)	(1) निर्वाचन में प्रतिरूपण	1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

2018

4	505 (2)	लोकरिटिकारक वक्तव्य, अफवायें आदि धर्म मूल वंश, जन्म स्थान आवास, भाषा आधार पर विभिन्न नागरिकों में घृणा वैमनस्यता पैदा करना	3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8क के अंतर्गत उक्त अपराध में दोषी होने पर सदस्यता से निरहता समझी जावेगी ।
	505 (3)	ऊपर लिखित अपराध पूजा या धार्मिक स्थल पर	5 वर्ष का कारावास और जुर्माना	अजमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	
5	144 दण्ड प्रक्रिया संहिता	(1) जिले में लगायी गयी धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पालन अवश्य करावें । (2) लाठी, घातक हथियार, धारदार हथियार, आग्नेय अस्त्रों को साथ ले जाने पर आर्म्स एक्ट तथा अन्य अधिनियमों में कार्यवाही करावें ।				

विशेष नोट – ध्वनि प्रसारण संयंत्र द्वारा उल्लंघन किये जाने पर 4/6 नोईज कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करावें (कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1964)

www.rajteachers.com

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

2018

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध

नोट – प्रकरण असंज्ञेय है किन्तु विशेष परिस्थितियों में सभा के सभापति द्वारा पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा ।

क्र. सं.	धारा अपराध	अपराध संज्ञेय	दण्ड	जमानतीय अजमानतीय	विचारणीय स्थान	विशेष विवरण
1	127 (3)	निर्वाचन सार्वजनिक सभाओं को रोकने के उद्धेश्य से उपद्रव करना या दूसरों को ऐसा करने के लिए उद्दीप्त (एक्साइट) करना	6 मास का कारावास या 2000/–रु. जुर्माना या दोनों साथ	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	प्रकरण असंज्ञेय प्रकृति का है सभा के सभापति की प्रार्थना पर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा नाम पता या गलत नाम बताने पर गिरफ्तार किया जा सकेगा

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

2018

2	131 (3)	मतदान केन्द्रों के अन्दर निकट विच्छृंखल कर्मचारियों को आचरण तेज ध्वनि प्रसारण यंत्रों शोर शराबा आदि करके हस्तक्षेप या दुष्प्रेरण करना तथा एक बार हटाने के बाद पुनः प्रवेश करना ।	3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	पीठासीन अधिकारी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने के निर्देश दे सकेगा ।
3	132 (3)	मतदान केन्द्र में अवचार बिना अनुमति के करना तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें एक बार हटाने के बाद पुनः प्रवेश करना ।	3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	मतदान के अधिकार को नहीं रोका जाना चाहिए ।

विशेष नोट :

•127 (3) 131(3) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की कार्य असंज्ञेय प्रकृति मामले में निवाराणात्मक कार्यवाही है एवं संभावित एवं पीठासीन अधिकारियों के निर्देश देने पर ही पुलिस गिरफ्तारी का प्रावधान है ।

www.rajteachers.com

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

2018

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध

क्र. सं.	धारा अपराध	अपराध संज्ञेय	दण्ड	जमानतीय अजमानतीय	विचारणीय स्थान	विशेष विवरण
1	126	निर्वाचन के पूर्ववर्ती दिन सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध	2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट	
2	127 (क)	पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निबन्धन	6 मास का कारावास या 2000 रु. जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट	
3	132 (क)	प्रक्रिया अनुपालन करने में असफलता	जजारी किया मत पत्र रद्द किया जा सकेगा	जमानतीय	मजिस्ट्रेट	

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

2018

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध

क्र. सं.	धारा अपराध	अपराध संज्ञेय	दण्ड	जमानतीय अजमानतीय	विचारणीय स्थान	विशेष विवरण
4	133	मतदाताओं को लाने,ले जाने के लिए भाडे या अन्य प्रकार से वाहन प्राप्त करना या उपलब्ध कराना	3 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट	
5	134 (क)	सरकारी सेवक का किसी उम्मीदवार चुनाव एजेण्ट, पोलिंग एजेण्ट, गणना अधिकारी के रूप में कार्य करना प्रतिबन्ध	3 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट	
6	134 (ख)	मतदान केन्द्रों में या उसके पास जाने पर प्रतिबन्ध	2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	

www.rajteachers.com

चुनावों में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय अपराध की सूची

2018

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध

क्र. सं.	धारा अपराध	अपराध संज्ञेय	दण्ड	जमानतीय अजमानतीय	विचारणीय स्थान	विशेष विवरण
7	135 (ख)	मतदान के दिन कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश नहीं देना	500 रुपये तक जुर्माना	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	
8	135 (स)	मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति पूर्व के 48 घंटों के भीतर मदिरा वितरण व विक्रय पर पाबंदी	6 माह तक का कारावास या 2000 रु. तक का जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	

नोट – उक्त अपराधों में परिवाद दायर किये जायेंगे ।

www.rajteachers.com

चुनाव से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता में असंज्ञेय अपराध जिनमें परिवाद प्रस्तुत किया जायेगा

2018

क्र. सं.	धारा अपराध	अपराध संज्ञेय	दण्ड	जमानतीय अजमानतीय	विचारणीय स्थान	विशेष विवरण
1	171 (ई)	चुनाव में रिश्वत	1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 11 (क) के अंतर्गत उक्त अपराध में दोषी होने पर मत देनें में निर्हरता समझी जावेगी ।
2	171 (एफ)	निर्वाचन में असम्यक असर	1 वर्ष का कारावास	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अपराध में दण्डित होने पर सदस्यता से निर्हरता समझी जावेगी ।

चुनाव से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता में असंज्ञेय अपराध जिनमें परिवाद प्रस्तुत किया जायेगा

2018

क्र. सं.	धारा अपराध	अपराध संज्ञेय	दण्ड	जमानतीय अजमानतीय	विचारणीय स्थान	विशेष विवरण
3	171 (एच)	निर्वाचन के संबंध में अवैध संदाय करना	500 रु. जुर्माना	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अपराध में दण्डित होने पर सदस्यता से निर्हरता समझी जावेगी ।
4	171 (आई)	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता	500 रु. जुर्माना	जमानतीय	मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग	लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा के अंतर्गत सदस्यता से निर्हारित किया जा सकेगा ।

प्रेक्षकों (Observers) की भूमिका

2018

2018

प्रेक्षकों (Observers) की नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा (20) (ख) के अधीन की जाती है।

प्रेक्षकों (**Observers**) द्वारा मतदान के दिन किसी भी मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

2018

प्रेक्षकों (**Observers**) द्वारा मतदान केन्द्र के निरीक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी से निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने के प्रयोजन से कोई भी जानकारी चाही जा सकती है।

www.rajteachers.com

प्रेक्षकों (**Observers**) द्वारा मतदान केन्द्र पर कराए जाने वाले मतदान का निरीक्षण किया जावेगा किन्तु पीठासीन अधिकारी को कोई निर्देश नहीं दिए जावेंगे।

www.rajteachers.com

तथापि, प्रेक्षकों (**Observers**) द्वारा मतदाताओं को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने अथवा मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने की दृष्टि से सुझाव दिए जा सकते हैं।

यदि किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर अनुभव की जा रही कोई विशेष समस्या या कठिनाई प्रेक्षक (Observers) के ध्यान में लाई जाती है, तो प्रेक्षक (Observers) को प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु रिटर्निंग आफिसर या अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

प्रेक्षक (**Observers**) निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए बैज लगाएंगे तथा आयोग द्वारा जारी किए गए नियुक्ति पत्र और प्राधिकार पत्र भी अपने पास रखेंगे।

मतदान एवं मतदान अभिकर्ता

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति –

- मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप 10 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जायेगी। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत उसके मूल नियुक्ति आदेश (प्ररूप 10) के आधार पर पीठासीन अधिकारी उसे मतदान केन्द्र में प्रवेश देगा।
- प्ररूप 10 में नियुक्ति पत्र पर मतदान अभिकर्ता के भी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर होंगे। मतदान अभिकर्ता द्वारा मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष पुनः हस्ताक्षर करने होंगे।

......................मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

2018

- मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण लिखित में प्रपत्र 11 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किया जा सकता है। प्रतिसंहरण या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में अन्य मतदान अभिकर्ता की प्ररूप 10 में पुनः नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन पुनः नियुक्ति का कारण अंकित किया जायेगा।
- मतदान अभिकर्ता उसी मतदान केन्द्र अथवा इसी लोकसभा क्षेत्र में पडौस के किसी मतदान केन्द्र का **मतदाता** भी होना चाहिये और उसके पास फोटो मतदान पहचान पत्र (EPIC) भी होना चाहिये।

2018

- मतदान अभिकर्ता के पास यदि EPIC नहीं है तो केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग/संस्था से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र भी मान्य होगा। बिना EPIC या उक्त फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज के मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र में नहीं बैठेगा।
- मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र में मतदान के समय अपना EPIC अथवा पहचान पत्र अपने शरीर पर प्रदर्शित करते हुए धारण करना होगा, ताकि उनकी तुरन्त पहचान हो सके।
- किसी अभ्यर्थी को ऐसे व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नहीं बनाना चाहिए जो आपराधिक पृष्ठभूमि का है।

2018

- मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थी के नाम, जिसके लिए वह मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, वाला एक छोटा बैज लगाया जावेगा। यह बैज पीठासीन अधिकारी जारी करेगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और दो रिलीफ मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है तथापि, एक समय पर किसी अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता को ही मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जावेगी, इसके लिए म्दजतल टें भी पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे ताकि एक समय में किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक एजेन्ट ना रहें। 03:00 बजे अपराह्न बाद रिलीफ मतदान अभिकर्ता को अनुमति नहीं होगी।

2018

- धारा 134(क) के अनुसार सरकारी सेवारत व्यक्ति मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
- मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे राज्य के खर्चे पर सुरक्षा प्रदान की गई है, को मतदान अभिकर्ता के रूप में अनुमति नहीं होगी।
- मतदान अभिकर्ता मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे। यदि मतदान अभिकर्ता विलम्ब से आता है तो वह मतदान केन्द्र पर आगे की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा।

2018

- पीठासीन अधिकारी द्वारा बनावटी मतदान (Mock Poll) किया जायेगा जो मतदान प्रारम्भ होने के **एक** घंटे पूर्व किया जायेगा। यदि उस समय कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनट तक अन्य मतदान अभिकर्ता का इन्तजार करेगा। पीठासीन अधिकारी बनावटी मतदान की कार्यवाही करने के उपरान्त एक निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र भी देगा जिस पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी किये जायेगे।
- मशीन यदि खराबी के कारण बदली जाती है तो पूरा सैट बदला जायेगा, और उसमें भी बनावटी मतदान की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

www.rajteachers.com

2018

- मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दौरान निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केन्द्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी कारणवश मतदान केन्द्र के बाहर जाने के पूर्व मतदान अभिकर्ता द्वारा निर्वाचक नामावली की अपनी प्रति पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द की जावेगी।
- मतदान के दौरान कोई मतदान अभिकर्ता किसी पर्ची के माध्यम से मतदान केन्द्र के बाहर क्रमांक इत्यादि अंकित कर ऐसी कोई सूचना नहीं भेज सकता कि किस मतदाता ने मतदान कर लिया या किस ने मतदान नहीं किया।

मतदान अभिकर्ता के कर्तव्य –

- जो व्यक्ति मतदाताओं के प्रतिरूपण का प्रयास करते हैं उनको आक्षेपित करके मतदाताओं के प्रतिरूपण का पता लगाने और रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी की सहायता करना,
- मतदान के पूर्व और पश्चात् उपस्थित रहकर नियमों के अनुसार मतदान मशीनों को समुचित रूप से सुरक्षित और मुहरबंद करने में उपस्थित रहकर सहायता करना,

www.rajteachers.com

2018

- मतदान बन्द होने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के प्ररूप 17ग में रिकार्ड किये गये मतों के लेखे और पेपर सील के लेखे की प्रति लेना, और
- इस बात का ध्यान रखना कि मतदान से संबंधित दस्तावेज विधि की अपेक्षानुसार समुचित रूप से सुरक्षित और मुहरबंद किये गये हैं।

मतदान अभिकर्ता द्वारा लायी जाने वाली वस्तुएँ –

– अपना नियुक्ति पत्र तथा EPIC

– मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचक नामावली की एक प्रति,

– मृत, क्षेत्र में अनुपस्थित या जाली मतदाताओं, यदि हो, के नामों की एक सूची,

– पीतल की एक छोटी मुहर, और

– पेन, कागज और पेंसिल।

www.rajteachers.com

मतदान केन्द्रों में प्रवेश –

- पीठासीन अधिकारी द्वारा, मतदान केन्द्र में निर्वाचकगण के अलावा **केवल निम्नलिखित** व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकता है :–

(क) मतदान अधिकारी,

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक बार में एक मतदान अभिकर्ता,

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति,

(घ) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यरूढ़ लोक सेवक,

(ङ) किसी निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,

(च) किसी अंधे या किसी शिथिलांग मतदाता, जो बिना मदद के चल नहीं सकता हो, के साथ आने वाला कोई व्यक्ति,

(छ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की पहचान करने के या पीठासीन अधिकारी की अन्यथा सहायता करने के प्रयोजनार्थ समय–समय पर प्रवेश दें।

मतदान की गोपनीयता बनाये रखना –

- धारा 128 के अन्तर्गत मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करना दण्डनीय अपराध है। मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी यह प्रावधान सभी उपस्थित व्यक्तियों की जानकारी में लायेगा।
- मतदान की गोपनीयता भंग करने और मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मतदाता को मत नहीं देने दिया जायेगा और यदि ऐसे मतदाता को मतदान पर्ची जारी कर दी गई है तो उसे वापिस ले ली जायेगी और मतदाता रजिस्टर में इस आशय की टिप्पणी भी अंकित की जायेगी।
- मतदाता का मत देते हुए फोटो नहीं ली जा सकती।

2018

मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा –

- मतदान ठीक नियत समय पर प्रारम्भ होगा, जिसके पूर्व सारी तैयारियां पूर्णकर पीठासीन अधिकारी एक विहित प्रस्प मे घोषणा पढ़कर सुनायेगा और अपने अपने हस्ताक्षर करेगा व उपस्थित अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करने हेतु कहेगा।

मतदाता सूचियों में लिपिकीय/टंकण त्रुटियाँ –

- यदि मतदाता की पहचान के बारे में आपत्ति नहीं है, लेकिन टंकण/लिपिकीय अशुद्धि मतदाता सूची में है, तो उसे दरकिनार (Ignore) किया जायेगा।
- किसी मतदाता की पात्रता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

www.rajteachers.com

अवयस्क मतदाता द्वारा मतदान –

- किसी मतदाता की आयु 18 वर्ष से कम प्रतीत होती है और मतदाता की पहचान स्थापित हो जाती है, तो उस मतदाता की पात्रता को मतदान के समय प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, लेकिन पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता को मिथ्या घोषणा बाबत कानूनी प्रावधान अवगत कराते हुये आयु संबंधी घोषणा एक विहित प्रारूप में करायेगा।

अमिट स्याही –

- बांयी तर्जनी पर द्वितीय पीठासीन अधिकारी लगायेगा, तत्पश्चात् वह मतदाता रजिस्टर में अंकन करेगा और मतदाता पर्ची जारी करेगा।

www.rajteachers.com

दृष्टिहीन या शिथिलांग व्यक्ति द्वारा मतदान –

- यदि कोई मतदाता दृष्टिहीनता के कारण या अंग शैथिल्य के कारण स्वयं मत देने में असमर्थ है तो वह अपनी इच्छानुसार 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति को मतदान कक्ष में सहायतार्थ ले जा सकता है। ऐसा साथी मत की गोपनीयता रखेगा। कोई व्यक्ति केवल एक ही बार साथी बन सकता है। इस आशय की घोषणा साथी बननेवाले व्यक्ति से एक विहित प्रारूप में करायी जायेगी। निरक्षर मतदाता को ऐसे साथी की सहायता की अनुमति नहीं है।

- आगामी चुनाव में दृष्टिहीन मतदाताओं के लिये ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास Dummy Ballot Sheet रखी जायेगी, ताकि वह मतदाता उसे पढकर, मतदान कक्ष में बैलेट यूनिट पर नीले बटन के सामने ब्रेल लिपि के स्टीकर से अभ्यर्थी का क्रमांक समझ सके और मतदान कर सके। ऐसा मतदाता भी साथी ले जा सकता है।

निविदत्त मत –

- यदि कोई व्यक्ति असली मतदाता का मत देकर चला गया है तो असली मतदाता के आने पर उसे निविदत्त मतपत्र अपना मत अंकित करने हेतु दिया जायेगा, जिसे एक दशक मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा और निविदत्त मतपत्र सूची में अंकन किया जाकर ऐसे मतदाता के हस्ताक्षर भी कराये जायेंगे। ऐसा मतदाता मशीन पर वोट नहीं दे पायेगा।

मतदान नहीं करने का विनिश्चय –

- यदि कोई मतदाता, मतदाता रजिस्टर में अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर करने के बाद वोट नहीं देने का निश्चय कर लेता है, तो इस आशय का अंकन मतदाता रजिस्टर में किया जायेगा। लेकिन रजिस्टर का क्रमांक बदला नहीं जायेगा।

मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश –

- मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी या कोई मतदान अधिकारी प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जब पीठासीन अधिकारी को यह प्रतीत है कि मतदान यूनिट ठीक से काम नहीं कर रही, या कोई मतदाता कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वह मतदान अभिकर्ताओं से अपने साथ चलने के लिये कहेगा और मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा।

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं को मतदान करने की प्रक्रिया की समझाईश –

- किसी मतदाता को मतदान मशीन पर मतदान करने की प्रक्रिया समझाने हेतु पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में नहीं जा सकता, बल्कि ऐसे मतदाता को समझाने हेतु पीठासीन अधिकारी के पास **मतदान मशीन का कार्ड बोर्ड या मोटे गत्ते पर एक मॉडल होगा** जिस पर उसे मत देने की प्रक्रिया बताई जायेगी।

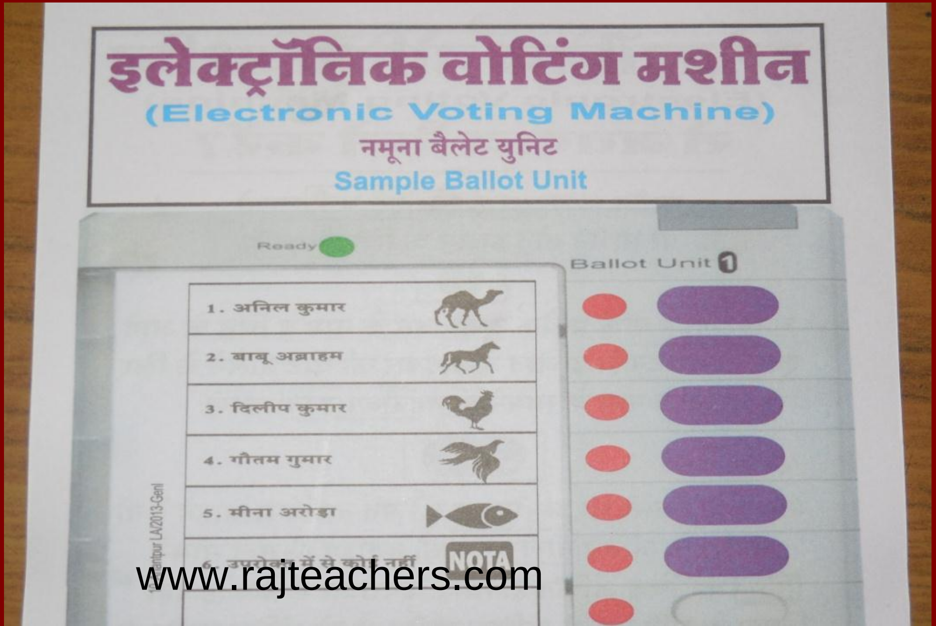

www.rajteachers.com

मतदान बन्द होने के समय उपस्थित मतदाताओं द्वारा मतदान –

- मतदान बन्द होने के समय पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदाताओं में सभी को मत देने दिया जायेगा। इसके लिये पीठासीन अधिकारी उन्हें पर्चियां देगा। जो पीछे के छोर से प्रारम्भ करते हुये देगा।

मतों के लेखे (प्ररूप 17ग) के प्रति –

- मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा विहित प्ररूप 17ग में पीठासीन अधिकारी बनायेगा। मतदाता रजिस्टर व चिन्हित मतदाता सूची से भी इसका मिलान किया जायेगा।
- उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतों के लेखे की एक–एक सत्यापित प्रति दी जायेगी। यदि कोई अभिकर्ता उक्त प्रति लेने से इन्कार करता है तो पीठासीन अधिकारी अपनी घोषणा में अंकन करेगा।

निर्वाचन बूथ –

- अभ्यर्थियों के निर्वाचन बूथ किसी मतदान केन्द्र की 200 मीटर परिधि के बाहर स्थापित किये जा सकते है, जिसके लिये स्थानीय निकाय की अनुमति आवश्यक है। ऐसे बूथ पर केवल एक बैनर 3 × 1.5 फीट आकार का लगाया जा सकता है। एक टेबिल और दो कुर्सियां रखी जा सकती है, लेकिन कोई शामियाना और टैन्ट नहीं हो सकता।

मतदाता सहायता बूथ –

- मतदान केन्द्रों पर मतदान दिवस को मतदाताओं की सहायता हेतु प्रशासन द्वारा ''मतदाता सहायता बूथ'' बनाये जायेगे जहाँ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में मतदाता सूचियाँ रखी जायेगी ताकि मतदाताओं को मतदान केन्द्र में उनके नाम व क्रमांक शीघ्रता से ढूँढने में सुविधा रहे। इन बूथों पर राजकीय कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे।
- शासकीय पहचान पर्ची की एक अतिरिक्त प्रति भी इस बूथ पर रखी जायेगी ताकि कोई मतदाता यदि EPIC के या उसे घर पर भेजी गयी Voter Slip के बिना आवे तो उसे यह अतिरिक्त प्रति दी जा सके और मतदाता उसे मतदान अधिकारी को पहचान दस्तावेज के रूप में पेश कर सके।

विजिट शीट (Visit sheet) –

पीठासीन अधिकारी एक विजिट शीट भी रखेगा जिसमें मतदान केन्द्र का भ्रमण करने वाले अधिकारियों (जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, ऐरिया/जोनल/सैक्टर मजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर) एवं पर्यवेक्षक द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित की जायेगी। यह विजिट शीट पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को सौंपेगा।

मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की फोटो –

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किन्हीं विशेष मतदान केन्द्रों में मतदान हेतु आनेवाले प्रत्येक मतदाता की फोटो लेने की भी व्यवस्था आगामी चुनाव में की जायेगी।

मतदाता रजिस्टर, मत लेखा, चिन्हित मतदाता सूची आदि की मतदान पश्चात् संवीक्षा –

- जिन मतदान केन्द्रों पर मतदान का प्रतिशत एक निश्चित प्रतिशत से अधिक पाया जाता है या अन्य कारण जो निर्वाचन आयोग द्वारा बताये जायेंगे वहाँ पर तथा निर्वाचन आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किन्हीं मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाये गये मतदाता रजिस्टर, मत लेखा, चिन्हित मतदाता सूची विजिट शीट आदि रिकॉर्ड की संवीक्षा पर्यवेक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- यह संवीक्षा मतदान दिवस के अगले दिन प्रातः ही की जायेगी। अभ्यर्थी अथवा उनके प्रतिनिधि इस संवीक्षा के दौरान उपस्थित रह सकेंगे।
- उक्त संवीक्षा के पश्चात् संवीक्षा किये गये रिकार्ड को पुनः सील किया जायेगा, जिस पर अभ्यर्थी/उनके प्रतिनिधि भी अपनी सील लगा सकते है।

OVERSEAS VOTERS

विदेश में रहने वाले भारतीयों जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं की है, उनका नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची के अंत में अप्रवासी मतदाता के रूप में दर्ज रहेगा।

ऐसे मतदाता उसी भाग में अपने पासपोर्ट के आधार पर मतदान करेंगे इन्हें EPIC जारी नहीं होता है।

POSTAL BALLOT

प्रत्येक मतदान कार्मिक को उसकी गृह लोकसभा/ जहाँ वह पंजीकृत मतदाता है नियुक्त नहीं किया जाएगा, अतएव प्रत्येक कार्मिक को अपना प्रपत्र 12 भरकर **पूर्ण प्रक्रिया को समझकर** पोस्टल बैलट अधिकार का उपयोग करना चाहिए।

प्रशिक्षण सत्र के बाद डाक मतपत्र से आपको अपना वोट वहीं पर बनाये गये पृथक बूथ (Facilitation Center) पर आवश्यक रूप से देना है।

शासकीय पहचान पर्ची वितरण

आगामी चुनाव में प्रशासन द्वारा प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को विहित मतदाता पर्ची (Voter Slip) शासकीय माध्यम से मतदान पूर्व भिजवाई जाएगी। यह पर्ची BLO या ERO/AERO द्वारा अधिप्रमाणित भी होगी।

उक्त पर्ची पर यदि फोटोयुक्त मतदाता सूची में उसका फोटा भी है तो फोटो सहित उपलब्ध होगी तथा EPIC के अभाव में यह पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य होगी

वैकल्पिक पहचान दस्तावेज

- EPIC के अतिरिक्त शासकीय पहचान पर्ची को भी चुनाव आयोग ने मान्यता दे रखी है एवं उनके आधार पर भी मतदान हेतु अनुमत किया जा सकता है।

आयोग कुछ और फोटोयुक्त दस्तावेज भी पहचान के लिए अधिसूचित कर सकता है, ऐसे नोटिफाइड दस्तावेजात की सूची आपको सामग्री में उपलब्ध होगी।

www.rajteachers.com

विविध

60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों व विकलांगों को मतदाता कतार में वरीयता प्राप्त होगी।

यदि कोई मतदान अभिकर्ता EVM के BU/CU के नम्बर देखना या नोट करना चाहे तो कर सकता है। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई मशीनों के नम्बर वाली पहचान पर्चियां (Identity Slips) भी पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दी जायेगी।

यदि BU अथवा CU में से कोई भी यूनिट खराब हो जाती है तो BU व CU दोनों का पूरा सैट बदला जाएगा तथा पुनः Mock Poll भी होगा। लेकिन इस समय प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में एक–एक वोट डालकर Mock Poll किया जाना पर्याप्त है।

वर्तमान केन्द्र/राज्य के मंत्री/सांसद/विधायक, मेयर, नगर पालिका/परिषद के अध्यक्ष, जिला प्रमुख तथा अन्य सुरक्षा प्राप्त पदाधिकारी निर्वाचन/गणना/मतदान अभिकर्ता नहीं हो सकता है।

www.rajteachers.com

Vulnerability Mapping के संबंध में 2018

आपके मतदान क्षेत्र में कुछ मतदाताओं को भय ग्रस्त/असुरक्षित महसूस करने वाले मतदाताओं के रूप में भी माना हुआ हो सकता है, जिनको दर्शाने के लिए चिन्हित मतदाता सूची के साईड हाशिये में एक लाईन खिंची हुई होगी।

मतदान के दौरान बीच–बीच में यह जानकारी भी ली जानी है कि इन मतदाताओं में से मतदाता वोट देने आ रहे है या नहीं। यदि यह ज्ञात होता है कि ये मतदाता वोट देने नहीं आ रहे हैं या कोई इक्का–दुक्का ही आ रहा है तो तुरन्त सैक्टर अधिकारी को अवगत करावें।

पहचान दस्तावेजात का अंकन

मतदान रजिस्टर 17 A में EPIC के आधार पर मतदान किए जाने वाले मतदाता के रिमार्क कॉलम में EP **तथा** वोटर स्लीप के आधार पर मतदान किये जाने पर रिमार्क कॉलम में VS तथा अन्य पहचान दस्तावेज **यदि प्रस्तुत होता है तो उस**के विवरण व क्रमांक के अन्तिम चार डिजिट रजिस्टर **के** विशेष विवरण में अनिवार्यतः अंकित किए जाएंगे।

CRITICAL POLLING BOOTHS 2018

क्रिटिकल मतदान केन्द्र विभिन्न निर्धारित आधारों पर पूर्व से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तय किए जाते हैं, इन केन्द्रों पर–

;i) CPF सुरक्षाकर्मी नियुक्त होते हैं अथवा

(ii) प्रत्येक मतदाता की मतदान से पूर्व केमरा/वीडियो से फोटो ली जाती है अथवा

(iii) माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति होती है अथवा

(iv) उपरोक्त में से कोई भी या सभी उपाय हो सकते है।

मतदान पश्चात के लिफाफे

सांविधिक – कुल 5 लिफाफे – हर रंग के – हरे लिफाफे में

असांविधिक – कुल 11 लिफाफे पीले रंग के – पीले लिफाफे में

अन्य 7 सामग्रियाँ – तृतीय लिफाफा – भूरे रंग का लिफाफा

शेष सामग्री – चतुर्थ लिफाफा – नीला

यदि किसी लिफाफे में कोई सामग्री नहीं है तो भी Nil की पर्ची के साथ लिफाफा यथावांछित पैक कर यथाविहित बड़े लिफाफे में रखा जावे।

2018

प्रकीर्ण

मतदान समाप्ति के बाद प्रारूप 17 ।, ''मतदाता रजिस्टर में मतदाता क्र.सं. ..... पर मतदान समाप्ति किया गया'' का अंकन कर हस्ताक्षर कर सर्व संबंधित मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर भी ले लिए जावे।

मतदान अभिकर्त्ता का मतदाता सूची व अन्य लिखित सूचनाएँ मतदान केन्द्र से बाहर नहीं भेज सकता है।

पीठासीन अधिकारी को 16 बिन्दुों की सूचना भी अतिरिक्त फारमेट में भरकर EVM के साथ जमा करवानी होगी।

मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूरी में मोबाईल का उपयोग निषेध है।

EVM के साथ जमा होने वाली सामग्री है

(i) 17 C मतपत्र लेखा

(ii) पीठासीन अधिकारी की घोषणाएँ

(iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी

(iv) 16 बिन्दु की सूचना

www.rajteachers.com

मतदान कर्मियों का ड्यूटी फोटो पहचान पत्र

2018

- जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों एवं काउंटिंग स्टॉफ को समानरूप से फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे
- मतदान कर्मियों को इस हेतु अपनी फोटो एवं आवश्यक विवरण का प्रारूप भरकर देना होगा
- कर्मियों का फोटो डी.ओ./आर.ओ. द्वारा अटेस्टेड होगा
- मतदान कर्मियों को ड्यूटी के समय पहचान पत्र पूरे समय प्रदर्शित कर के रखना होगा

EDC द्वारा मतदान

2018

- चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी अपना मतदान EDC/PB के माध्यम कर सकते है ।
- EDC के लिए उन्हें फार्म 12 A में आवेदन करना होगा जिसे पूर्ण भरकर RO को प्रस्तुत करना होगा ।
- RO द्वारा EDC चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी को 12 B में जारी किया जायेगा।
- ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम के आगे उनके मतदान केन्द्र की वॉटर लिस्ट में EDC लाल **पैन** से अंकित किया जायेगा और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 12 A में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है वहां वोट नहीं डाल पायेगें जहां उनका नाम पंजीकृत है । अपितु EDC द्वारा जहां उनकी ड्यूटी लगी है वहां अपना मतदान करेगें ।

www.rajteachers.com

- EDC धारक मतदाता द्वारा EDC प्रमाण पत्र पेश करने पर पीठासीन अधिकारी EDC पेश करने वाले के हस्ताक्षर EDC पर अभिप्राप्त करेगें।

- EDC मे अकिंत निर्वाचक का नाम व भाग सख्या,निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अंत में अंकित करेगा।

- ततपश्चात उस मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाताओं की तरह मत अकिंत करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

- पीठासीन अधिकारी पॉलिग एजेन्टस को EDC द्वारा मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगें और उन्हें जितने EDC उस पॉलिग बूथ के लिये जारी किये गये है कि जानकारी देगें।

- द्वितीय मतदान अधिकारी EDC द्वारा मतदान करने वाले अधिकारियों के लिये 17 क रजिस्टार के द्वितीय कॉलम में उनका क्रमांक भाग संख्या और एसेम्बली क्षैत्र का नाम लिखेगें ।

- मान लिजिये की अधिकारी का नाम XYZ निर्वाचन क्षैत्र के भाग संख्या 25 व क्रमांक 415 पर है तो इसे 17 क रजिस्टर के द्वितीय कॉलाम में 415/25/XYZ लिखा जायेगा ।

- 17 क रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में EDC Voter लिखा जायेगा।

- EDC द्वारा वोट डालने की प्रक्रिया पॉलिग एजेन्ट की उपस्थिति में ही की जायेगी ।

www.rajteachers.com